लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

JMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 31 से 40 तक हैं]
[Vol. LIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक 34—मंगलवार, 5 अप्रैल, 1966/15 चैत्र, 1888 (शक)

No. 34—Tuesday April 5, 1966/Chaitra 15, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
951.	विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा / Agricultural Education in Universities.	6083–85
952.	समवाय विधि / Company Law	6085–88
953.	केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा खरीदा गया चावल और धान / Rice and Paddy purchased by Central and State Governments	6088–90
954.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था द्वारा खाद्य उत्पादन का सर्वेक्षण / Survey of Food Production by U.S.A.I.D.	6090–93
955.	कृषि उत्पादन के लिये अपेक्षित साधन / Inputs for Agricultural Production	6093–95
956.	राशन व्यवस्था लागू किये जाने के पश्चात सहकारी संघों का कार्यक्रम / Functioning of Co-operative Unions after Rationing . .	6095–96
959.	कृषि उत्पादन दर का कम हो जाना / Fall in Agricultural Growth Rate	6096–98
960.	पंजाब में बंजर भूमि / Waste Land in Punjab . .	6098–99

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.		
957.	रबी की फसल में सुधार / Improvement in Rabi Crop	6099-6100
958.	राजस्थान में सहकारी खती / Co-operative Farming in Rajasthan	6100
961.	भारत को जहाज द्वारा भेजा गया ब्रिटिश उर्वरक / British Fertiliser Shipped to India . . .	6100–01
962.	दुर्भिक्ष से पीडित लोगों के बारे में अनुमान / Estimates to People affected by Famine	6101
963.	रबी की फसल के लिये उर्वरक / Fertilizers for Rabi Crops. .	6101–02
964.	बिहार में खाद्य उत्पादन / Food Production in Bihar . .	6102

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
965.	जापानी विशेषज्ञ Japanese Experts . . .	6102–03
966.	फारस कि खाड़ी में व्यापार के लिय भारतीय जहाज Indian Sailing Vessels for Persian Gulf Trade	6103
967.	तुतीकोरिन बन्दरगाह Tuticor in Harbour .	6103–04
968.	लुग्धी वाली लकड़ी Pulp Wood . .	6104
970.	पर्यटकों के लिये होटल Tourist Hotels	6104–05
971.	कुछ वस्तुओं का एक राज्य से दुसरे राज्य में लाया ले जाया जाना Inter-State Movement of certain Commodities . . .	6105
972.	खेती के उन्नत तरीके Improved Methods of Cultivation	6105–06
973.	मैक्सिको के 'डवार्फ' किस्म के गहूं की खती Cultivation of Mexican Dwarf Wheat	6106
974.	तटीय जहाजरानी Coastal Shipping . . .	6107
975.	फालतू पुर्जों की कमी के कारण दिल्ली परिवहन की बेकार पड़ी बसें D.T.U. Buses lying idle for want of spare parts . . .	6107
976.	जयंती शिपिंग कम्पनी Jayanti Shipping Company .	6107–08
977.	खेती बाड़ी में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग Chemicalization of Agriculture .	6108
978.	खाद्य तथा कृषि संगठन द्वार भारत को दुध के पाउडर की सप्लाई Supply of Milk Powder to India by F.A.O. . . .	6108
979.	कारवार बन्दरगाह Karwar Port . . .	6108–09
980.	खेती के आधुनिक तरीके Modern Techniques in Farming .	6109

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.		
3214.	केरल सड़क परिवहन निगम Kerala Road Transport Corporation	6109–10
3215.	भूमि संरक्षण Soil Conservation . . .	6110
3216.	केरल में चावल के क्रय-विक्रय का समाप्त किया जाना Abolition of Marketing in Rice in Kerala	6110–11
3217.	सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार Government Employees Consumers' Co-operative Stores .	6111
3218	गोले का तेल तथा गरी के मूल्य Prices of Coconut Oil and Copra	6111
3219	डबोलियम में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउंट विमान के इंजन का खराब हो जाना Engine trouble to I.A.C. Viscount at Dabolim	6112
3220	अम्बलवायल में फार्म Farm at Ambalavayal . .	6112

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3221	एक राष्ट्रीय राजपथ के लिये भूमि का अर्जन	Acquiring of Land for a National Highway	6112–13
3222	वन अनुसंधान संस्था का प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र	Regional Research Centre of Forest Research Institute .	6113
3223	कोलाघाट में पुल	Bridge at Kolaghat . .	6113–14
3225	बीकानेर में सड़कें	Roads in Bikaner .	6114
3226	संयुक्त स्कंध (ज्वायंट स्टाक) बीज फर्म	Joint Stock Seed Farms .	6114
3227	कीटनाशक दवाइयां	Insecticides	6115
3228	खाद्यान्न के आयात के लिये समुद्री जहाज	Ships forimport of Foodgrains .	6115
3229	बीज फार्मों का स्थापित किया जाना	Establishment of Seed Farms .	6115–16
3230	पटसन विकास परिषद	Jute Development Council . .	6116
3231	खाद्य की कमी की पूरा करने के लिये नीदरलैंड से सहायता	Aid from Netherlands to improve Food Shortage . . .	6116–17
3232	पश्चिम बंगाल में राशन का कोटा	Ration quota in West Bengal	6117
3233	उड़ीसा में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres in Orissa . .	6117–18
3234	उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa . .	6118
3235	उड़ीसा में छोटी बन्दरगाहें	Minor Ports in Orissa . .	6119
3236	रबी की फसल के लिये उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa for Rabi Crops	6119
3237	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	Indian Council of Agricultural Research	6119–20
3238	त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों के लिये विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण	Reservation of Assembly Constituency for Scheduled Castes in Tripura	6120–21
3239	बोरो धान	Boro Paddy . . .	6121
3240	अगरतला में क्षतिग्रस्त हुआ फोक्कर फ्रेन्डशिप विमान	Fokkar Friendship Aircraft Damaged at Agartala . . .	6121
3241	रेल की पटरियों के दोनों और की भूमि पर खेती	Cultivation of Land on sides of Railway Lines . . .	6121–22
3242	हवाई अड्डों पर प्रतिबन्धों मे शिथिलता	Relaxation of Restrictions at Airport	6122
3243	मद्रास राज्य में चीनी की मिलें	Sugar Mills in Madras State .	6122
3244	दिल्ली से लोक-सभा की सदस्यता संख्या में वृद्धि	Increase in Number of Lok Sabha Seats for Delhi . . .	6122–23
3245	केरल को चावल का दिया जाना	Supply of Rice to Kerala .	6123
3246	मैसूर में पत्तनो का विकास	Development of Ports in Mysore	6123

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3247	समुद्र में मछली पकड़ने के उद्यो — Marine Fishing Industries	6124
3248	गोहाटी और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा — Direct Gauhati-Delhi Air Service	6124–25
3249	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 4 पर पोलार पर पुल — Bridge across the Polar on National Highway No. 4	6125
3250	मदुराई मंदिर में संगीत और ध्वनि प्रदर्शन — Song and Sound Shows at Madurai Temple	6125
3251	बरोजगार शिक्षित लोगों के लिए दिल्ली परिवहन सहकारी समिति — Delhi Transport Cooperative Society for Educated Unemployed	6125–26
3252	राजस्थान में नलकूप — Tube-wells in Rajasthan	6126
3253	पटसन का उत्पादन — Production of Jute	6126–27
3254	नई दिल्ली में इन्द्रपुरी तक सड़क — Road to Inderpuri, New Delhi	6127–28
3255	गोहाटी हवाई अड्डा — Gauhati Airport	6128
3256	केरल जल परिवहन निगम — Kerala Water Transport Corporation	6128
3257	मणिपुर में कचार सड़क — Cachar Road in Manipur	6128
3258	कांडला बन्दरगाह के लिए डैजर (तल से कीचड़ निकालने के यंत्र) — Dredgers for Kandla Port	6129
3259	चावल और गहूं का रक्षित भंडार (बफर स्टाक) — Buffer Stock of Rice and Wheat	6129
3260	1965-66 में खाद्यान्नों का आयात — Import of Food grains in 1965-66	6129
3261	खती योग्य भूमि का क्षेत्रफल — Acreage of Cultivable Land	6130
3262	केन्द्रीय सचिवालय अशुलिपिक (स्टनोग्राफर) सेवा — Central Secretariat Stenographers Service	6130
3263	उड़ीसा में भूमि संरक्षण — Soil Conservation in Orissa	6130–31
3264	कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर — Agricultural University, Bhubhaneswar	6131
3265	उड़ीसा में दुग्धशाला (डरी) परियोजनाएं — Dairy Projects in Orissa	6131
3266	उड़ीसा में चीनी के सहकारी कारखाने — Co-operative Sugar Factories in Orissa	6131–32
3267	उड़ीसा में फ्लाइंग क्लब — Flying Club in Orissa	6132
3268	संयुक्त अरब गणराज्य से चावल — Rice from U.A.R.	6132
	सभा पटल पर रखे गये पत्र — Papers Laid on the Table	6133
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— — Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
	चौरासीवां प्रतिवेदन — Eighty-Fourth Report	6133

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर में शुद्धि—	Re: Statement of Prime Minister Correction of Answer to starred Question No. 62—	613
जीवन बीमा निगम के लिये विद्युत चालित संगणकों के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Electronic Computers for L.I.C.—	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	6133–34
अनुदानों कि मांगे—	Demands for Grants—	
परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय—	Ministry of Transport and Aviation—	
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	6135–36
श्री बासप्पा	Shri Basappa .	6136
श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह	Shrimati Jahanara Jaipal Singh . . .	6137
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	6137–39
श्री जो० ना० हजारिका	Shri J. N. Hazarika . .	6139
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	Shri Narendra Singh Mahida	6140
श्री दाजी	Shri Daji . .	6140–41
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy . .	6141–42
श्री काशिनाथ पाण्डे	Shri K. N. Pande .	6142–43
श्री बागड़ी	Shri Bagri . . .	6143
श्री खाड़ीलकर	Shri Khadilkar . . .	6143–44
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha . .	6144–46
श्री शिंकरे	Shri Shinkre .	6146
श्री जयपाल सिंह	Shri Jaipal Singh	6146–47
श्री मा० ल० जाधव	Shri M. L. Jadhav . .	6147
श्री अ० शं० आल्वा	Shri A. S. Alva . . .	6147–48
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan .	6148
श्री मुथिया	Shri Muthiah . . .	6148–49
श्री मि० सु० मूर्ति	Shri M. S. Murti . .	6149
श्री पोट्टेकाट्ट	Shri Pottekkatt . .	6149–50
श्री व० ब० गांधी	Shri V. B. Gandhi . .	6150
श्री संजीव रेड्डी	Shri Sanjiva Reddy . .	6150–52

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
निर्माण, आवास तथा नगरिय विकास मंत्रालय—	Ministry of Works, Housing and Urban Development—	
श्री यलमंदा रेड्डी	Shri Yallamanda Reddy .	6153–54
श्री शिवचरण गुप्त	Shri Shiv Charan Gupta .	6154–55
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup .	6162
श्री सुब्बरामन	Shri Subbaraman . .	6163
श्री काकोडकर के ठौर-ठीकाने के बारे में वक्तव्य—	Statement re: the Whereabouts of Shri Kakodkar—	
श्री नन्दा	Shri Nanda .	6162

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 5 अप्रैल 1966/15 चैत्र, 1888 (शक)
Tuesday, April 5, 1966/Chaitra 15, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा

+

***951. श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बडे :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई अनुमान लगाया गया है कि देश में विभिन्न विश्वविद्यालय किस सीमा तक कृषि की शिक्षा की ओर और अधिक ध्यान दे सके है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुमान का क्या परिणाम निकला; और

(ग) विश्वविद्यालयों को इस हेतु प्रोत्साहन देने के लिए कि वे कृषि शिक्षा की ओर ध्यान दें, यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5975/66 ।]**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the States where these centres will be opened and what will be their main features ?

Shri Shyam Dhar Misra : Eight States have opened these universities and during the fourth Plan four more States, namely Madras, Gujarat, Maharashtra and Assam will have these universities. Their special feature is a combined integrated programme of research and extension.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the number of students passing out from these universities every year to work in their own fields ?

Shri Shyam Dhar Misra : I have not got the figures of these eight universities with me now, but I think it will be within five hundred. In addition to these there are under-graduate colleges, graduate Colleges and post-graduate Colleges with an overall capacity of about ten thousand per annum.

श्री च० क० भट्टाचार्य : तकरीबन प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं । क्या सरकार ने अन्य विश्वविद्यालयों को यह महसूस कराने के लिये कोई कार्यवाही की है कि कृषि शिक्षा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ही दी जाये और अन्य विश्वविद्यालयों में कृषि संकाय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे केवल शिक्षा संसाधनों का प्रसार ही होगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : इस सामान्य प्रश्न पर शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की है । उन्होंने एक कार्य दल नियुक्त किया है जो इस मामले की जांच करेगा । आयोग अपना कार्य निकट भविष्य में पूरा कर देगा और इस मामले पर अपने विचार दे देगा ।

Shri Bagri : May I know whether agricultural education on the State and national level would be imparted through the medium of Hindi or it would be imparted through English which has no connection with Indian agriculture ?

Shri Shyam Dhar Misra : The medium of instruction in graduate and post-graduate Colleges is English in every State. But so far as the question of education of farmers is concerned, which comes under local wings education is imparted through regional languages, for example in the Hindi speaking States Hindi will be the medium and in Tamil State, Tamil will be the medium.

श्रीमती अकम्मा देवी : क्या देश में उपलब्ध अनुभव तथा ज्ञान का अधिक से अधिक फायदा उठाने के उद्देश्य से कृषि कालेजों में दाखिले के मामले में कृषकों के लड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : यही तो हमारी नीति होगी ।

Shri Jagdev Singh Sidhhanti : Will work in the field for continuous eight hours for at least a fortnight be made compulsory before B. Sc. or M. Sc. degrees are awarded by these Colleges ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

Shri Yashpal Singh : Do Government have with them the figures of unemployed persons having B. Sc. and M. Sc. degrees in agriculture ? When so many persons are already unemployed there is no need to increase their number still further by turning out more and more agricultural graduates and post-graduates. Why are they not given practical training in the fields instead ?

Shri Shyam Dhar Misra : Practical training is also given in these Colleges and Universities side by side with theoretical training. So far as unemployment is concerned, it is correct that some people are unemployed. But during the Fourth Plan our requirement will be of the order of 30,000 graduates whereas 20,000 such graduates are available during the Third Plan. I do not agree that they are not required.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामसेवकों तथा विस्तार सेवाओं में काम कर रहे व्यक्तियों को कृषि करने के तरीकों का अनुभव नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप विस्तार कार्यक्रमों पर इतना अधिक पैसा खर्च किये जाने के बावजूद भी किसानों को कृषि शिक्षा से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण देगी ताकि वे किसानों को कृषि के काम की व्यावहारिक शिक्षा दे सकें ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह सही है कि ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र के ग्राम सेवकों को कृषि की अधिक जानकारी नहीं है परन्तु अब यह निर्णय किया गया है कि उन सभी ग्राम सेवकों को जिन्हें चौथी योजना अवधि में अथवा इसके लगभग प्रशिक्षण दिया जाना है कृषि की शिक्षा दी जायेगी और उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उन्हें कालेजों में भी शिक्षा दी जायेगी ताकि वे कृषि स्नातक की उपाधि प्राप्त कर सकें ।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में यह दिया हुआ है कि केन्द्रीय सरकार का अपनी ओर से बुनियादी कृषि शिक्षा के लिये चौथी योजना में केन्द्रीय सैक्टर में अधिक धनराशि नियत करने का विचार भी है । ऐसा प्रतीत होता है कि आठ विश्वविद्यालय खोले गये हैं अथवा खोले जायेंगे । केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में स्थित इन विश्वविद्यालयों को चौथी योजना में कुल कितनी वित्तीय सहायता देगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कुल वित्तीय सहायता 29 करोड़ रुपये है ।

समवाय विधि

+

*952. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बागड़ी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास को दृष्टि में रखते हुए समवाय विधि में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have adopted any such method so that these managing agencies may not pile up black money and this tax evasion may be checked ?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak) : This question relates to Income Tax Act and to finance and this Act contains several such sections which can be used against evasion of tax and, in fact, are being used.

Shri Yashpal Singh : The hon. Minister had given assurance in this House itself that the managing agency system would be abolished. But neither the date has been disclosed nor the steps that are being taken by the Government in this direction.

Shri G. S. Pathak : Managing agency system has been on the decrease on its own and Government has been acting upon sections 324 and 326 of the Companies Act and whatever managing agencies are being given extensions, it is for a very short period, and the press note that has been issued is being implemented.

श्री दाजी : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि हालांकि समिति अभी विचार कर रही है और अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है, फिर भी कुछ प्रबन्ध अभिकरणों को जल्दी से 15 वर्ष तक के लिये बढ़ा दिया गया है ताकि चाहे इन मामलों में कोई निर्णय ले लिया जाये, सरकार पहले ही निर्णय कर चुकी होती है। क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है और यदि हाँ, तो क्या उसमें फेरबदल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो 15 वर्ष तक के लिये अवधि क्यों बढ़ाई गई हैं ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि 31 दिसम्बर 1965 के प्रेस नोट के जारी किये जाने से पहले कुछ मामलों में अवधि बढ़ा दी गई थी। मुझे विधि मंत्री अभी बहुत ही थोड़ा समय हुआ है और मेरे लिये यह संभव नहीं हो सका है कि कुछ मामलों में इतनी लम्बी अवधि क्यों बढ़ाई गई थी अथवा कितनी अवधि बढ़ाई गई थी। सभी मामलों में ऐसा नहीं किया गया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या इसपर पुनर्विचार किया जायेगा ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : म कुछ मामलों की जांच करूंगा। मैं उनकी स्वयं जांच करूंगा क्योंकि सभा की यही इच्छा है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मंत्री महोदय को पता है कि समवाय विधि में इतनी जल्दी जल्दी संशोधन किया जा रहा है कि समवाय विधि को लागू करने वाले अधिकारियों को सही स्थिति का पता नहीं होता है और यदि हां, तो क्या समवाय विधि में छुटपुट संशोधन न करके इसमें व्यापक रूप से संशोधन किया जायेगा ताकि लोगों को सही स्थिति का पता चल सके ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं यह स्वीकार नहीं करता कि समवाय विधि प्रशासन को उन संशोधनों का पता नहीं होता जो समवाय विधि में समय समय पर किये जाते हैं। बदलती हुई स्थिति को दृष्टि में रखते हुए संशोधन करना जरूरी हो जाता है। 1956 में समवाय विधि में व्यापक संशोधन किया गया था। उसके पश्चात् लगभग पांच संशोधन किये गय ह और एक संशोधन विधेयक विचाराधीन है। विकासशील अर्थव्यवस्था में ऐसे संशोधन करना एक स्वाभाविक बात है।

श्री शिंकरे : क्या माननीय मंत्री को पता है कि कुछ बड़ी निर्माण कम्पनिया, जहा प्रबन्ध अभिकरण नहीं है, बड़े पैमाने पर एकमात्र विक्रेता अभिकरण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वे अपने संबंधियों तथा बिचौलियों को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं और यदि हां, तो इसे रोकने के लिये माननीय मंत्री क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य उस मामले की जानकारी देने के लिये तैयार हैं तो सरकार उसपर विचार करेगी।

श्री शिंकरे : सरकार बड़ी आसानी से उनसे एकमात्र विक्रेता अधिकरणों की सूची मांग सकती है। उन्हें मेरे से जानकारी प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भी जानकारी भेज सकते हैं।

श्री के० दे० मालवीय : क्या इन इतनी जल्दी से बदलती जा रही परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को सर्वथा समाप्त करना तथा उसके स्थान पर कोई अन्य चीज स्थापित करना जरूरी नहीं हो गया है ताकि वे सभी आर्थिक विषमताएं समाप्त हो जायें जो कि उत्पन्न की जा रही हैं और जिन्हें दूर करने के लिये सरकार वचनबद्ध है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली ही आर्थिक विषमताओं का एकमात्र कारण नहीं है। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि इस प्रणाली को पूर्णतया हटाया जाय अथवा नहीं ? जहां तक वर्तमान विधि का संबंध है उससे इस प्रणाली को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।

श्री कपूर सिंह : माननीय मंत्री ने कुछ सदस्यों के कहने पर कुछ मामलों में अवधि के बढ़ाये जाने की जांच करने का आश्वासन दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह जांच उनकी वैधता के बारे में होगी अथवा उनकी वांछनीयता के बारे में ? यदि वैधता के बारे में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है तो वांछनीयता का प्रश्न उत्पन्न ही कैसे होगा ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : उन मामलों की पुनः जांच करना बहुत कठिन है जिनके बारे में काफी पहले निर्णय किया जा चुका है। उनकी जांच करने पर मेरी जो प्रतिक्रिया होगी उसे इस समय बताना संभव नहीं है।

श्री कपूर सिंह : मैं उनकी प्रतिक्रिया नहीं जानना चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अवधियों के बढ़ाये जाने की वैधता पर पुनर्विचार किया जायेगा यदि माननीय मंत्री को वैधता के बारे में कोई आपत्ति नहीं नजर आती तो क्या किसी अन्य आधार पर भी इनके बढ़ाये जाने के कारणों पर पुनर्विचार किया जा सकता है और यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मेरी जांच का आधार क्या होगा यह मैं इस समय नहीं बता सकता क्योंकि मैंने सभा को सूचित किया है कि सभा की इच्छा पर मैं कुछ मामलों की जांच करूंगा। इसके अलावा मैं और कोई आधार नहीं बता सकता।

श्री कपूर सिंह : उस सरकार के बारे में क्या कहा जा सकता है जो यह भी नहीं जानती कि वह किस आधार पर जांच करेंगी ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जब वे मामले सामने होंगे तभी मैं यह निर्णय कर सकूंगा।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या सरकार को पता है कि बहुत सी कम्पनियां केवल विभिन्न व्यक्तियों तथा गुटों की वित्तीय अनियमितताओं को छिपाने के उद्देश्य से ही कायम हैं और यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों को उखाड़ फेंकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मुझे ऐसे मामलों की जानकारी है जहां ऐसी कम्पनियां मौजूद थीं। परन्तु मैं आज यह नहीं कह सकता कि सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी है अथवा नहीं। मैं ऐसे प्रश्न की पूर्व सूचना चाहूंगा क्योंकि ऐसी कम्पनियों का पता लगाने में काफी समय लगेगा।

Shri Bagri : May I know whether by the transfer of this department from the Ministry of Finance to the Law Ministry some results will come out of it and if so, what ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : यह प्रश्न इसमें से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Bagri : Why ?

Mr. Speaker : Allotment of departments is strictly within the competence of Government.

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा खरीदा गया चावल और धान

+

*953. **श्री विभूति मिश्र :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री श्रीनारायण दास : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डे : **श्री सरजू पाण्डे :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने, राज्यवार कितना-कितना तथा किन दरों पर धान अथवा चावल खरीदा;

(ख) क्या यह सच है कि किसानों को दिये गए समाहार मूल्य उत्पादन लागत और बाजार दर से कम थे; और

(ग) इसके परिणाम स्वरूप किसानों में असंतोष के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : (क) एक विवरण (अनुबन्ध 1) जिसमें फसल वर्ष 1965–66 में विभिन्न राज्यों में चावल और धान की खरीददी गयी अनुमानित मात्रा दी गयी है, सभा के पटल पर रखा जाता है। एक अन्य विवरण (अनुबन्ध 2) जिसमें विभिन्न राज्यों में जिस भाव पर चावल और धान की खरीदारी की गयी है, सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5976/66।]**

(ख) खेतिहरों को दिए गए अधिप्राप्ति खरीद भाव उत्पादन लागत से कम नहीं हैं। जिन राज्यों में अधिकतम नियंत्रित भाव निर्धारित नही किए गए हैं, वहां कुछ मामलों में अधिप्राप्ति खरीद भाव बाजार भावों से कम हो सकते हैं।

(ग) क्योंकि किसान को दी गयी कीमत उत्पादन लागत से कम नहीं है, इसीलिए, यह प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त, अधिप्राप्ति भाव तो केवल उसकी उपज के एक भाग से सम्बन्धित है और वह अपनी शेष मात्रा को राज्य में जहां अधिकतम नियंत्रित भाव लागू नहीं है, प्रचलित बाजार भावों पर बेचने के लिए स्वतन्त्र है।

Shri Bibhuti Mishra : I think the hon. Minister has not inquired into the matter. Is he a ware that paddy is being sold at the rate of Rs. 23 to 30 a maund in Bihar and if so, the prices being paid to the agriculturists by the Government is not satisfactory ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं मूल प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि कभी कभी समाहार मूल्य निर्धारित अधिकतम मूल्य से कम होता है।

श्री विभूति मिश्र : मेरा प्रश्न भिन्न है। बिहार में धान का मूल्य लगभग 16 रुपये प्रति मन निर्धारित किया गया है जब कि वहां खुले बाजार में धान 23 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति मन बिकता है। क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether Government have taken into consideration the cost of production while fixing the procurement price of paddy ? How the Committee, whose report has been published, has done justice to the agriculturists in fixing the prices without knowing the cost of production ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इसीलिये हमने इस कार्य के लिये कृषि-मूल्य आयोग नियुक्त किया है। कृषि-मूल्य आयोग भी उत्पादन लागत के सम्बन्ध में पूरी जांच पड़ताल नहीं कर पाया है किन्तु यह कार्य अभी चल रहा है। इस लिये कृषिजन्य वस्तुओं तथा कृषिसे भिन्न वस्तुओं के सामान्य मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर ही तदर्थ आधार पर न्यूनतम प्रोत्साहन मूल्य निर्धारित किये गये हैं। अतः मैं यह स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि जो मूल्य हमने निर्धारित किया है, शायद वह पर्याप्त नहीं है। किन्तु हम सदा इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिले।

श्री वासुदेवन नायर : इसका तात्पर्य यह हुआ कि दोनों मंत्रियों ने परस्पर विरोधी उत्तर दिये।

Shri Vishwa Nath Pandey : It is clear from the statement placed on the Table by the hon. Minister that Central Government and the State Government, both, purchase the paddy. May I know whether there is any Coordination between them for the quantities to be purchased by each of them ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आवश्यकता से अधिक अनाज वाले राज्यों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से समाहार किया जाता है और इस समाहार में उनमें परस्पर समन्वय रहता है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : विवरण में दिखाया गया है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से आसाम में धान नहीं खरीदा गया और 28 मार्च तक आसाम में केवल 67 टन धान खरीदा गया है। क्या सरकार समझती है कि उसने कमी वाले राज्यों को संभरण करने के लिये पर्याप्त मात्रा में धान खरीदा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह 67 टन नहीं बल्कि 67,000 होना चाहिए। इस वर्ष आसाम में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक उत्पादन हुआ है। इसलिये उसकी स्थिति अच्छी है। हम आसाम सरकार से केन्द्रीय पूल में कुछ चावल देने का अनुरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार इसके लिये सहमत हो गई है किन्तु मात्रा अभी निश्चित नहीं की गई है। आसाम सरकार को विश्वास है कि वह इसके लिये अपेक्षित मात्रा का समाहार कर लेगी।

श्री भागवत झा आजाद : विवरण के अनुसार कुछ राज्यों में बहुत थोड़ी मात्रा खरीदी गई है। क्या यह राज्य की क्रय क्षमता पर निर्भर करता है अथवा राज्य में आवश्यकता से अधिक मात्रा पर ? यदि यह आवश्यकता से अधिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता, तो सरकार उन राज्यों की समस्या कैसे हल करेगी जो अपने यहां आवश्यकता से अधिक मात्रा न खरीद कर केन्द्र से बराबर अधिक मांग करते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आवश्यकता से अधिक वाले राज्यों को सामान्य वर्ष में एक निश्चित मात्रा में केन्द्रीय पूल में धान देना पड़ता है। किन्तु मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उन राज्यों के बारे में कह रहे हैं जो कि कमी के कारण केन्द्र से अधिक मांग करत है और बाजार को नियंत्रित करने के लिये अपने यहां समाहार नहीं करते हैं। मेरे विचार से ऐसा किसी राज्य में नहीं होता। किन्तु अन्ततः यह राज्य में प्रशासनिक कार्य कुशलता पर निर्भर करता है।

श्री स० चं० सामन्त : प्रश्न के भाग (ग) के सन्दर्भ में क्या यह सच नहीं है कि धान का समाहार करते समय परिवार के सदस्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जिससे किसानों में असंतोष है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं। परिवार और उसके सदस्यों का कुछ ध्यान रखा जाता है। किन्तु मैं मानता हूं कि परिवार दिये जाने वाली पूरी मात्रा का शायद ध्यान नहीं रखा जाता है। इसीलिये हम इन सब बातों की पूरी तरह जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल के बाद ही हम वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रख सकेंगे।

श्री वासुदेवन नायर : राज्य मंत्री महोदय ने कहा है कि उत्पादन लागत के आधार पर मूल्य निर्धारित किये हैं और मंत्री महोदय कहते हैं तदर्थ निर्णयों के आधार पर मूल्य निर्धारित किये गये और वह इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये तैयार है। सरकार कब तक उत्पादन लागत का अध्यन करके मूल्य निर्धारित करेगी ताकि किसान बिना कठिनाई के अपनी उपज दे सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कुछ तदर्थ अध्ययन किये गये थे किन्तु वे पूर्णत: संतोषजनक नहीं रहे। इसी लिये कृषि-मूल्य आयोग इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल कर रहा है। आयोग ने इस सम्बन्ध में अध्ययन आरंभ कर दिया है और मैं समझता हूं कि कुछ महीनों में कुछ आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे। किन्तु अध्ययन बराबर चलता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है अत: हमें भी अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न पर कुछ समय लगा चुके हैं। अब अगला प्रश्न लिया जाये।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरिकी संस्था द्वारा खाद्य उत्पादन का सर्वेक्षण

\+

*954. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री लहटन चौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री राम हरख यादव :
श्री धर्म लिंगम :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था ने हमारे देश में 1965–66 में खाद्य उत्पादन का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं और क्या सर्वेक्षण से पता चला है कि इस वर्ष खाद्य उत्पादन 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक नहीं होगा; और

(ग) क्या सरकार इन आंकड़ों से सहमत है और यदि कमी को पूरा करने के लिए कोई उपाय किये गय हैं, तो व क्या हैं ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) भारत सरकार को यू० एस० एड से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री स० चं० सामन्त : क्या संस्था ने कोई अनौपचारिक सर्वेक्षण किया था और, यदि हां तो क्या उसने भारत सरकार से परामर्श किया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : समाचारपत्रों में प्रकाशित विवरण के अनुसार उसने उत्पादन का अनुमान लगाया था। मैं नहीं जानता कि उसने कौन सा तरीका अपनाया। इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता कि उसने सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों को आधार माना है अथवा नहीं।

श्री स० चं० सामन्त : संस्था में कितने व्यक्ति थे और क्या उन्होंने उन विषयों का अध्ययन किया था जिनके बारे में वे कह रहे थे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं बता चुका हूं कि मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। अतः म इस बारे में कोई जानकारी कैसे दे सकता हूं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था ने कहा है कि देश में अनाज वितरण व्यवस्था खराब है ? 80 लाख टन अनाज अभी तक लोगों ने जमा कर रखा है और हम अनाज का आयात कर रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : संस्था ने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

Shri Ram Harakh Yadav : Is it a fact that the survey has revealed that a large quantity of foodgrains is destroyed by insects and rats in our country? May I know the advice given by the U. S. Agency for International Development in this regard and Government's reaction thereon ? What steps are being taken to save this foodgrains ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं बता चुका हूं कि मुझे इस सम्बन्ध में किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार को न तो अमरीकी संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण के बारे में पता है और न ही सरकार ने कोई आंकड़े दिये हैं, तो अमरीकी सरकार बार बार यह कैसे कहती है कि हम 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक अनाज पैदा नहीं कर सकते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह इस सम्बन्ध में नहीं है। 1965–66 में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। किन्तु इस सम्बन्ध एक सर्वेक्षण किया गया था कि यदि हम चौथी पंचवर्षीय योजना में वे सभी योजनाएं क्रियान्वित करे, जो हम करना चाहते है तो हमारा उत्पादन कितना होगा। उसी के आधार इस संस्था ने कहा था कि हम लगभग 960 लाख अथवा 970 लाख टन अनाज पैदा कर सकेंगे जिससे उत्पादन लक्ष्य में काफी अन्तर रह जायेगा। हम इस कमी के प्रति जागरूक है इसी लिये हमें 12.5 करोड़ टन अनाज पैदा करने के लिये कोई नया तरीका निकालना है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या सरकार को समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार का पता है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत हमें खाद्य सहायता देने पर विचार करने से पहले अमरीकी सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि हम अपने कृषि संसाधनों का उपयोग नहीं कर सके क्योंकि भूमि का उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिये अधिक होता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं कह सकता कि .....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का कहना है कि वह इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार का ध्यान भारत में वर्तमान खाद्य कमी के बारे में 31 मार्च के 'न्यूयार्क टाइम्स' के सम्पादकीय में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अनावृष्टि अपरिहार्य है किन्तु मानवीय कारण पुराने तरीके, जाति बन्धन, खेती के लिये बहुत अधिक और बहुत कम भूमि, बाहुल्य वाले स्वार्थी राज्यों का कमी वाले अपने पड़ौसी राज्यों को खाद्यान्न देने से इन्कार करना, जमाखोर, सटोरिये तथा सूदखोर---इसके लिये अधिक दोषी हैं। क्या सरकार इस विश्लेषण से सहमत है और यदि नहीं तो अमरीकी जनता तथा सरकार की गलतफहमी को दूर करने तथा सचाई बताने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने यह सम्पादकीय लेख नहीं देखा। अब मैं इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल करूंगा।

Shri Lahtan Chaudhry : According the estimates regarding production and development published by the Government, only 22 million tonnes production will be possible in 1965-66, and only 18 million acres of land could be irrigated against the fixed target of 29.5 million acres for the purpose. Does Government agree that the back log in irrigation is the main cause of in the short fall in production? What steps are being taken by Government in this connection?

Shri S. D. Misra : According to a statement, given in a reply of a question, the total production foodgrains was etimated 75·91 million tonnes. It is true that only 17 to 19 million acres of land was irrigated under major and medium irrigation schemes against the target 28 or 29 million acres fixed for the purpose. But on the other hand we have exceeded the target of 12·6 or 12·8 million acres fixed under minor irrigation. The short fall in food production target cannot only be attributed to back log in irrigation. No dobut it is one of the factors for short fall.

श्री नाथ पाई : क्या सरकार का ध्यान खाद्य मोर्चे पर मानवीय तत्वों के असफलता के बारे में भारतीय विशेषज्ञों तथा विदेशी विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों की ओर दिलाया गया है और क्या सरकार को पता है कि खाद्य उत्पादन का लक्ष्य 10 करोड़ टन निर्धारित किया था जब कि वास्तविक उत्पादन लगभग 730 लाख टन और 750 लाख टन के बीच हुआ? इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य से 25 प्रतिशत कम उत्पादन हुआ। इस कमी को दूर करने के लिय क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खाद्य लक्ष्य प्राप्त करन के सम्बन्ध में इस वर्ष को समान्य नहीं माना जा सकता है,क्यों माननीय सदस्य जानते हैं कि बारिस न होने यह वर्ष एक असाधारण वर्ष रहा है।

श्री नाथ पाई : किन्तु लक्ष्य 10 करोड़ टन का था।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि इस वर्ष सामान्य रूप से वर्षा होती तो खाद्य उत्पादन 920 लाख टन से 930 लाख टन तक होता। मैं मानता हूं कि सामान्य रूप से वर्षा होने पर भी निर्धारित लक्ष्य से 70 लाख टन अनाज कम पैदा होता। इसी लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक उत्पादन के लिये महत्वपूर्ण कृषि कार्यक्रम बनाया है जिससे हम 12 करोड़ टन तक अनाज पैदा कर सकेंगे। हम मानवीय तत्वों में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या अमरीका तथा कुछ अन्य अभिकरणों द्वारा, जो कि हमारे पैकेज कार्यक्रमों की क्रियान्विति में हमारी सहायता दे रही हैं, कोई सामयिक समीक्षा आरम्भ की गई है और यदि हां, तो हमारे देश में कृषि उत्पादन के संबंध में उनकी क्या राय है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे विश्वास है कि वे हमारे कार्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं। इसी के आधार पर उन्होंने संकेत किया था कि तृतीय योजना की सफलता के आधार पर यदि हम चतुर्थ योजना में उसकी परियोजना बनायेंगे तो हम 12 करोड़ से 12.5 करोड़ टन का उत्पादन कर लेंगे। यही कारण है कि हमने सारे मामले की समीक्षा की और अब हमने एक नया कार्यक्रम निकाला है जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट है। यदि इसको ठीक तरह से क्रियान्वित किया गया तो हम 12 करोड़ से 12.5 करोड़ टन का उत्पादन कर लेंगे।

श्रीमती रेणुका राय : क्या यह सच है कि उन्हीं सूत्रों ने सरकार को संकेत दिया है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि न होने का एक कारण यह है कि भूमि सुधार तथा पट्टादारी पद्धति की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या उपाय करना चाहती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह भी एक कारण है। भूमि सुधार के संबंध में हमने कानून बनाये हैं और हमने उनको क्रियान्वित नहीं किया है। इसलिये, भूमि सुधार के संबंध में काफी अनिश्चितता है और यही कारण है कि हमने राज्य सरकारों से उनको क्रियान्वित करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने को कहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उपसमिति भी है जो स्थिति का लगातार पुनर्विलोकन करती है।

Shri Rameshwaranand : Is it not a fact that the farmer is not being given the adequate supply of water as a result of which he has not been able to produce more foodgrains also, that loan given to him for electricity, tubewell etc. is not disbursed to him and he has to rush from door to door without success? Do Government propose to give some facilities to the farmers in regard to loans?

Shri Shyam Dhar Mishra : It is true that water is very essential for agriculture in India. At present the water potential is also very great. But the exploitation of this potential requires enormous amount of money. Evey year the Government invests large funds in small, medium and big irrigation projects. But apart from irrigation there are other inputs also which also have their own importance. So far as irrigation is concerned, the Government is giving its full attention. Previously the irrigation facility extended only to 55 million acres of land and now it extends to 85-90 million acres of land and it is likely to be extended to 120 million acres of land by the end of the 4th Plan.

Shri Rameshwaranand : You take more than a year in disbursing the loans. Do you propose to make the procedure more simple so that the farmers can get the money in time?

Shri Shyam Dhar Mishra : We are trying to make the money available to the farmers in time.

कृषि उत्पादन के लिये अपेक्षित साधन

***955. श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-उत्पादन के लिये अपेक्षित साधन कृषकों को जुटाने के लिये इस समय बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं; और

(ख) कृषकों को शीघ्रतापूर्वक तथा तत्काल सहायता पहुंचाने की दृष्टि से एक संस्था के माध्यम से उन संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधियां जैसे कृषि सम्भरणों को समन्वित करने के लिए उर्वरक समिति ने एक राष्ट्रीय कृषि सेवा निगम की स्थापना की सिफारिश की है। सिफारिश तथा अन्य प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री लिंग रेड्डी : क्या बीज, उर्वरक, औजार, कीटनाशी दवाइयां आदि देने के संबंध प्रतिवर्ष कृषि की आवश्यकताओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया जाता है ?

श्री श्यामधर मिश्र : जी हां ; एक अनुमान लगाया गया है। वास्तव में, मंत्रालय द्वारा चतुथ योजना के संबंध में एक पत्र परिचालित किया गया था और उसमें हमने उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाइयों आदि की आवश्यकता बताई है।

श्री लिंग रेड्डी : ऋण, बीज, उर्वरक आदि के संबंध में एक वर्ष के लिये हमारी कितनी आवश्यकता है ?

श्री श्यामधर मिश्र : हमने जो पत्र परिचालित किया है उसमें इन सब बातों का उल्लेख है। यदि उनको किसी विशिष्ट मद पर जानकारी चाहिये तो मैं दे सकता हूं।

श्री प्रिय गुप्त : जब कभी सरकार योजनाओं के लिये कुछ उपाय करती है और उनमें कुछ असफलता मिलती है तो उस असफलता का पहले से ही पता लग जाता है। क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि असफलता का मुख्य कारण कार्यक्रमों अथवा उपायों का गलत होना नहीं है अपितु इसका कारण यह है कि खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से लेकर आयुक्त के स्तर तक के अधिकारियों में कार्य कुशलता नहीं है और व भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा सामने रखे गये उपायों अथवा कार्यक्रमों का अनुसरण नहीं करते हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : इन बातों का निरन्तर पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन किया जाता है। मैं मानता हूं कि प्रशासनिक असफलता भी है, परन्तु दूसरी बातों में भी असफलता है, उदाहरणार्थ, अपेक्षित साधनों का न जुटाया जाना, विस्तार के तरीकों को न अपनाया जाना आदि। मानवीय असफलताओं के कारण भी कठिनाई होती है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या सरकार इससे अवगत है कि कृषि की मशीनों की कमी है ? उदाहरणार्थ, जब छिद्रण मशीन के लिये आवेदन पत्र दिया जाता है तो किसानों को कई सालों तक नहीं मिल पाती है। क्या सरकार अधिक संख्या में मशीनें आयात करने पर विचार कर रही हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : इस वर्ष में भी तथा चतुर्थ योजना में भी हम अधिक मशीनें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाई है और हम उसे हल करने का प्रयत्न कर रहे ह।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि एक आयोग नियुक्त किया गया था और आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और उसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक असफलता भी हुई है। आयोग की विशिष्ट सिफारिशें क्या ह और क्या आयोग ने इन खंडों आदि के पुनगठन की सिफारिश की है कि इसका आधार यह हो कि वितरण व्यवस्था उचित हो और केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही सीमित न हो ?

श्री श्यामधर मिश्र : आयोग से मेरा अर्थ उर्वरक समिति से था। उसी समितिने सिफारिश की है कि एक राष्ट्रीय कृषि सेवा निगम स्थापित किये जायें। जहां तक खंडों के प्रशासनिक ढांचों आदि का संबंध है इनके लिये पृथक समितियां नियुक्त की गई थी; डा० राम सुभग सिंह समिति दो वर्ष पूर्व नियुक्त की गई थी और उसने सिफारिशें भी की हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : निगमें स्थापित करने, विशेष रुप से खाद्य निगम स्थापित करने के संबंध में इस मंत्रालय का अनुभव बहुत ही खराब रहा है। फिर, यह मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि सेवा आयोग स्थापति करने क्यों जा रहा है और क्या मंत्रालय इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कृषि सेवा निगम भी अन्य निगमों की तरह असफल न हो?

श्री श्यामधर मिश्र : इस निगम का काम विभिन्न कार्यवाहियों को सम्नवित करना है जैसे कि उर्वरकों, बीजों कीटनाशी दवाइयों आदि का वितरण। मंत्रालयने इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है। मंत्रालय सभी पहलूओं पर विचार करके निणय करेगा।

राशन व्यवस्था लागू किये जाने के पश्चात सहकारी संघों का कार्यक्रम

\+

*956. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जिन सहकारी संघों में आटा, चावल एवं गेहूं के विक्रय का कार्य होता था, राशनिंग शरू होने के बाद क्या उन्होंने ये वस्तुएं बेचना बन्द कर दिया है, और यदि हां, तो इससे इन संघों के कार्य में क्या अन्तर पड़ा है ;

(ख) क्या दिल्ली में सभी उपभोक्ता भण्डारों को इस योग्य नहीं समझा गया है कि वे उपभोक्ताओं को राशन की वस्तुएं बच सकें ; और

(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली में ऐसे कुल कितने उपभोक्ता भण्डार हैं जिन्हे राशनिंग का कार्य नहीं सौंपा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क), (ख) व (ग) : दिल्ली में सहकारी संघ अर्थात भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ, भारतीय सहकारी संघ और दिल्ली सहकारी संघ आटे, गेहूं अथवा चावल की खुदरा बिक्री नहीं करते ह, अतः राशनिंग शुरू होने के बाद उनके द्वारा इनकी बिक्री बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जहां तक उपभोक्ता भण्डारों का प्रश्न है, केवल 158 भण्डारों ने राशन की दुकानों के रूप में उन्हे मान्यता देने के लिए आवेदन पत्र दिए थे और केवल 7 को छोड़कर शेष सभी को राशन की दुकानों के रूप में मान्यता दे दी गई थी।

श्री प्र० चं० बरुआ : उपभोगता सहकारी समितियों को राशन की दुकानों के पर्मिट किस आधार पर दिये गये हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : आधार है सरकार की नीति कि हमें इसको उपभोगता स्टोरों को देना चाहिये और वे जो मात्रा मांगें और जो हम दे सकें उसका वितरण कर सकें। मुख्य उत्तर में मैंने बताया है कि उनमें से लगभग 150 को पहले ही पर्मिट दिये जा चुके ह और केवल 7 को ही नामंजूर किया गया है।

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकार की यह निश्चित नीति है कि विशेष रूप से उपभोगता वस्तुओं के संबंध में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाय। फिर, सरकार उचित रूप से गठित तथा पंजीकृत सहकारी समितियों को तरजीह क्यों नहीं देती है ?

श्री श्यामधर मिश्र : हम वास्तव में उनको अधिमान दे रहे हैं। मुख्य प्रश्न केवल दिल्ली के संबंध में था और इसलिये मैंने वे आकड़े दिये हैं। परन्तु समूचे देश में लगभग 7,000 सहकारी समितियों के पास राशन की दुकानें हैं।

श्री भागवत झा आजाद : यद्यपि ऐसी दुकानों की मांग है जिनके द्वारा कि राशन व्यवस्था को अच्छी तरह चलाया जा सकता है और यद्यपि माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार सहकारी समितियों को अभिमान दे रही है, फिर इसका क्या कारण है कि इसके लिये केवल 150 सहकारी समितियों ने ही आवेदन पत्र दिये। क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यह देखा है कि दिल्ली में अन्य दुकानों की अपेक्षा सहकारी समितियों के अधिक संख्या में आगे न आने के क्या विशेष कारण हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : दिल्ली में इस समय लगभग 389 सहकारी समितियां तथा उपभोगता स्टोर हैं ; 185 केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत हैं; 29 स्टोर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अन्तर्गत हैं; विभिन्न सरकारी कार्यालयों और कैंटीनों में अन्य स्टोर आदि हैं और इनको भी उपभोगता स्टोर के नाम से पुकारा जाता है। अतः संख्या घट कर 225 रह जाती है; इनमें से 158 ने आवेदन पत्र दिये और केवल 7 को ही नामंजूर किया गया। अतः इन आंकड़ों से सिद्ध हो जायेगा कि हमने लगभग उन सभी समितियों को पर्मिट दे दिये थे जिन्होंने आवेदन पत्र दिये थे।

श्री स० चं० सामन्त : यदि सहकारी स्टोरों को राशन का कार्य दे दिया जाता है तो क्या सरकार के व्यय में कोई कमी होगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : कमी का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री प्रिय गुप्त : क्या सहकारी समितियों के राशन की दुकानों के काम के लिये आगे न आने का एक मुख्य कारण यह है कि सहकारी समितियों द्वारा जो कुल व्यय किया जाता है वह क्रय तथा विक्रय मूल्यों के बीच जो अन्तर है उससे पूरा नहीं होता है ? यदि हां, तो भारत में सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार सहकारी समितियों अथवा सहकारी संघों को क्या सहायता देना चाहती है ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह सच है कि सहकारी समितियों को इस कार्य को करने के लिये कभी कभी पर्याप्त मुनाफा नहीं मिलता है, परन्तु इसके अन्य कारण भी हैं। एक कारण तो यह है कि स्टोरों के पास माल रखने की पर्याप्त क्षमता नहीं है ; दूसरा कारण यह है कि स्टोरों ने उस समय आवेदन पत्र दिये जब कि उस बस्ती के लिये आवंटन पहले ही किया जा चुका था और तीसरा कारण यह है कि स्टोरों के पंजीकरण के पहले ही आवेदन पत्र दिये गये। ये कुछ कारण हैं।

कृषि उत्पादन दर का कम हो जाना

*959. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965–66 में कृषि उत्पादन काफी कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) से (ग): एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये संख्या एल० टी० 5973/66 ।]**

Shri Vishwanath Pandey : Why the production has not increased despite the fact that Government has taken so much of measures? Do Government propose to appoint a Commission to look in to this matter?

Shri Shyam Dhar Mishra : We have tried to increase the production of *Rabi* and *Kharip* crops and of vegetables including potato in about four million acres of land. It is hoped that the production will increase by 2-3 million tons. As regards the general question why the agricultural production has not increased, as the hon. Minister just stated that particularly this year there were drought conditions. There has not been such a scanty rainfall for the last 75 years. These are the reasons for the low production.

Shri Vishwanath Pandey : What is the estimated shortage in production year?

Shri Shyam Dhar Mishra : Perhaps last week it was stated here that there will be shortage of about 12.5 million tons. This means that the production this year will be about 76 million tons as against the production of 88 million tons last year.

श्री कंडप्पन : देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने में अधिक जोर प्रतिएकड़ उपज बढ़ाने के लिये अपेक्षित साधनों पर दिया जायेगा या भूमि को खेती योग्य बनाने और मिट्टी संरक्षण पर दिया जायेगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : सभी पहलुओं पर जोर दिया जायेगा। किसी को निकाला नहीं जायेगा।

श्रीमती रेणुका राय : विवरण में यह दिया गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये अल्पकालीन उपायों के रूप में कुछ विशेष उपाय किये गये हैं। क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि जहां पर नलकूप ह वहां या तो पाइप नहीं है या बिजली नहीं है। जहां पर बिजली है वहां कूएं नहीं खोदे गये हैं। ऐसी स्थिति होने के कारण देश के अनेक भागों में अल्पकालीन उपाय नहीं किये जा सके हैं। यदि ऐसा है, तो इस हालात में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह सच है कि पम्पों और नलकूपों के लिये बिजली की आवश्यकता बहुत बढ़ती जा रही है और हम इसकी कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस कार्य के लिये हमने धन राशि दी है।

Shri Bade : How many acres of land has been given to the people in different States? Have you got any data about it ?

Shri Shyam Dhar Mishra : The total cultivable waste land in the country is about 82 million acres, out of which 20.92 acres has been reclaimed in the three Plans. In the next plan we are going to spend about Rs. 60 crores. We hope to reclaim another 4-5 million acres.

Shri Buta Singh : The fertiliser is being sold at exorbitant rates in black-market in Punjab and the farmers are not able to purchase it. In view of this situation what steps are being taken by Government to make the fertiliser available to the farmer at lower rates?

Shri Shyam Dhar Mishra : No doubt it is a problem; but the said part of it is that the prices of fertiliser has gone up not only in India but in all parts of the world. Both the imported and the indigenous fertilisers are pooled and then sold, but even then its price is high. So far as its price is concerned it cannot be called uneconomic. If the farmers are able to get it even at these rates, it is not bad.

Shri Buta Singh : It is sold at the rate of Rs. 50 per bag

Shri Yashpal Singh : Are Government aware that in U.P. 50,000 tube-wells have not been given electric connections? By what time they will be given these connections?

Shri Shyam Dhar Mishra : The State Electricity Board had investigated this matter. I do not know from where the hon. Member has given the figur of 50,000. We were told that money was required for 10,000 tubewells and pumping sets. We have extra money for that. To meet the increasing demand we have earmarked Rs. 9 crores for U. P. for supplying electricity to the farmers. This sum is equal to the combined grants made during the last three years.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि सरकार की त्रुटिपूर्ण योजनाओं के कारण कृषि उत्पादन को क्षति पहुंची है जैसे कि कुछ सिंचाई परियोजनाओं को, जिन्हें कि मंजूर कर लिया गया है और क्रियान्वित किया जा रहा है, पूरा करने के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है, मंजूर शुदा योजनाओं को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है और कृषि की क्षमता का भी पूरा उपयोग नहीं किया गया है ? यदि ऐसा है तो सरकार उन सिंचाई योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिये क्या उपाय सोच रही है जिनका काम प्रगति पर है ताकि उन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके और किसान को लाभ पहुंचाया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जिन परियोजनाओं को थोड़ा धन लगा कर शीघ्र पूरा किया जा सकता है उनको यथा शीघ्र पूरा करने के लिये हमने पर्याप्त धन दिया है । उदाहरणार्थ माननीन सदस्य के राज्य में हमने नगर जूना सागर परियोजना के लिये काफी पैसा दिया है :

पंजाब में बंजर भूमि

*960. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में बंजर भूमि बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने एकड़ भूमि बंजर है ; और

(ग) सरकार ने इस वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होता :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have Government made any survey as to the waste land in Punjab?

Shri Shyam Dhar Mishra : Yes, Sir. In 1963-64 it was 12 lakh 70 thousand acres while in 1961-62 it was 14 lakh acres which shows that it is decreasing and not increasing.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The schemes for the reclamation of the waste land are going very slow. Are any steps being taken to expedite these schemes; also, whether the cultivators and other persons who have been given waste land are satisfactorily employed and whether there has been any increase in production due to that?

Shri Shyam Dhar Mishra : In Punjab, during the three Five Year Plans 3.70, 0.54 and 0.82 lakh acres of land has been given to the cultivators, agricultural labour and other persons. Even after that the waste land remains.

Shri Bade : According to press reports Government have decreased its expenditure on water-logging in Punjab for the last two years. What amount has been spent there and what is the acreage of land affected by water-logging?

Shri Shyam Dhar Mishra : It is true that water-logging problem is most acute in Punjab. In this regard Punjab Government has drawn a scheme two years back which was also scrutinised last year. I do not know the exact amount granted, but this much I can say that the scheme involved a total expenditure of Rs. 63 crores out of which Rs. 23 crores has been spent during the last two years.

Shri Bagri : May I know the acreage, of cultivable waste land in Punjab covered by Railways, canals and forests as also the number of acres distributed amongst the landless labourers out of it so far and the reasons for not distributing the remaining land?

Shri Shyam Dhar Mishra : Two surveys had been conducted in Punjab by the Uppal Committee on cultivable waste. The total cultivable waste land in Punjab is 12 lakh acres. The Punjab Government have drawn a scheme for allotting lands to landless labour, which scheme is a centrally sponsored scheme. That scheme is still in progress and it is not known what amount of work has been completed.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Improvement in Rabi Crop

*957. **Dr. Ram Manohar Lohia** : Will the Ministar of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the places where the situation in regard to rabi crop, fodder, drinking water etc. has improved as a result of rainfall during December, 1965;

(b) whether Government have prepared any estimate about the rabi crop; and

(c) the quantity of foodgrains required to be imported this year and also the quantity which is likely to be received?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shyam Dhar Mishra) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) There was good rainfall towards the middle of December in Maharashtra, Madhya Pradesh, Madras, Mysore, Kerala and parts of Andhra Pradesh, light showers were also received in Bihar and Eastern Uttar Pradesh. These showers were reported to have proved beneficial to the rabi crop and fodder.

(b) Firm estimates of production of rabi crops based on the results of the crop cutting surveys will be available in the All-India Final Estimates of these crops, which are likely to be issued sometime in July, 1966. Taking into account the available reports on weather and crop conditions and preliminary estimates regarding area sown to the crops, it is expected that the production of rabi crops (wheat, barley and gram) may show a decline of about 1·7 million tonnes as compared to 1964-65 when it was 20·3 million tonnes.

(c) A minimum quantity of about 12 million tonnes of foodgrains would need to be imported in 1966 to meet our requirements. The actual imports would depend on the availability from other countries. The present firm commitments are of the order of 6·5 million tonnes. Negotiations for further quantities of food grains are in progress.

राजस्थान में सहकारी खेती

***958. श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी खेती के मामले में देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ;

(ख) राजस्थान में सहकारी खती वाली भूमि का गैर-सहकारी खेती वाली भूमि की तुलना में अनुपात क्या है ; और

(ग) सहकारी खती के अन्तर्गत "अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन" को प्रोत्साहन देने के लिये क्या अतिरिक्त उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तीसरी योजना में प्रायोगिक परियोजना क्षेत्रों में 260 सहकारी खेती समितियों के लक्ष्य के मुकाबले में फरवरी, 1966 के अन्त तक 206 समितियाँ गठित की जा चुकी हैं। एक विवरण, जिसमें सहकारी खती समितियों के गठन के बारे में राज्यवार प्रगति दी गई है, सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5977/66।]**

(ख) सहकारी खेती के अन्तर्गत कुल काश्त क्षेत्र का केवल 0.3 प्रतिशत भाग है ।

(ग) सहकारी खेती समितियों को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विकास विभागों द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता तथा तकनीकी मार्गदर्शन देने का प्रस्ताव है ।

भारत को जहाज द्वारा भेजा गया ब्रिटिश उवरक

***961. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्भिक्ष सहायता संबंधी आक्सफोर्ड कमेटी ने भारत को ब्रिटेन द्वारा दिये जाने वाला उर्वरक जहाज से भेजा था जिससे कि वह जनवरी के मध्य तक भारत पहुंच जाए ;

(ख) क्या यह उर्वरक मैसूर में संकर मक्का के अधिक मात्रा में उत्पादन सम्बन्धी "क्रैश" कार्यक्रम के लिए दिया गया था ; और

(ग) सप्लाई किये गये इस उर्वरक के प्रयोग से अनुमानतः कितना अनाज पैदा हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) उर्वरक मैसूर राज्य के तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र में संकर मक्का से अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए दिया गया था ।

(ग) लगभग 30,000 मीटरी टन खाद्यान्न ।

Estimate of People affected by famine

***962. Shri P. C. Borooah :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanata :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the Food and Agriculture Organisation's report that over 100 million people including 18 million children are being affected by famine in India; and

(b) if so, how far Government's estimates agree with it?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) Government are not aware of any report of the F. A. O. to this effect.

(b) According to the reports of the Central teams which visited the drought affected States, about 50 million people including children are estimated to have been affected by scarcity in these States.

रबी की फसल के लिये उर्वरक

***963. श्री मा० ल० जाधव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की सप्लाई न होने तथा अपर्याप्त सप्लाई के कारण रबी की फसल को इस वर्ष हानि पहुंची है; और

(ख) भविष्य में उपयुक्त समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक सप्लाई करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) देश में 1965-66 के दौरान उर्वरकों की कमी होने के बावजद भी रबी आन्दोलन के लिए राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा किया गया ।

3—50 Lok Sabha/66

(ख) मौजूदा उर्वरक कारखानों की क्षमता बढ़ाने और देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जहां तक सम्भव है मांग तथा सप्लाई के अन्तर को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में उर्वरकों का हर वर्ष आयात भी किया जा रहा है। इन उपायों के फलस्वरूप 1966–67 के दौरान उपलब्धि 9 लाख टोन्ज़ होने की आशा है जबकि 1965–66 में लगभग 6 लाख टोन्ज़ की उपलब्धि थी। किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक सप्लाई करने हेतु रेल द्वारा गमनागमन को अनुपूरित करने के लिए सड़क के गमनागमन की अनुमति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को रिबेट दे दी जाती है ताकि वे खाद मौसम से पहले ही अपने गोदामों में उर्वरक के स्टाक रख सकें।

Food Production in Bihar

***964. Shri Lahtan Chaudhry :**
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Bihar is self-sufficient in foodgrains and if not, the extent of shortage of foodgrains yearly in that State; and

(b) the steps being taken by Government to supply foodgrains to Bihar during the current year?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) In an average year, Bihar is not self-sufficient in foodgrains. The consumption of foodgrains in an underdeveloped country like India, however, varies considerably from year to year depending on production, carry-over stocks, population, *per capita* income, etc. It is, therefore, difficult to estimate the extent of shortage of foodgrains in any State in India in any particular year.

(b) Central Government have made arrangements to supply as large a quantity of foodgrains to Bihar as is consistent with the overall supply position and the requirements of other deficit States.

Japanese Experts

***965. Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Himatsingka :**
Shri Omkar Singh : **Shri Rameshwar Tantia**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Basumatari :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Japanese humanitarian organization has offered the services of two thousand Japanese engineers, experts and agro-industrial workers to render assistance in technical know-how in connection with India's food problem, and

(b) If so, when they are coming and who would bear their expenditure ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) (a) & (b) . An organisation named O. I. S. C. A. International (Organisation for Industrial,

Spiritual and Cultural Advancement) has proposed to assist in agricultural production programme but no specific number of personnel has been offered. The Organisation has been requested to send definite proposals giving details which would be examined by the various Ministries and authorities in Government before any decision is taken in the matter

फारस की खाड़ी में व्यापार के लिए भारतीय जहाज

*966. **श्री प० चं० बर्मन :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय नौवहन बोड की 20वीं बैठक में इसके सभापति ने इस तथ्य की ओर सरकार का तत्काल ध्यान आकर्षित कराया था कि भारतीय जहाज के लिए, विशेषत: फारस की खाड़ी में व्यापार के लिए, लाभप्रद काम नहीं मिलता है, और अन्य अनेक कारणों से, जैसे बीमा की दरों में अन्तर; कुछ पत्तनों पर लगाया गया अधिभार और बंकर तेल प्राप्त करने में कठिनाई के कारण इस उद्योग को अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय नौवहन मंडल ने एक उप-समिति गठित की है जिस में अन्य के अतिरिक्त पाल पोत उद्योग, वाणिज्य, वित्त (आर्थिक मामलों का विभाग) मंत्रालय और भारतीय बीमा संगठन के प्रतिनिधि हैं । ये इस मामले की जांच करेंगे इस मामले में मंडल की सिफारिश पाने पर और आगे कार्यवाही की जायगी । इस बीच बेकार पड़े पाल पोतों के लिये रोजगार खोजने के लिय नौवहन के महानिदेशक द्वारा प्रयास किया जा रहा है ।

तूतीकोरिन बन्दरगाह

*967. **श्री मुथिया :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 8 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1750 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अपनी मंजूरी पूरी तरह दिए जाने के बाद भी तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा अनुमानित खर्च को मंजूरी तथा अनुमोदन देने में विलम्ब होने का क्या कारण है;

(ख) टैन्डर मांगने के बारे में तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति के बावजूद भी बन्दरगाह के मुख्य निर्माण कार्यों के लिए टैन्डर न मांगने के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार का विचार अनिर्णित पड़े हुए सभी प्राक्कलनों को कब मंजूरी देने का है; और

(घ) इस परियोजनको 1969 तक पूरा करने के उद्देश्य से क्या सरकार का विचार वर्ष 1966–67 में और अधिक धनराशि नियम करने का है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : तक एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख) : पुनरीक्षित परियोजना योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की जानी है ।

(ग) और (घ) : मुख्य हारबर निर्माण कार्य में उत्तरी और दक्षिणी पनकटों का निर्माण, दक्षिणी पनकट के साथ साथ रेल और सड़क के पहुंच मार्ग और दोनों पनकटों से घिरे हुये बेसिन के समुद्री किनारे पर बर्थों का निर्माण शामिल है । पनकटों के निर्माण के पहले मंजूर किये जाने का प्रस्ताव है क्योंकि इस में समय अधिक लगेगा और बर्थ तब ही बन सकती है जब पहले पनकट तैयार हो । इस परियोजना से संबंद्ध प्रारंभिक कामों में और पनकटों को 3 मीटर की गहराई तक बनाने में पहले ही 5 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं । पनकटों को 3 मीटर से 5 मीटर गहराई तक बनाने के काम को हाल ही में मंजूरी दी गयी है । इस परियोजना के और आगे के अनुमान, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की इस कार्य के वार्षिक व्यय की सहमति प्राप्त करने के बाद मंजूर किये जाएगे ।

लुग्धी वाली लकड़ी

*968. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लुग्धी वाली लकड़ी की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) कागज़ और लुग्धी की कच्ची सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा संचालित "शीघ्र उगने वाली किस्मों का रोपण" सम्बन्धी योजना को तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल कर लिया गया है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1,37,500 एकड़ भूमि के लक्ष्य के मुकाबले पूर्वानुमान के अनुसार 1,70,000 एकड़ भूमि में रोपण हुआ है । चौथी योजना में इस योजना के अन्तर्गत 10.00 लाख एकड़ भूमि में रोपण करने का प्रस्ताव है ।

पर्यटकों के लिये होटल

*970. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटकों के लिये अधिक सुविधायें प्रदान करने तथा विदेशी मुद्रा कमाने की दृष्टि से तीसरी योजना में पर्यटकों के लिये कितने होटल बनाने का काम आरम्भ किया गया; और

(ख) उन्हे पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यटक विभाग ने पर्यटन रुचि के विभिन्न स्थानों में 16 पर्यटक बंगले और विश्राम कक्षों के निर्माण का काम हाथ में लिया था । इन पर्यटक बंगलों में 4 से 16 तक की शय्या क्षमता है और इन में वे सुविधायें दी जाती हैं जो एक स्टार और दो स्टार होटलों की सुविधायों से मिलती

जुलती हैं। इन पर्यटक बंगलो के अलावा सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में 3 होटल स्थापित किये। वे ये हैं :—

1. लक्ष्मी विलास महल होटल, उदयपुर
2. होटल रनजीत, नई दिल्ली
3. लोधी होटल, नई दिल्ली

पर्यटक विभाग गैर सरकारी दलों से प्राप्त उन होटल परियोजनाओं का अनुमोदन करता है जो विदेशी पर्यटकों के व्यवहार के लिये उपयुक्त समझ जाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में गैर सरकारी दलों से प्राप्त 45 होटल परियोजनायें अनुमोदित की गई हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिन 16 पर्यटक बंगलो। विश्राम कक्षों का काम हाथ मे लिया गया था उनमें से 15 पूरे हो चुके हैं और एक पूरा होने के निकट है। गैर सरकारी दलों से प्राप्त 45 होटल परियोजनाओं में से 21 होटल पूरे हो गये हैं, 18 होटल परियोजनाये निर्माणाधीं हैं और शष 6 पर विचार होना बाकी है।

कुछ वस्तुओं का एक राज्य से दुसरे राज्य में लाया ले जाया जाना

*971. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत सरकार को अधिभावी शक्तियां प्राप्त हैं और उसने मूंगफली की खली, बिनौलों, चावल के चोकर और नारियल के तेल की खली को लाने-ले-जाने के नियंत्रित करने की शक्ति अपने हाथ मे ले ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। मूंगफली की खली, बिनौलों, चावल के चोकर और नारियल के तेल की खली के लाने-ले-जाने के नियंत्रण के लिए भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को भारत सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती है।

(ख) इसका कारण इस बात का सुनिश्चय करना है कि राज्य सरकारें इन पण्यों के खुले लाने-ले-जाने पर एकतरफा प्रतिबन्ध न लगा सकें जिनसे कि अन्य राज्यों व सारे देश के हितों को हानि पहुंचे।

खेती के उन्नत तरीके

*972. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि, अनुसन्धान संस्था ने इस बात का प्रदर्शन किया है कि खेती के कुछ उन्नत तरीकों को अपना कर भारत की धान की पैदावार में चौगुनी वृद्धि की जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इस संस्था ने क्या कार्यवाही करने के सुझाव दिये हैं ; और

(ग) उन सुझावों को कार्यरूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) संस्थान ने दिल्ली राज्य के दो गांवों में किसानों के खेतों में प्रदर्शन किया है कि धान की पैदावार में चौगुनी वृद्धि की जा सकती है ।

(ख) उन गांवों में संस्थान के सुझाव पर धान की खेती के वैज्ञानिक तरीके जिनमें उगने के ठीक अवसर पर बीजों का सामयिक प्रतिरोपण, उर्वरकों का उचित प्रयोग तथा कीट-नियंत्रण शामिल हैं अपनाए गए ।

(ग) धान की खेती के वैज्ञानिक तरीकों के सम्बन्ध में किसानों को शिक्षा देने के लिये राष्ट्रीय प्रदर्शन परीक्षणों का एक विस्तृत कार्यक्रम 1966–67 के दौरान शुरू किया जाना है और प्रदर्शनों की संख्या 1000 तक बढ़ानी है । ये राष्ट्रीय प्रदर्शन कृषि अनुसन्धान केन्द्रों अथवा शिक्षा केंद्रों द्वारा समस्त देश में कृषकों के खेतों में चलाये जायेंगे ।

मैक्सिकों के 'ड्वार्फ' किस्म के गेहूं की खेती

*973. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने इस वर्ष रबी की फसल में बोने के लिये मैक्सिकों का "ड्वार्फ" किस्म का "सोनोरा 64" गेहूं दिया है ;

(ख) इस किस्म का गेहूं किन-किन क्षेत्रों में बोया गया है ;

(ग) इस किस्म के गेहूं की पैदावार कैसी हुई है तथा इस की कैसी फसल होने की अब तक की आशा है ; और

(घ) क्या अगली खरीफ की फसल में बोये जाने के लिये विशेष किस्म का धान दिया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) सैन्ट्रल वैरायटी रिलीज़ कमेटी जो इस कार्य के लिये बनाई गई थी ने 10–1-66 को हुई अपनी बैठक में मैक्सिको का "ड्वार्फ" किस्म का "सोनोरा 64" गेहूं दिया है ।

(ख) जानकारी राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) वर्तमान उपज से मालूम होता है कि इस किस्म के गेहूं की पैदावार उत्साहवर्धक होगी । समस्त सम्बन्धित वस्तुओं के उपयोग से एक टोन अनाज प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त उत्पादन हो सकता है ।

(घ) जी हां, सैन्ट्रल वैरायटी रिलीज़ कमेटी ने 10–1–66 को हुई अपनी बैठक में धान की किस्म टाईचुंग नेटिव 1 देना अनुमोदित किया है ।

तटीय जहाजरानी

*974. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड ने तटीय जहाजरानी की समस्याओं को हल करने के लिये एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की इस के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी):(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5979/66।**]

D.T.U. Buses Lying Idle for Want of Spare Parts

*975. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Omkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than 200 buses of the Delhi Transport Undertaking are lying idle because of the shortage of foreign exchange required for import of spare parts ; and

(b) if so, reasons for not granting requisite foreign exchange to import their spare parts ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) No, only 132 vehicles are at present grounded.

(b) Import licences of the value of Rs. 12 lakhs were granted to the Delhi Transport undertaking during 1965-66 for import of essential spare parts. The full demand of the Undertaking for this purpose could not, however, be met in view of the acute foreign exchange position.

Jayanti Shhipping Company

*976. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Basumatari :**
Dr. Ram Manohar Lohia : **Shri P. C. Borooah :**
Shri Maurya : **Shri Hari Vishnu :**
Shri S. M. Banerjee : **Shri Hari Vishnu Kamath :**

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1311 on the 1st March, 1966 and state :

(a) whether the allegations made in regard to the affairs of the Jayanti Shipping Company have been looked into ;

(b) if so, the outcome thereof and the action taken thereon ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) The affairs are being looked into now.

(b) & (c). Do not arise.

खेती बाड़ी में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग

*977. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक, विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि के लिये रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किये जाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इससे खाद्य समस्या को हल करने में बहुत सहायता मिल सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5980/66।**]

खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा भारत को दुध के पाउडर की सप्लाई

*978. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने भारत को दूध का पाउडर देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा किन शर्तों पर; और

(ग) क्या इस सम्बंध में कोई करार किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : विश्व खाद्य कार्यक्रम जोकि खाद्य तथा कृषि संगठन का एक सम्बद्ध संगठन है, ने भारत को 7,300 मीटरी टन सपरेटा पाउडर देना मान लिया है । देश के अभावग्रस्त क्षेत्रों में यह पाउडर मुफ्त बांटा जाएगा ।

(ग) जी हां ।

कारवार बन्दरगाह

*979. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य ने केन्द्र से प्रार्थना की है कि कारवार पत्तन के विकास के काम का क्रियान्वयन केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कारवार पत्तन के विकास पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

1960 में मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति ने सिफारिश की कि कारवार का विकास दो क्रमों में किया जाना चाहिये । पहले क्रम में उसे 5 लाख टन कच्ची धातु एक लाख टन मंगानीज और 50,000 टन सामान्य माल प्रति वर्ष उठाने धरने वाला अच्छी मौसम वाला कुशल पत्तन बनाना । दूसरे क्रम में एक बर्थ वाला बारहमासी पत्तन के रूप में बदलने का विचार है बशर्ते परीक्षण यह सिद्ध कर दे कि देखरेख करने के लिये निकर्षण पर अधिक खर्च न होगा । यह काम तब ही शुरू किया जायगा जब यातायात 5 लाख टन वार्षिक सीमा से अधिक हो और विकास बुद्धि संगत हो । केन्द्रीय क्षेत्र में 32.3 लाख रुपये की अनुमोदित व्यवस्था के विपरीत मैसूर सरकार ने कारवार के प्रथम क्रम के निर्माण कार्यों पर 27.59 लाख रुपये तीसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च किये हैं । दूसरे क्रम की लागत राज्य क्षेत्र से पूरी की जानी थी । जहां तक दूसरे क्रम के निर्माण कार्यों का संबंध है, मैसूर सरकार ने 31-12-65 तक 11.6 लाख रुपये खर्च कर लिये है । राज्य सरकार ने कारवार के दूसरे क्रम के विकास की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है । कारवार को बारहमासी पत्तन के रूप में विकास करने के लिये 2 करोड़ रुपये का अनुमान है । राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि कारवार के विकास के लिये, जिसमें मशीन द्वारा माल धरने उठाने की व्यवस्था भी शामिल है, चौथी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में व्यवस्था की जानी चाहिये । मध्यवर्ती और छोटे पत्तनों से संबंध चौथी योजना के प्रस्तावों की अभी परीक्षा की जा रही है ।

खेती के आधुनिक तरीके

*980 **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों को खती के आधुनिक तरीकों से परिचित कराने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वे कार्यवाहियां क्या है और वे किन किन क्षेत्रों में की गई है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5981/66 ।]**

केरल सड़क परिवहन निगम

3214. श्री अ० क० गोपालन : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सड़क परिवहन निगम ने मालाबार क्षेत्र के कुछ बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और किन-किन मार्गों का ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): केरल राज्य सडक परिवहन निगम का निम्न चार मार्गों पर बस सेवायें चलाने का प्रस्ताव है। यह इन भागों या उनके मार्गों पर मौजूदा सेवाओं की अनुपूर्ति के लिये है :—

1. इरनाकुलम्—पय्यान्नूर
2. कोजीकोडे—मननथोडी
3. इरनाकुलम—पालघाट
4. कन्नानूर—कसारगोडे

चूंकि उपरोक्त सब मार्गों के बारे में मोटर वेहिकिल एक्ट 1939 के अन्तर्गत निर्धारित औपचारिकताय पूरी नही की जा सकी हैं, अतः यह नहीं बताया जा सकता कि निगम उन मार्गों पर कब से सेवायें चलायगा।

भूमि संरक्षण

3215. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलेप्पी जिले की जिला विकास समिति ने भूमि संरक्षण कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कितनी पंचायतों तथा कितने एकड़ भूमि में शुरू किया जायेगा ;

(ग) क्या समिति ने अरूर की 4 मील लम्बी सिंचाई नहर को चौड़ा तथा गहरा करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य पर कितनी राशि खर्चने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 5 पंचायतों में लगभग 12,600 एकड़ भूमि संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत आ जायेगी, ये योजनायें या तो चालू हैं या शुरू की जाने वाली हैं। आग की जिन योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 15,300 एकड भूमि आनी है उन पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ग) जी नही, अरूर में नहर निर्माण के लिये भूमि संरक्षण के कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव नही है। लेकिन अलैपी के लिये जिला भूमि विकास समिति ने थिरूवैला तालूक में अरूर बालिया थोडू को लगभग 4 मील गहरा और चौडा करने का प्रस्ताव रखा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

केरल में चावल के क्रय विक्रय का समाप्त किया जाना

3216. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में चावल का खुले तौर पर क्रय विक्रय समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) क्या एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम में गेहूं से बने पदार्थ को लोक प्रिय बनाने की कोई योजना है;

(ग) क्या गेहूं के अतिरिक्त मैदा तथा सूजी के पैकेट भी उपलब्ध किये जायेगें;

(घ) प्रत्येक पैकेट का मूल्य क्या होगा? और

(ङ) क्या प्रत्येक जील में प्रबन्ध करने की सरकार की कोई योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ङ) : सारे केरल में गेहूं और गेहूं से बने पदार्थों को लोकप्रिय बनाने की प्रत्येक कोशिश की जा रही है ।

(ग) जी हां ।

(घ) मैदा का खुदरा बिक्री भाव 8 6 पैसे प्रति किलोग्राम और सूजी का 9.3 पैसे प्रति किलोग्राम है ।

सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार

3217. श्री लखमू भवानी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में विभिन्न कार्यालयों द्वारा स्थापित किये गये सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके काम काज को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं । सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं । अन्य सरकारी कार्यालयों के 33 भण्डारों में से केवल 5 को गत वर्ष मामूली व्यापार सम्बन्धी घाटे हुए, किन्तु कुल मिलाकर सभी भण्डारों का कार्य सन्तोषजनक रहा ।

(ख) व (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

गोले का तेल तथा गरी के मूल्य

3218. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोले का तेल तथा गरी के मूल्य हाल में एकदम गिर गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो मूल्य कितने गिर गये हैं ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) नवम्बर, 1965 से गोले के तेल तथा गरी के मूल्यों में कुछ गिरावट आई है ।

(ख) नवम्बर, 1965 से साप्ताहिक मूल्यों को प्रदर्शित करने वाले संलग्न विवरण में गिरे हुए मूल्य दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी० 5982/66 ।]**

(ग) कुछ मौसम के कारण भी इस समय मूल्यों में गिरावट हुई है ।

डबोलिम में इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन के 'वाइकाउन्ट' विमान के इंजन का खराब हो जाना

3219. श्री राम हरख यादव : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 मार्च, 1966 के प्रातःकाल इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का 'वाइकाउंट' विमान का इंजन जिसमें 40 यात्रियों को लेकर डबोलिम से बम्बई के लिये उड़ान भरी, अचानक खराब हो गया और विमान तुरन्त हवाई अड्डे पर वापस लौट आया ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : जी, हां, 11 मार्च, 1966 को डबोलिम विमानपत्तन से बम्बई के लिये उड़ान लेते समय विमान के काकपिट में धूंआ और जलने की गंध के कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउंट को जिसमें 44 यात्री थे, एहतिहात के तौर पर डबोलिम में उतरना पड़ा। सब यात्री और कारुकदल सुरक्षित रहे। जांच से पता चला कि बिजली के इन्वर्टर के अधिक गरम हो जाने से धूंआ और जलने की गंध आने लगी थी।

अम्बलवायल में फार्म

3220. श्री वासुदेवन नायरन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में अम्बलवायल स्थित सरकारी फार्म के कर्मचारियों ने सरकार को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उनके बारे में कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो क्या ; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) : पूछी गई जानकारी केरल सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

Acquiring of land for a National Highway

3221. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the best land of the farmers of the village Bariyarpur has been acquired for the National Highway leading to Kathmandu *via* Motihari in the District Champaran, Bihar, while alternative land for that purpose was available ; and

(b) if so, whether any proposal is under consideration to see that justice is done to the farmers ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) & (b). A statement giving the required information is attached.

Statement

Some land belonging to the villagers of Bariyarpur has been acquired for the construction of a byepass at Motihari for National Highway No. 28-A. Three alternative alignments were considered for this byepass. One alignment was not suitable as it passed through congested area of Motihari town and involved acquisition of many pucca structures. The second alignment was also not found suitable as it passed through the lake at two places. The last stretch of this alignment also passed through village Singhai. Ultimately, an alignment which avoided the congested parts of the town and also avoided the lake, was considered as the most suitable one. This alignment also provided good geometric features.

The villagers whose land has been acquired for the purpose of this byepass, will be given suitable compensation on the basis of assessment of the Revenue authorities.

वन अनुसंधान संस्था का प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र

3222. श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री उटिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 7 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2004 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन अनुसंधान संस्था का प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या तत्संबंधी प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका पूरा ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश सरकर ने सूचित किया है कि प्रस्तावित अनुसंधान केन्द्र के लिये 257 एकड़ भूमि छांटी गई थी और अब तक उन्होंने भारत सरकार को सौंपने के लिये 231.86 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमान तैयार करने के लिए कहा गया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

कोलाघाट मे पुल

3223. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर कोलाघाट में रूपनारायण नदी पर एक सड़क पुल के निर्माण कार्य में आज तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह निर्माण कार्य 1966 तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) निर्णय लिये जाने तथा टेंडर मंजूर किये जाने के पश्चात् इस काम मे वर्षवार कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) (15 मार्च, 1966 तक) राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 6 पर कोलाघाट के पास के रूपनारायण पुल के निर्माण कार्य की प्रगति 67 प्रतिशत है।

(ख) दिसंबर, 1966 तक उपरी संरचना की कड़ियों के रखे जाने की, और पुल के यातायात योग्य बनाये जाने की आशा है।

(ग) मई, 1961 में निर्माण कार्य का टेंडर स्वीकार किया गया था। ठेकेदार ने फरवरी, 1962 से भौतिक रूप से निर्माण कार्य शुरू किया। लेकिन बीच का समय सामान और मशिने इकटठा करने और नकशों और डिजाइनों के तयारी में उपयुक्त किया गया। भौतिक रूप से शुरू होने के समय से जो प्रगति हुई वह अलग अलग वष के रूप में नीचे दी जा रही है :—

1961–62 . . .	4.0 प्रतिशत	
1962–63	21.0 ,,	
1963–64	9.5 ,,	
1964–65	16.5 ,,	
1965–66	16.0 ,,	(15 मार्च, 1966 तक)
	67.0 ,,	

बीकानेर में सडकें

3225. **श्री कणीसिंहजी** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली-बीकानेर, बीकानेर-गंगानगर और बीकानेर-फलौदी सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : इन तीनों सड़कों की 1968 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है। दिल्ली-बीकानेर सड़क का हिसार-बीकानेर सेक्शन निर्माणाधीन है। दिल्ली और हिसार के बीच में राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 10 के भाग के रूप में एक सड़क मौजूद है।

संयुक्त स्कंध (ज्वायंट स्टाक) बीज फार्म

3226. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री रामपुरे :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 868 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच योजना आयोग ने बेकार पड़ी भूमि पर बीज फार्म बनाने के हेतु संयुक्त स्कन्ध समवाय स्थापित करने की योजना पर विचार कर लिया है, और उसे अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामधर मिश्र) : (क) और (ख) : इस विषय को व्यावहारिक नहीं समझा गया।

कीटनाशक दवाईयां

3227. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष विभिन्न फसलों की कीड़ों से रक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों में काश्त की जानेवाली कुल कितने प्रतिशत भूमि में कीटनाशक दवाइयां छिड़की गई; और

(ख) उक्त अवधि में कीटनाशक दवाइयों का कितना आयात किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामधर मिश्र): (क) 1964-65 की अवधि में विभिन्न राज्यों में जितनी भूमि कृषिगत थी उसके लगभग 10 प्रतिशत भाग में वनस्पति रक्षा सम्बन्धी कार्य किया गया। फसलवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1964-65 में लगभग 37,000 टन कीटनाशी औषधियों का प्रयोग किया गया इसमें से लगभग एक तिहाई मात्रा का आयात किया गया था।

Ships for import of Foodgrains

3228. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the names of the countries approached for ships for importing foodgrains from different countries;

(b) the names of the countries which are ready to provide ships; and

(c) the number of ships and the quantity of foodgrains arranged for the shipment to India up-to-date ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). In the context of the anticipated heavy imports of foodgrains to tide over the present scarcity conditions, shipping assistance, including monetary assistance for meeting the freight charges, was sought from Australia, Austria, Argentina, Belgium, Canada, Denmark, France, Greece, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, U. K., the Vatican, West Germany, Yugoslavia and U. S. S. R. Only the Government of Yugoslavia offered two ships with total capacity of about 20,000 tons on charter, for making one or two voyages each. Since we were able to find the requisite number of vessels on charter in the usual course the offer was thankfully declined. There has been no other definite offer of ships so far.

Establishment of Seed Farms

3229. **Shri Bibhuti Mishra** :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yashpal Singh :
Shri Linga Reddy :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of seed farms established so far and the number of such farms whose establishment is under consideration;

(b) the names of States with location of seed farms in both these categories;

(c) the crops for which these will be meant;

(d) the quantity of seeds likely to be produced by them;

(e) the rates at which the different varieties of seeds will be supplied to the farmers; and

(f) whether Government have formulated a scheme for automatic supply of all varieties of seeds to the farmers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) to (f). The required information is being collected from the State Governments/ Union Territories and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

पटसन विकास परिषद्

3230. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक पटसन विकास परिषद् स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो परिषद् के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) क्या परिषद् इस प्रकार के अन्य देशों सम्बन्धी विकास कार्यक्रमों पर भी विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण नत्थी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-5983/66 ।]**

(ग) जी हां ।

खाद्य की कमी को पूरा करने के लिए नीदरलैंड से सहायता

3231. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री रामपुरे :

श्री मुहम्मद कोया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की खाद्यान्न सम्बन्धी वर्तमान कमी को देखते हुए नीदरलैंड की सरकार भारत को अपनी कृषि में सुधार करने के हेतु सहायता देने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) क्या सरकार ने अपनी विशिष्ट परियोजनाओं को चलाने के लिए प्रस्तावित सहायता स्वीकार कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शामधर मिश्र) : (क) नीदरलैंड की सरकार ने भारत में कृषि की उन्नति की परियोजना के लिए उपहार के रूप में 10 लाख गिल्डरों की पेशकश की है।

(ख) भारत सरकार ने पेशकश का स्वागत किया है। सरकार का प्रस्ताव है कि इस राशी का उपयोग महाराष्ट्र राज्य के सूखे से प्रभावित लगभग 12,000 एकड क्षेत्र मे ज्वार बाजरे की अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती के कार्यक्रम के लिए किया जाए।

(ग) नीदरलैंड सरकार अभी इस मामले पर विचार कर रही है।

पश्चिम बंगाल में राशन का कोटा

3232. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में प्रति राशन कार्ड प्रति व्यक्ति को दी जाने वाली खाद्यान्न की मात्रा राशन व्यवस्था वाले अन्य राज्यों में मिलने वाले राशन की मात्रा से कम है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस असमानता को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) हाल ही में पश्चिमी बंगाल के सांविधिक राशन वाले क्षेत्रों में राशन पर दी जाने वाली मात्रा बढ़ाकर 2 किलोग्राम प्रति व्यस्क प्रति सप्ताह कर दी गयी है। यह मात्रा अन्य राज्यों के सांविधिक राशन वाले क्षेत्रों में निर्धारित मात्रा से कम नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में पर्यटन केन्द्र

3233. **श्री रामचंद्र उलाका** :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 उड़ीसा में कुछ पर्यटन केन्द्रो का विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उड़ीसा के जिन विद्यमान पर्यटन केन्द्रों का 1964-65 और 1965-66 में अब तक विकास किया गया है उनका ब्यौरा क्या है?

परिवहन, उडडयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेडडी) : (क) और (ख) : 1966-67 में रंभा और कुनारक पर (द्वितीय श्रेणी) पयटक बंगले पूण होने का प्रस्ताव है। 1966-67 की वार्षिक योजना में केन्द्रीय सरकार की कोई नई योजना सम्मिलित नहीं की गयी है। फिर भी चतुर्थ योजना में कोनाक की विकास की समेकित योजना है।

(ग) कुनार्क और रंभा पर 1964-65 और 1965-66 में (द्वितीय श्रेणी) पर्यटक बंगलों का निर्माण होता रहा। फिर भी उड़ीसा में निम्न योजनायें द्वितीय और तृतीय योजना काल में शुरू की गयी और पूरी हो गयी।

	वास्तविक लागत
भुवनेश्वर	
प्रथम श्रेणी पर्यटक बंगला	2,16,000 रुपये
द्वितीय श्रेणी पर्यटक बंगला	1,50,000 ,,
पर्यटक कार्यालय	18,000 ,,
पुरी	
द्वितीय श्रेणी बंगला	1,50,000 ,,
पर्यटक कार्यालय	18,000 ,,
कुनार्क	
प्रथम श्रेणी पर्यटक बंगला	2,06,000 ,,
रूरकेला और हीराकुड	
पर्यटक कार्यालय	36,000 ,,

उड़ीसा को सहायता

3234. **श्री रामचंद्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में उड़ीसा राज्य में (1) पशु पालन, (2) डेरी उद्योग तथा दुग्ध सम्भरण, और (3) मछली पालन के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उस राज्य को वस्तुत: कितनी धनराशि दी; और

(ख) उड़ीसा में इसी अवधि में उपरोक्त योजनाओं पर अब तक वस्तुत: कितनी धनराशि खच हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : पुछी गई जानकारी निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

कार्यक्रम	1965-66 में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सहायता		1965-66 में राज्य सरकार द्वारा बताया गया पूर्वानुमानित व्यय
	ऋण	अनुदान	
पशु-पालन	3.45	16.21	133.24
डेरी तथा दुग्ध सम्भरण	..	8.44	
मछली पालन	34.17	6.30	77.44

उड़ीसा में छोटी बन्दरगाह

3235. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में छोटी बन्दरगाहों के विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1966-67 में राज्य में छोटी बन्दरगाहों के विकास के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

परिवहन, उड्डयन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से मालूम कर लिया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में छोटी पत्तनों के विकास पर निम्न सूचित व्यय किया गया है :—

पत्तन का नाम	विकास के लिये व्यय की हुई राशि (रुपये लाखो में)
चन्दबली	2.76
गोपालपुर	4.56

(ग) उड़ीसा सरकार ने 1966-67 में चन्दबली के पत्तन के विकास के लिये 5 लाख रुपये के व्यय के लिये और गोपालपुर के पत्तन के लिये 12 लाख रुपये के व्यय के लिये केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति की प्रार्थना की है । यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

रबी की फसल के लिये उड़ीसा को सहायता

3236. श्री रामचंद्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हाल ही में कोई सहायता मांगी है, ताकि राज्य में रबी की अच्छी फसल हो सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार के लिए 25 लाख रुपए का एक अल्पकालीन ऋण मंजूर किया गया है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

3237. श्री रामचंद्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1965-66 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कितनी बैठकें हुईं; और

(ख) इन बैठकों में क्या मुख्य निर्णय किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1965-66 में 48 बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में समिति, उसकी अन्तरंग सभा, स्थायी वित्त समिति, कृषि अनुसन्धान मण्डल, पशुपालन अनुसन्धान मण्डल, कृषि विकास तथा विपणन मण्डल, कृषि शिक्षा मण्डल तथा विभिन्न विज्ञान तथा पण्य समितियों की बैठकें भी शामिल थीं।

(ख) इन बैठकों में नई तथा प्रचलित अनुसंधान योजनाओं की स्वीकृति के अतिरिक्त निम्न-लिखित महत्वपूर्ण निर्णय किये गये :—

(1) परिषदों के कर्मचारियों के लिए पेंशन पद्धति को शुरू करना .

(2) समिति के संशोधित नियमों तथा उप-नियमों को लागू करना जिससे कि समिति को ऐसे व्यावसायिक तकनीकी दृष्टी से सक्षम तथा पूर्ण स्वायत्त संघठण में परिणित किया जा सके जोकि एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम के प्रशासन को संभाल सके और उसमें विकास कर सके।

(3) स्थायी वित्त समिति के संविधान तथा कृत्यों में संशोधन करना।

(4) परिषद् के अधीन वैज्ञानिक तथा अन्य पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी नियमों की स्वीकृति।

(5) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा एक कृषि अनुसंधान सेवा के गठन की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति।

(6) अब तक सरकार तथा पुण्य समितियों के अधीन कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं (उनकी परिसम्पत्ति तथा देय सम्बन्धी राशियों सहित) के हस्तान्तरण के विषय में स्वीकृति।

समिति ने खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय से कृषि विज्ञान में सेवा मक्त वज्ञानिकों तथा राष्ट्रीय अनुसन्धान के प्राध्यापकों की नियुक्ति के विषय में भी सिफारिश की है।

त्रिपुरा म अनुसूचित जातियों के लिये विधान सभा के निर्वाचिन क्षेत्र का आरक्षण

3238. श्री दशरथ देब : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि हालांकि त्रिपुरा में 41 प्रतिशत जन संख्या अनुसूचित आदिम जातियों की है और केवल 20 प्रतिशत जन संख्या अनुसूचित जातियों की है, किन्तु परिसीमन आयोग ने प्रस्ताव किया है कि त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों के लिये विधान सभा का एक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) : जी हां। जनसंख्या के आंकडों क अनुसार परिसिमन आयोग ने 3 स्थान अनुसूचित जातियों और 9 स्थान अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षित करने का विनिश्चय किया है। परिसीमन आयोग अधि-नियम, 1962 की धारा 9(1)(ग) के उपबंधों के अनुसार वे निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान रक्षित रखे जाने हैं संघ राज्यक्षेत्र के विभिन्न भागों में वितरित किए जाएंगे और तदनुसार आयोग ने अनुसूचित जातियों के लिए एक स्थान इस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में रक्षित करने की प्रस्थापना की है। यह सच है कि इसमें अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या काफी ज्यादा है। अनुसूचित आदिम जातियों के लिए जिन 9 निर्वाचन क्षेत्रों को रक्षित करने की प्रस्थापना है उन में से हरेक में उनका संकेन्द्रण इस सभा निर्वाचन क्षत्र से अधिक है।

(ग) सरकार को परिसीमन आयोग के कार्यों में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है जो कि परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के अधिन स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है।

बोरो धान

3239. **श्री दशरथ देब :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में बोरो धान की सघन खेती करवाने की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिये केन्द्र ने राज्यों से कभी विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायगी।

अगरतला में क्षतिग्रस्त हुआ फोक्कर फ्रैंडशिप विमान

3240. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का एक फोक्कर फ्रैंडशिप विमान, अगरतला हवाई अड्डे पर क्षतिग्रस्त हो गया था और 5 मार्च, 1966 को कलकत्ता वापिस नहीं लौट सका; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां। विमान के चार मुख्य पहियों के टायर उतरते समय फट गय।

(ख) दुर्घटना की जांच की जा रही है।

रेल की पटरियों के दोनों ओर की भूमि पर खेती

3241. **श्री ह० च० सोय :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधर रेलवे डिविज़न के रेलवे अधिकारियों ने चक्रधरपुर के निकट रेल की पटरियों के दोनों ओर बेकार पड़ी भूमि पर अधिक अन्न उगाने के लिए स्थानीय किसानों को सहयोग देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय ज़िला अधिकारियों तथा जनता द्वारा बार बार प्रार्थना किये जाने के बावजूद उन्होंने गुआ-ब्रांच लाइन पर चक्रधरपूर, खमदीही तथा खास जमदा के निकट रेल की पटरी के एक ओर से दूसरी ओर सिंचाई के लिए पानी ले जाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में दोनों मंत्रालयों के बीच किस प्रकार समन्वय और सहयोग स्थापित किया जाएगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : उड़ीसा सरकार तथा रेलवे अधिकारियों से अपेक्षित जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हवाई अड्डों पर प्रतिबन्धों में शिथिलता

3242. **श्री रा० बरुआ** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जब गणमान्य व्यक्ति हमारे हवाई अड्डों से विदा होते हैं अथवा वहां पहुंचते हैं तो उक्त स्थानों पर लगे हुए प्रतिबन्धों में शिथिलता कर दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो नियमों का पालन कराने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : नागर विमानन विभाग के अन्तर्गत हवाई अड्डों पर गणमान्य व्यक्तियों के पहुंचने/विदा होते समय साधारणतः इन व्यक्तियों को स्वीकृति प्रदान की जाती है :

(i) प्रस प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों और पार्टी के फोटोग्राफ लेने के लिये सरकारी फोटोग्राफरों को स्वीकृति प्रदान की जाती है; और

(ii) राजनयिकों, उच्च अधिकारियों और जनता के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों जैसे संसद सदस्यों को गणमान्य व्यक्तियों और पार्टी का स्वागत करने के लिये विमान के निकट जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

स्वीकृति नियम तथा विनियम के अन्तर्गत दी जाती है और हवाई अड्डों की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाती है ।

मद्रास राज्य में चीनी की मिलें

3243. **श्री कन्डप्पन** :
श्री मुत्तू गोंडर :
श्री शिवशंकरन :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास से उस राज्य में गैर सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के बारे में सरकार को जनवरी, 1965 से अब तक कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उस में से किने आवेदकों को लाइसेंस दिये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री शिंदे) : (क) चार। तीन संयुक्त पूंजी और एक सहकारी ।

(ख) एक सहकारी कारखाने के लिये शीघ्र ही लाइसेंस दिये जाने की सम्भावना है।

Increase in Number of Lok Sabha Seats for Delhi

*3244. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the meeting fixed to hear the views regarding the increase in the number of Lok Sabha seats for Delhi has been postponed by the delimitation Commission; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) Yes, Sir. A meeting of the Delimitation Commission with the associate members for Delhi was held on the 9th March, 1966 to discuss the delimitation of parliamentary constituencies in Delhi. This meeting was first adjourned to 22nd March, 1966, and then postponed *sine die*.

(b) As the Joint Select Committee of the Parliament which was expected to submit its report on the Delhi Administration Bill on or before 1st Adril, 1966, has been given an extension of time till the first day of the next session of the Parliament, the Delimitation Commission has not decided the future course of action.

केरल को चावल का दिया जाना

3245. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी तथा मार्च 1966 में केरल को अन्य राज्यों तथा केन्द्रीय स्रोतों द्वारा कितना चावल दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : केरल को सारी सप्लाई चाहे वे अन्य राज्यों से अथवा आयातों से की जाए, केन्द्रीय सरकार के खाते में की जाती है। पहली फरवरी से 19 मार्च, 1966 तक की अवधि में केरल को लगभग 92,000 मीटरी टन चावल सप्लाई किया गया है।

मैसूर में पत्तनों का विकास

3246. श्री लिंग रेड्डी : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में कितने बड़े तथा छोटे पत्तन है और उनके नाम क्या है;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उनके विकास के लिये पत्तन-वार, कितनी कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ग) उनके विकास से सम्बन्धित योजनाओं तथा प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनका कितना विकास किया जा चुका है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) मैसूर राज्य में 21 छोट पत्तन है, यथा, मंगलौर, मुल्की, माल्पे, हंगरकट्टा, कोंडापुर, बाइन्दोर, भटकल, शिराली, मदश्वर, मन्की, होनावार, कुमटा, तदरी, गंगापाली, अंकोला, बेलेकेरी, चेंडिया, बिंग, कारवार, सदाशिवगाद और मजाली।

(ख), (ग) और (घ) : मैसूर राज्य में छोटे पत्तनों के विकास के लिय तीसरी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में 59.12 लाख रुपये का उद्व्यय शामिल था। स्कीमों का ब्यौरा और उनकी प्रगति का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5984/66।]**

समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग

3247. **श्री दशरथ देब :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) भारत में उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास कार्य आरम्भ कर दिया है,

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हे इन उद्योगों के विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता अथवा राज सहायता मिली,

(ग) इन राज्यों में से किन किन राज्यों ने इस उद्योग में अधिक प्रगति की; और

(घ) 1965-66 में इन उद्योगों ने कितनी मछली पकड़ी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा **सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :** (क) और (ख): आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल ।

(ग) महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और मद्रास ने अपनी मछली पकड़ने को यन्त्रीकृत नौकाओं में पर्याप्त वृद्धि की है। हाल ही के वर्षों में समुद्री राज्यों में मछली उतारने में वृद्धि हुई है। केरल में सब से अधिक मछली उतारी गयी है ।

(घ) पंचांग वर्ष, 1965 के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(1) आन्ध्र प्रदेश	76,013	मीटरी टन
(2) गुजरात	80,042	,,
(3) केरल	3,74,044	,,
(4) मद्रास	1,04,412	,,
(5) महाराष्ट्र	1,26,000	,,
(6) मैसूर	48,956	,,
(7) उड़ीसा	12,000	,,
(8) पश्चिमी बंगाल	12,000	,,

गोहाटी और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा

3248. **श्री दशरथ देब :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी और दिल्ली के बीच इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सीधी विमान सेवा आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) गोहाटी और दिल्ली के बीच एक सीधी सेवा को केवल एक कारवेल विमान से ही लाभप्रद रूप में चलाया जा सकता है। क्योंकि इस मार्ग पर एक सीधी कारवेल सेवा के लिये पर्याप्त यातायात नहीं होगा और किसी भी हालत में, गोहाटी में आधुनिक दिक्चालन और उतरने के सहायता उपस्कर पर्याप्त नहीं हैं इसलिए कारपोरेशन इस प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं कर सकी। आई०

ए० सी० के सर्वेक्षण से यह पता चला है कि गोहाटी और दिल्ली के बीच सीधे यातायात के मुकाबले कलकत्ता और गोहाटी के बीच कहीं अधिक यातायात है ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 4 पर पोलार पर पुल

3249. श्री लिंग रेड्डी : क्या **परिवहन, उड्डयन,/नौवाहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बंगलौर से पचासवें मील पर कोलार और मूल्लागल के बीच (मसूर राज्य में थम्बीहालो पर) पोलार पर राष्ट्रीय राजपथ संख्या 4 पर बना हुआ पुल बहुत तंग और कमजोर है,

(ख) क्या सरकार का विचार भारी यातायात वहन कर सकने के लिये एक चौड़ा और मजबूत पुल बनाने का है,

(ग) क्या मैसूर सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): यह पुल बहुत तंग नहीं है क्योंकि इसका यानमार्ग 18 फीट 6 इंच का है। यह अच्छी दशा में है अतः इस पुल के स्थान पर नया पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जी नहीं। पुराने पुल के स्थान पर एक नया पुल बनाने के लिये राज्य सरकार ने निम्न कोटि की अग्रता प्रदान की है ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

मदुराई मंदिर में संगीत और ध्वनि प्रदर्शन

3250. श्री यशपाल सिंह : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मद्रास राज्य में मदुराई मंदिर में संगीत और ध्वनि प्रदर्शन आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां। सरकार मदुराई मन्दिर में संगीत ध्वनि प्रदर्शन आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) मदुराई पर मीनाक्षी मंदिर एक निर्वाह मंदिर है और प्रदर्शन करने के लिये कमिशनर, रिलीजियस इन्डोमेंनसट्स ट्रस्ट, मद्रास राज्य से अनुमति मांगी गयी है। अनुमति के प्राप्त होने पर ही आगे की कार्यवाही की जा सकती है ।

Delhi Transport Cooperative Society for Educated Unemployed

3251. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with a view to provide employment to the educated unemployed persons, the Transport Ministry had got registered in 1960 a Society by the name of the Delhi Transport Cooperative Society, for the Educated Unemployed which has been wound up ;

(b) whether it is also a fact that the said Society had taken loan from Government to the tune of Rs. 3,39,500 ; and

(c) if so, the purpose for which the amount of loan was utilized ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping & Tourism : (Shri Sanjiva Reddy): (a) A society was got registered by the Delhi administration in 1960 under the "pilot" scheme sponsored by the Government of India for formation of transport cooperative societies for educated unemployed persons. This Society was ordered to be wound up with effect from 27th November, 1963.

(b) Yes.

(c) A sum of about Rs. 3,13,562 was spent by the Society on the purchase of 10 Mercedez-Benz truck chassis, their transportation from Jamshedpur to Delhi and getting truck bodies constructed. The balance was utilised for meeting the operational and administrative expenses of the Society.

Tube-Wells in Rajasthan

3252. Shri P. L. Barupal : Will the Ministry of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state the number of tube-wells proposed to be installed by the Government of India, during the year 1966-67 under "Grow More Food" Campaign for irrigational purposes in the areas of Shri Gangangra District of Rajsthan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and **Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) :** The responsibility for installation of tubewells for irrigation purposes is that of the State Governments. However, the Exploratory Tubewells Organisation under the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) undertakes groundwater exploration in the States in consultation with the State Governments to help them in finding areas suitable for development by tubewell irrigation. The responsibility for exploitation of the proved potential again rests with the State Governments. The Organisation has also been assisting the State Governments in certain cases in the construction of production tubewells for irrigation, on their behalf. During 1966-67, the Exploratory Tubewells Organisation has got no programme for constructing either exploratory or production tubewells in Shri Ganganagar District of Rajasthan.

पटसन का उत्पादन

3253. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में देश में पटसन का उत्पादन बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो 1965-66 के उत्पादन के अनुमानित आंकड़े पिछले दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय पटसन मिल संघ की हाल ही में हुई वार्षिक बैठक में पटसन का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिये क्या सुझाव दिये गये; और

(ङ) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : 1965-66 में पटसन के उत्पादन में गत दो वर्षों की अपेक्षा बड़ी गिरावट आई है। गत पांच वर्षों के दौरान देश में पटसन का अनुमानित उत्पादन निम्नलिखित है :—

वर्ष	उत्पादन (180 किलो ग्राम की गांठें हजारों में)
1961-62	6,358
1962-63	5,449
1963-64	6,185
1964-65	6,021
1965-66	4,485

(ग) 1965-66 के दौरान उत्पादन की कमी का कुछ कारण क्षेत्र की कमी और कुछ फसल के उगने की अवधि में अपर्याप्त वर्षा का होना है।

(घ) भारतीय पटसन मिल संघ की गत वार्षिक बैठक में संघ के अध्यक्ष ने अपने भाषण में और बातों के अलावा पटसन के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता का जिक्र किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक अपैक्स बोडी की स्थापना की जाये जिसको कार्यकारी तथा वित्तीय अधिकार दिये जाय ताकि पटसन की खेती सम्बन्धी राष्ट्रीय तथा राज्य नीतियों की ओर ध्यान दिया जा सके। कच्चे पटसन के निर्यात के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा।

(ङ) सरकार पहले ही पटसन के उत्पादन को उचित प्राथमिकता दे रही है। चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक कच्चे पटसन की 110 लाख गांठों के भारी उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, पटसन के उत्पादन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में पटसन विकास सम्बन्धी कुछ योजनाओं को शामिल करने का निर्णय किया है। जहां तक अपैक्स बोडी की स्थापना का सम्बन्ध है एक केन्द्रीय पटसन विकास, परिषद् हाल ही में सरकार द्वारा स्थापित कर दी गई है जिसमें पटसन उत्पादकों, व्यापार तथा उद्योग के और संसद सदस्यों के प्रतिनिधि हैं जो सरकार को पटसन उत्पादन कार्यक्रमों के बारे में परामर्श देंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में पटसन विकास कार्यक्रमों की देखभाल के लिए 1-4-1966 से कलकत्ता में पटसन विकास के लिए एक क्षत्रीय कार्यालय स्थापित कर दिया गया है। इसको दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार कोई अपैक्स बोडी स्थापित करना आवश्यक नहीं समझती।

Road to Inderpuri, New Delhi

3254. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3016 on the 4th May, 1965 and state the time by which the road upto Inderpuri, New Delhi would be ready for bus traffic ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : The road connecting Naraina village and Linlithgow Road *via* Inderpuri has been recently constructed by the Municipal Corporation of Delhi. The road is, however, narrow. The Delhi Transport Undertaking plan to extend trial bus service to Inderpuri shortly.

2. The Delhi Administration have sanctioned an estimate amounting to Rs. 9,94,470/- for improving the alignment, widening the carriageway to two-lane width and extending the road to join the road connecting Ring Road with Patel Road. The works will be completed in about two years.

गोहाटी हवाई अड्डा

3255. **श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम स्थित गोहाटी हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में, विशेषकर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच उड़ानों के लिये, प्रयोग किये जाने के बारे में सरकार को कोई सुझाव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल जल परिवहन निगम

3256. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिसमाप्त केरल जल परिवहन निगम के छटनी किये गये कर्मचारियों को छटनी निमित्त मिलने वाले लाभ दे दिये गये है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : केरल जल परिवहन निगम के छंटनी किये गये कर्मचारियों को दिये जाने की 2,85,465.48 रुपये की राशि में से 28 मार्च, 1966 तक 2,80,946.13 रुपये की सीमा तक अदायगी की जा चुकी है। शेष राशि 21 कर्मचारियों को दी जानी है, जिन में से 4 की मृत्यु हो गई है और उनके उत्तराधिकार प्रमाणकों की प्रतीक्षा की जा रही है। शेष 17 कर्मचारियों को बुलाया गया है परन्तु अभी तक उन में से कोई भी रुपया लेने के लिये नहीं आया है।

मणिपुर में कचार सड़क

3257. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में कचार सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या सड़क को पूरा करने के लिए श्रमिकों के लिए सशस्त्र सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ?

परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसके प्राप्त होते ही वह लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

कांडला बन्दरगाह के लिए ड्रेजर (तल से कीचड़ निकालने के यंत्र)

3258. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **परिवहन उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन के लिए एक ड्रेजर के निर्माण तथा सम्भरण के लिए नवम्बर, 1960 में किसी विदेशी फर्म के साथ एक करार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो यह ड्रेजर मिलने की निश्चित तारीख कौन सी थी और यह कब दिया गया था ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) निकर्षक की सप्लाई के लिये 23 नवम्बर, 1960 को ठेका निष्पादित किया गया था। ठेके के दस्तखत होने के 18 महीनों के भीतर नीदरलैण्ड में बिल्डसे यार्ड में निष्कर्षक को पूरा किया जाना था और उसके बाद सात सप्ताहों के भीतर कांडला पत्तन पर उसे दे दिया जाना था। इस प्रकार ठेके की शर्तों और मदों के अनुसार निकर्षक को कांडला पत्तन पर सफल परीक्षण के बाद जुलाई 1962 के अन्त तक मिल जाना था।

निकर्षक समय पर हालैण्ड में ठेकेदार के यार्ड में पूरा बन गया था। वह कांडला पत्तन के लिये 6-6-1962 को चला और वहां 20-7-62 को पहुंच गया। निकर्षक को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ क्योंकि कांडला पत्तन पर परीक्षा करते समय उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई। ठेकेदार ने उन त्रुटियों को दूर कर दिया और निकर्षक औपचारिक रूप से 11-9-1963 को स्वीकार कर कर लिया गया।

चावल और गेहूं का रक्षित भंडार (बफर स्टाक)

3259. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 में गेहूं और चावल का रक्षित भंडार बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): लगातार दो बार फसल वर्ष 1962-63 और 1963-64 में फसलें खराब हो जाने और 1965-66 मे सुखा पड़ने से वर्ष 1965–66 में भारत सरकार के भण्डारों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की निकासी करना अनिवार्य हो गया और इसी लिये उस वर्ष उचित मात्रा में बफर स्टाक तैयार करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई।

1965-66 में खाद्यान्नों का आयात

3260. **श्री दि० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में अन्य देशों से मंगाये गये गेहूं तथा चावल पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई, और

(ख) इस कार्य के लिए कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 1965-66 (फरवरी, 1966 तक) अन्य देशों से गेहूं और चावल के आयात पर कुल 221.24 करोड़ रुपये जिसमें विदेशी मुद्रा उपांश शामिल है, खर्च हुए थे।

(ख) 1965-66 में (फरवरी, 1966 तक) गेहूं और चावल के आयात पर 43.63 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी।

Acreage of Cultivable Land

3261. Shri Rameshwaranand: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state the acreage of Cultivable land in each State of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : A statement containing the required information is attached. [**Placed in Library. See No. L.T. 5984/66.**]

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) सेवा

3262. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में पदोन्नति के लिये कितनी श्रेणियां (ग्रेड्स) हैं;

(ख) उड्डयन विभाग में प्रथम श्रेणी (ग्रेड-I) के कितने पद हैं;

(ग) उन में से कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं;

(घ) प्रथम श्रेणी (ग्रेड–I) में पदोन्नति के लिए द्वितीय श्रेणी (ग्रेड–II) के कितने आशुलिपिकों को उपयुक्त समझा जायेगा और एक रिक्त स्थान के लिए कितने मामलों पर विचार किया जायगा;

(ङ) क्या प्रथम श्रेणी (ग्रेड–I) के कोई पद रिक्त हैं;

(च) यदि हां, तो कितने तथा वे कितने समय से रिक्त हैं; और

(छ) इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) एक।

(ख) दो

(ग) स्थायी—कुछ नहीं।

अस्थायी—दो ।

(घ) (I) तेतीस II पांच

(ङ) जी, नहीं, स्थान ग्रेड– II स्टेनोग्राफरों में से भरे गये हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में भूमि संरक्षण

3263. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भूमि के संरक्षण के लिए उड़ीसा राज्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई थी; और

(ख) उक्त अवधि में इस कार्य पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भूमि संरक्षण के लिए राज्य प्लान योजनाओं के अधीन 84.00 लाख रुपये तथा केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के अधीन 83.00 रुपये उड़ीसा राज्य को नियत किये गये।

(ख) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान खर्च की जाने वाली राशि राज्य प्लान तथा केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः 94.57 लाख रुपये तथा 138.15 लाख रुपये होगी।

कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर

3264. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में केन्द्रीय सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा) को किस प्रकार की तथा कितनी सहायता दी; और

(ख) क्या उक्त अवधि में उस विश्वविद्यालय ने पूरी राशि खर्च की ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) उड़ीसा कृषि तथा तकनौलोजी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर स्थापित करने की केन्द्र द्वारा आयोजित योजना पर अनावर्ती खर्च को पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार को 1965-66 में केन्द्रीय सैक्टर से 7.00 लाख रुपये का कुल अनुदान दिया गया है।

(ख) इस अनुदान में से 4,31,221 रुपये पहले ही 1964-65 में विश्वविद्यालय द्वारा खर्च कर दिए गए। 2,68,779 रुपये की शेष राशि विश्वविद्यालय द्वारा 1965-66 में खर्च कर दी गई थी।

उड़ीसा में दग्धशाला (डेरी) परियोजनाएं

3265. श्री धुल्लेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय कितनी दुग्धशाला (डेरी) परियोजनाएं हैं; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि नियत की गई थी ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय म उप मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) दो।

(ख) 28.20 लाख रुपय।

उड़ीसा में चीनी के सहकारी कारखानें

3266. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय चीनी के कितने सहकारी कारखाने हैं;

(ख) क्या 1966-67 में उस राज्य में चीनी के कुछ ऐसे कारखाने लगाने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) इस समय उड़ीसा में एक सहकारी शर्करा कारखाना चल रहा है।

(ख) और (ग) : 1965 में उड़ीसा के सम्बलपुर जिले की बारगढ़ तहसील में 1250 मीटरी टन प्रति दिन गन्ना पेरने की क्षमता का एक नया सहकारी शर्करा कारखाना स्थापित करने के लिये एक आशय पत्र दिया गया है। कारखाना स्थापित करने में 2 से 3 वर्ष लगने की सम्भावना है।

उड़ीसा में फ्लाइंग क्लब

3267. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965-66 में भुवनेश्वर (उड़ीसा) के उड़ीसा फ्लाइंग क्लब को कोई अनदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : 1965-66 के दौरान उड़ीसा फ्लाइंग क्लब, भुवनेश्वर को कुल 52,850 रुपये की राशि दी गई है जो निम्नलिखित से मिल कर बनी है :—

निश्चित उपदान	. . . . .	40,000.00
सहायता	. . . . .	12,850.10
	कुल .	52,850.10

संयुक्त अरब गणराज्य से चावल

3268. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य के बीच चावल के सम्भरण के सम्बन्ध में कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें और निबंधन क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख): संयुक्त अरब गणराज्य से 20,000 मीटरी टन चावल खरीदने के लिए 23 मार्च 1966 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए है। व्यापार करार के अधीन चावल की कीमत अविनिमय भारतीय मुद्रा में की जानी है। संयुक्त अरब गणराज्य इस राशि का उपयोग भारतीय वस्तुएं खरीदने में करेगा। अप्रैल और मई, 1966 में 13,000 मीटरी टन चावल का लदान होना है और शेष 7,000 मीटरी टन चावल का लदान विक्रेयता की इच्छा पर या तो अप्रैल और मई, 1966 या नई फसल में नवम्बर, और दिसम्बर, 1966 में किया जाना है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और विनियोग लेखे, डाक तथा तार

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, डाक तथा तार, 1966 **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5971/66।]**

(2) विनियोग लेखे, डाक तथा तार, 1964–65 कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5972/66।]**

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत कम्पनियां (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 1966, जो 19 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० 368, में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5973/66।]**

पशु कल्याण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : मैं पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के 1964–65 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5974/66।]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

चौरासी वा प्रतिवदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धि समिति का चौरासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बारे मे

RE : STATEMENT OF PRIME MINISTER

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मुझे आप के द्वारा सभा को यह सूचित करते हुये खेद होता है कि प्रधान मंत्री हल्के फ्लू के कारण अस्वस्थ हैं तथा उन्हें दो दिन तक पूरा आराम करने की सलाह दी गई है । इस लिये वह जो वक्तव्य आज दोपहर बाद देने वाली थी, वह मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद वह वक्तव्य देंगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 62

जीवन बीमा निगम के लिये विद्युत चालित संगणकोंके बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : महोदय, जीवन बीमा निगम के लिये इलेक्ट्रानिक कम्प्युटरों के सम्बन्ध में, दिनांक 17 फरवरी, 1966 को, श्री त्रिदिब कुमार चौधरी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 62 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने जो सूचना सदन को दी थी, उसमें मैं, आपकी

[श्री ब० रा० भगत]

अनुमति से कुछ भूल सुधार करना चाहता हूं । श्री त्रिदिब कुमार को उत्तर देते समय मैंने इस प्रकार कहा था :

"हमने उन्हें खरीदा नहीं है ; हमने उन्हें किराए पर लिया है ।

हम उन्हें काम में लेने का किराया दे रहे हैं ....."

सही स्थिति यह है कि इन कम्प्यूटरों को किराए के आधार पर लगाने के ठेके दिये गए थे । परन्तु बाद में, 28-6-1965 को जीवन बीमा निगम ने मशीनों को पूरा खरीद लेने का ही निश्चय किया ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उसी प्रश्न काल में मैं ने यह पूछा था कि क्या यह सच नहीं है कि इन विद्युत् चालित संगणकों के कारण या तो 14,000 जीवन बीमा निगम कर्मचारियों को फालतू घोषित करने की संभावना है या उन की छंटनी की जाने की संभावना है । इस प्रश्न का अब उत्तर दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बड़े (खारगोन) : इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । जो शुद्धि की गई है उस के बारे में प्रश्न पूछ जा सकते हैं ।

श्री शिंकरे (मरमागोवा) : उस दिन सरकार की ओर से प्रश्न का उत्तर देते समय यह कहा गया था कि इन संगणकों के लगाये जाने के कारण कोइ छंटनी नहीं की जायेगी । कम से कम मंत्री महोदय को यह बात स्पष्ट करनी चाहिये ।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : उस दिन श्री त्रिदिब कुमार चौधरी के प्रश्न का उत्तर देते समय यह बात स्पष्ट की गइ थी कि इस में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी । अब यदि जीवन बीमा निगम की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये संगणकों की खरीद के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह अधिक अच्छा नहीं होगा कि विदेशी मुद्रा को, जिस की कि इस गंभीर समय में अन्य प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, खर्च न किया जाय तथा उस तरह जीवन बीमा निगम के 14,000 कर्मचारियों की छंटनी होने से बचाया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । क्या ये सब मामले प्रश्न के उत्तर में शुद्धि के अन्तर्गत आते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जी, नहीं ।

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Speaker, with all humility I want to inform you, that Shri Lakhmu Bhawani, who has been elected to Lok Sabha from Baster has joined the Samyakta Socialist Party.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बस्तर के बारे में अच्छा वादविवाद हो सके इसकों सुनिश्चित करने के लिये गृह-मंत्री के दोनों वक्तव्यों तथा योजना मंत्री के वक्तव्य की प्रतियां सभा पटल-पर रखी जानी चाहियें ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा की जायेगी तथा मतदान होगा। उत्तर देने के लिये मंत्री महोदय को कितना समय चाहिये?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): आधे घण्टे का समय राज्य मंत्री को चाहिये और आधे घण्टे के समय की मुझे आवश्यकता होगी।

अध्यक्ष महोदय : तीन मंत्रीयों ने इस चर्चा में भाग लेना है। श्रीमती जयपाल सिंह को कितना समय चाहिये ?

श्री संजीव रेड्डी : उन्हें लगभग 15 मिनिट का समय चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : और श्री पुनाचा को ?

श्री संजीव रेड्डी : आधा घण्टा। यदि आवश्यक हुआ तो में अपना भाषण छोटा कर दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : इसके लिये समय बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : चर्चा के आरम्भ में यह अनुरोध किया गया था कि इसका समय बढ़ाया जाये और विशेषतः इस बात को देखते हुये कि वक्ताओं का अधिकतर समय एयर इण्डिया की हड़ताल के बारे में लग गया है, यह आवश्यक हो गया है कि चर्चा का समय बढ़ाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिये आधा घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्री दी० चं० शर्मा : कल संसदीय कार्य मंत्रालय पर हुई चर्चा के समय मैंने प्रार्थना की थी कि जहां तक इस सभा का संबंध है यह सब से महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इस लिये इस पर होने वाली चर्चा का समय बढ़ाया जाय, परन्तु समय नहीं बढ़ाया गया। अतः मैं जानना चाहता हूं कि जब उस मंत्रालय के बारे चर्चा के लिये समय नहीं बढ़ाया गया, तो इस मंत्रालय के बारे में समय क्यों बढ़ाया गया है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा करने की कृपा की है कि चर्चा का समय आधे घण्टे के लिये बढ़ाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस का प्रभाव उन सदस्यों पर भी पड़ेगा जो चर्चा में भाग ले चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति,। श्री उ० मू० त्रिवेदी।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : कल मैं अपने भाषण के दौरान मोटर गाड़ी अधिनियम की कार्य व्यवस्था का उल्लेख कर रहा था। मैंने मंत्रालय का ध्यान परिवहन व्यवस्था की स्थिति को ओर दिलाया था और सड़क परिवहन का उल्लेख किया था। हमारे देश में काफी बड़ी मात्रा में सड़क परिवहन द्वारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह एक प्रकार से आवश्यक हो गया है क्योंकि रेलें सारे माल को ढ़ो नहीं सकती। अतः सड़क परिवहन के विकास की गति किसी प्रकार से भी धीमी नहीं की जानी चाहिये। सम्पूण भारत के लिये समान नियम बनाये जाने चाहिये जिससे माल के गुम होने अथवा नुकसान पहुंचने के मामले में सड़क परिवहन का प्रयोग करने वाले लोग माल लाने ले जाने वालों को जिम्मेदार ठहरा सकें। ऐसे नियम नहीं बनाये जा रहे है, जिसके परिणामस्वरूप सड़क परिवहन का प्रयोग एक प्रकार से सट्टे का व्यापार बन गया है।

मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत दुर्घटनाओं के लिये मुआवजे के दावे न्यायाधिकरण के समक्ष दो महीने के भीतर पेश करने होते है। यह समय बहुत कम है। अतः इस कारण बहुत से लोग इस

[श्री उ० मु० त्रिवेदी]

का कोई लाभ नहीं उठा सकते। घातक दुर्घटना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन घातक दुर्घटना होने पर लगभग एक साल के समय के बाद तक दावे किये जा सकते थे। परन्तु अब इस सुविधा को भी समाप्त कर दिया गया है। अतः अब तो केवल एक ही सुविधा उपलब्ध है कि यदि सड़क परिवहन से दुर्घटना हो जाय, तो दो महीने के अन्दर दावा किया जाना चाहिये। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि इस समय सीमा को बढ़ा कर 6 महीने कर दिया जाये। न्यायाधिकरणों में ऐसे व्यक्ति शामिल किये जाने चाहिये जिन को मोटर गाड़ियों के बारे में कुछ ज्ञान हो। यह और भी अच्छा होगा यदि उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये जो कि श्रम न्यायालयों के प्रधान के रूप में कार्य कर चुके हैं।

अन्त में मैं पुनः मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि एयर इण्डिया में हड़ताल समाप्त कराने के लिय कोई व्यवहारिक हल ढूंढ निकाला जाना चाहिये, जिससे देश को और अधिक हानि न हो।

श्री बासप्पा (तिपतुर) : इसमें संदेह नहीं है कि एयर इण्डिया अपनी उड़ान मंसूख करके न केवल इस देश में बल्कि सारे संसार में बुरा प्रभाव उत्पन्न किया है। एयर इण्डिया का प्रभाव यूरोप में ही नहीं अपितु अमरीका में भी बहुत अच्छा था। अब उसके नाम को बट्टा लग गया है। इस लिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिये।

कल मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य देते समय बहुत साहस से काम लिया। मेरे विचार में इनका यह कदम ठीक ही है। किसी स्थान पर भी हमें यह विचार नहीं फैलने देना चाहिय कि नरमी की नीति अच्छी है। जहां सख्ती दिखाई और मामला ठीक हुआ।

अब कोई बतावे कि क्या इन व्यक्तियों को जिन्हें 5,000 से 6,000 रुपये तक मासिक वेतन मिलता है उन्हें मज़दूर कहा जा सकता है। उनके लिये ऐसा कदम उठाना अच्छा नहीं था।

जहां तक इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का संबंध है इसका कार्य बड़ा ही असंतोषजनक है। इसके विमान न ही तो समय पर रवाना होते हैं और न ही समय पर पहुंचते हैं। साथ ही वहां के कर्मचारियों में भी अनुशासनहीनता है। असैनिक उड्डयन के महा निदेशालय को चाहिये कि वह इन विमानों के चालकों के काम को देखें तथा वहां के प्रबंध को भी देख। यदि कहीं वास्तव में ग बड़ है तो उसे ठीक किया जाना चाहिये। सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में एयर इंडिया को 42 प्रतिशत तथा इंडियन एयर लाईन्स कारपोरेशन को 46 प्रतिशत बढ़ाने की योजना की है। मंत्री महोदय को चाहिये कि इसके बढ़ाने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रख कि दुर्घटना कम हों। देखा तो यह गया है कि जिन विमान चालकों के कारण दुर्घटनायें हुई उन्हें दंड देने के स्थान पर उनकी पदोन्नति कर दी गई है।

यातायात को विकसित करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के लिये 2,000 करोड़ रुपया तथा गर-सरकारी क्षेत्र के लिये 650 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। इस मामले में सरकार से प्रोत्साहन मिलना चाहिये। मैसूर में राष्ट्रीय राजपथ बहुत कम हैं। इसके लिये और अधिक रुपया निर्धारित किया जाना चाहिये।

जहाज़रानी के बारे में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसकी कोई शर्त हमारे देश के हित के विरुद्ध न जाये।

बड़ी बन्दरगाहों में मंगलौर हमारे दिमाग़ में है। उस पर कार्य बहुत सुस्ती से चल रहा है। इस देश में खाद्यान्न इस बन्दरगाह से आते हैं। इस लिये इसे शीघ्र बनाना चाहिये।

पर्यटन के बारे में मैसूर राज्य बहुत अच्छा है। वहां देश के ही नहीं अपितु विदेशों के पर्यटक अपनी छुट्टी मनाने जा सकते हैं। वहां वृन्दाबन बाग, श्रावथी घाटी आदि बहुत अच्छ स्थान हैं। मैं मंत्री महोदय को चौकस करना चाहता हूं कि आप अपने निगम को ऐसे ढंग से चलाइये जिस से पर्यटक को प्रोत्साहन मिले।

परिवहन और उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं इन सब सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने पर्यटन के महत्व पर बल दिया है। मैं तो केवल पर्यटन के बारे में ही बोलूंगी।

श्री मसानी का कहना है कि पर्यटन के बारे में हमारी कोई नीति नहीं है तथा 1956 से 1960 तक पर्यटकों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1960 से 1965 तक 10 प्रतिशत की कमी हुई। वास्तव में 1965 में तो हमें स्वयं भी ऐसा प्रतीत होता था कि पर्यटकों में 25 से 30 प्रतिशत की कमी होगी। परन्तु पाकिस्तान के साथ संघर्ष समाप्त होने के एक सप्ताह बाद ही हमारे अधिकारी इस कार्य को बढ़ावा देने में जुट गय और उसके फलस्वरूप मुझे यह कहन में प्रसन्नता होती है कि 1964 के मुकाबले में 1965 में केवल $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत पर्यटकों की कमी हुई।

इस कार्य के लिये प्रशान्त क्षेत्र यात्रा संस्था (पाटा) ने यहां अपनी पन्द्रहवां वार्षिक अधिवेशन किया और जिन 400 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था इनमें से 100 से अधिक ने मुझे धन्यवाद के पत्र लिख है। उससे पता चलता है कि इस अधिवेशन से पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है।

देहली के लाल किले में होने वाला "सोन-ए-लूमियर" सारे एशिया में अपनी तरह का पहला है। इसे भी पयटकों ने पसन्द किया है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक पर्यटक विभाग ने 24 पर्यटक बंगले और कैन्टीन खोली हैं तथा राज्य सरकारों ने 60 पर्यटक बंगले खोले हैं जिसके लिये केन्द्र ने 50 प्रतिशत सहायता दी थी। इस सुविधा का लाभ 30,000 से भी अधिक पर्यटकों ने उठाया है।

पीछले दो वर्षों से तो पर्यटक विभाग की स्वीकृति से राज्य व्यापार निगम परिवहन चालकों को बहुत से घाटें द रहा है। इसके कारण पर्यटकों के लिये सड़क परिवहन सुविधा में वृद्धि हुई है।

श्री मसानी का यह कहना ठीक नहीं कि हमने पर्यटकों के बारे में कोई नीति नहीं बनाई है। ऐसी बातों के बारे में कोई घोषणा नहीं हुआ करती क्योंकि यह सब परिस्थितियों पर आधारित होता है। पिछले 12 वर्षों से इस दिशा में पर्यटन नीति सरकार ने अपनाई है। साथ ही हमें अपने देश के पर्यटकों का भी ख्याल है।

श्री मसानी ने कहा है कि पर्यटकों के बारे में एक विमान निगम होना चाहिये। इस दिशा में कि यह सरकार के विभाग में होना चाहिये अथवा निगम के पास, हमने झा समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया। इस पर पूर्ण विचार के पश्चात हम इस परिणाम पर पहुंचे कि इसका सरकार के विभाग के पास होना ही अच्छा है। जहां तक तीन प्रकार के निगमों का संबंध है अब सरकार ने निर्णय किया है कि तीनों निगमों को मिला कर एक ही निगम बना दिया जावे। जैसी ही यह होगा उस निगम के कार्य पर भी पुनःविचार होगा।

श्री मसानी का यह आरोप ठीक नहीं कि पर्यटकों द्वारा यहां व्यय की जानेवाली विदेशी मुद्रा का 75 प्रतिशत भाग गुम हो जाता है तथा बाहर चला जाता है। यह तो मैं मानती हूं कि काफी भाग गुम हो जाता है परन्तु 75 प्रतिशत नहीं। फिर भी गुम होना खराब ही है।

श्री नाथ पाई ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि पर्यटकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। हमने अब हवाई यात्रियों को जल्दी से निबटाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एक सीमा अधिकारियों का 'पूल' बनाया है। मुझे पता चला है कि गत एक वष से तो भारतीय सीमा अधिकारियों द्वारा हवाई यात्रियों को जल्दी से निबटाने में काफी प्रगति हुई है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : समझ में नहीं आता कि जिस मंत्रालय के कार्य की देखरेख केवल एक राज्यमंत्री द्वारा की जाती थी अब उसके कार्य की देख रेख तीन व्यक्तियों द्वारा की जायेगी। स्पष्ट है कि या तो इस मंत्रालय के कार्य की देखरेख करने वालों की पहले कमी थी अथवा इसमें अब आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों को रखा गया है।

[श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

देश में परिवहन व्यवस्था सैनिक शक्ति तथा आर्थिक गतिशीलता पर आधारित है। आपात की स्थिति में यातायात साधनों का बहुत महत्व है। सर विस्टन चर्चिल ने "दि रिवर वार" नामक पुस्तक में सैनिक शक्ति के संदर्भ में इसका महत्व बताते हुए लिखा है कि यातायात के साधनों के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। समझ में नहीं आता कि क्या सरकार ने परिवहन को इतना महत्व दिया है जितना कि दिया जाना चाहिये, चाहे यह सैनिक शक्ति के संदर्भ में हो अथवा आर्थिक उन्नति के संदर्भ में। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में परिवहन के विकास की गति असंतोषजनक रही है और विशेष रूप से सड़क परिवहन का विकास बिल्कुल असंतोषजनक रहा है।

ताशकन्द समझौते से उत्पन्न हुई आत्मतुष्टि की भावना के कारण अथवा कुछ अन्य समस्याओं के कारण सीमावर्ती सड़कों तथा विशेष रूप से राजस्थान में सड़कों के लिये नियत की गई राशि में कुछ कमी कर दी गई है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

यह एक बहुत चिंता की बात है कि इस बात के बावजूद भी कि पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में राजस्थान में हमारी पराजय का मूल कारण यातायात साधनों का अभाव था जिसको प्रतिरक्षा मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है, इस मामले की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चाहे यह कार्य सीमावर्ती सड़क संगठन को सौंपा जाय अथवा राज्य सरकार को सौंपा जाय, परन्तु जब तक इस विभाग के कमचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती, जब तक इस विभाग का पुनर्गठन नहीं किया जाता और सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करने के लिये भरसक प्रयत्न नहीं किये जाते तब तक हम अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे। उदाहरणार्थ, बाड़मेर क्षेत्र तथा कच्छ क्षेत्र को मिलाने वाली कोई सड़क नहीं है, यद्यपि यह दोनों क्षत्र एक ही कमान्डर के नियंत्रणाधीन हैं। ऐसी ही स्थिति जेसलमेर के बारे में है। इस बारे में और अधिक कुछ न कह कर मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह एक सीमावर्ती सड़क संगठन बनाने तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के बारे में क्या करना चाहते हैं जिसमें इन मामलों को शीघ्रता से निबटाया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि इस क्षेत्र में कार्य बहुत अच्छी तरह से किया जाये।

इस मामले का एक अन्य पहलू जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है वह अन्तर्देशीय नदी परिवहन की व्यवस्था है। मुख्य लाइनों पर अन्तर्देशीय नदी परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिये। आर्थिक गतिशीलता तथा प्रतिरक्षा के संदर्भ में इसका बहुत महत्व है। मैं यह सब कुछ विभिन्न आधुनिक देशों में किय गये अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने परिवहन के इस साधन विशेष की ओर कभी कोई ध्यान दिया है।

परिवहन नीति तथा समन्वय पर समिति ने एक बहुत ही अच्छा प्रतिवेदन दिया है। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर उचित विचार किया गया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। यदि हम परिवहन के क्षेत्र में अधिक अच्छा समन्वय करना चाहते हैं तो हमें सड़क परिवहन, रेल यातायात, असैनिक उड्डयन, तथा अन्तर्देशीय नदी परिवहन के विषयों को एक ही मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में रखना चाहिये अथवा इन सभी अनुभागों को समन्वित करने के लिये एक अखिल भारतीय परिवहन आयोग स्थापित किया जाना चाहिये। परिवहन में गतिशीलता लाने के लिये यह आवश्यक है कि संस्था सम्बन्धी परिवतन किये जाय।

पर्यटन के बारे में जो उपाय किये गये हैं वे अपर्याप्त हैं और इसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। यह सही है कि इस क्षेत्र में थोड़े से समय में सफलता प्राप्त करना सम्भव नहीं है फिर भी इस मामले की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये क्योंकि भारत में पर्यटन की अधिक गुंजाइश है। खेद है कि पर्यटकों की पसन्द के क्षत्रों की संख्या बढ़ाने और उनमें विविधता लाने का कोई प्रयत्न नहीं

किया गया है । कोई कारण नहीं कि एक भारी संख्या में स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास क्यों न किया जाये । इस से न केवल देश में रोजगार की सम्भावनायें ही बढ़ेंगी परन्तु आने वाले पर्यटकों की पसन्द के क्षेत्रों में भी वृद्धि हो जायेगी ।

श्री जो० ना० हजारिका (डिब्रूगढ़) : मैं परिवहन तथा असैनिक उड्डयन से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं परन्तु ऐसा करते हुए मैं कुछ बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

कल मेरे माननीय मित्र श्री प्र० चं० बरूआ ने ठीक कहा था कि आसाम में सड़कों विशेष रूप से राष्ट्रीय राजपथों, को चौड़ा बनाने तथा इनको सुधारने का कार्य बहुत धीमी चाल से हो रहा है । पिछले दो,-तीन वर्षों में आसाम की सड़कों में प्राय: कोई सुधार नहीं किया गया और उनकी वार्षिक मरम्मत भी नहीं की गई । इस प्रयोजन के लिये नियत राशि का बहुत बड़ा भाग खर्च नहीं किया गया । उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय राजपथ संख्या 37 को 309 से 352/2 मील तक चौड़ा करने के लिये 17,84,300 रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था परन्तु वर्ष 1964–65 में केवल 1,51,323 रुपये खर्च किये गये । इसी प्रकार उक्त राष्ट्रीय राजपथ पर एक पुल को सुदृढ़ बनाने के लिये 11,25,600 रुपय की आवण्टित राशि में से वर्ष 1964–65 में एक दमड़ी भी खर्च नहीं की गई । कहा जाता है कि मितव्ययता सम्बन्धी उपाय किये गये हैं । मैं इनसे कुछ सीमा तक तो सहमत हूं परन्तु इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि आसाम की सभी सड़कें सामरिक महत्व की हैं और सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । समझ में नहीं आता कि विदेशों से इस कार्य के लिये मिली सहायता के सम्बन्ध में भी मितव्ययता क्यों बरती जाती है । तृतीय योजना में सड़कों के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकार ने 28 करोड़ रुपये की राशि दी है । इसमें से 5 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया गया है ।

आसाम में सड़कों की दशा सुधारने के साथ साथ नेफा के एक डिवीज़न की तलहटी को दुसरे डिवीज़न की तलहटी से मिलाने के लिये पार्श्व सड़के बनाई जानी चाहिये ।

अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग की स्थापना कर के सरकार ने अच्छा ही किया है । आयोग को उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी से आसाम में गोहाटी तक बस सेवा चालू करने के प्रश्न के बारे में कार्यवाही करनी चाहिये ।

जहां तक अन्तर्देशीय जल परिवहन का सम्बन्ध है, यह एक अच्छी बात है कि सरकार ने ब्रह्मपुत्र में जहाज़रानी का सुधार करने के लिये कुछ और कदम उठाये हैं । सरकार को न केवल ब्रह्मपुत्र का परन्तु इसकी सहायक नदियों का भी जहाज़रानी के लिये उपयोग करना चाहिये । उदाहरणार्थ देहिंग नदी लगभग 70 मील लम्बी है यह जहाज़रानी के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है ।

'रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी' का दिवाला निकलने वाला है । अत: सरकार को इस कम्पनी को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों का उपयोग जहाज़रानी के लिये करना चाहिये । सरकार को कुछ अवश्य करना चाहिये जिससे इस कम्पनी का परिसमापन न हो । मालूम हुआ कि इस कम्पनी के लगभग 300 पाकिस्तानी कर्मचारी लापता हैं । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये और उनको आवश्यक सहायता दी जानी चाहिये जिनको पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप हानि उठानी पड़ी है ।

हवाई अड्डों के निर्माण में अधिक समय नहीं लगाया जाना चाहिये । मोहन बाड़ी में हवाई अड्डा 2 वर्ष से इसलिये बकार पड़ा रहा क्योंकि वहां पर हवाई पट्टी बनाने में ठेकेदार ने बहुत अधिक समय लगाया जिसके फलस्वरूप यात्रियों को बहुत असुविधा हुई । इस मामले की जांच की जानी चाहिये कि इस पट्टी के निर्माण में इतना अधिक समय क्यों लगा । मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि नेफा में भी हवाई पट्टियों का भी यथासम्भव शीघ्र निर्माण कर दिया जाना चाहिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जैसे विशाल एवं विस्तृत देश में राजपथों एवं सड़क परिवहन का विकास आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। नागपुर योजना में 1,97,950 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 1961 में इस लक्ष्य से भी अधिक कार्य किया गया। किन्तु गुजरात राज्य नागपुर योजना के अधीन भी सड़क विकास के मामले में अब तक पिछड़ा है।

भडौच में राष्ट्रीय राज पथ संख्या 8 पर नर्मदा नदी पर एक रेलवे पुल है जिस पर से भारी सामान नहीं ले जाया जा सकता। इसलिये ट्रकों में से पुल के एक ओर सामान उतारना पड़ता है और दूसरी ओर उस पर सामान फिर लादना पड़ता है जिस कारण बहुत ही दिक्कत होती है। अतः नर्मदा नदी पर बनाये जाने वाले पुल का निर्माण-कार्य अविलम्ब आरम्भ कर दिया जाना चाहिये।

जहां तक उड्डयन का सम्बन्ध है, असैनिक उड्डयन के सम्बन्ध में देश में आश्चर्यजनक रूप से उन्नति हुई है। देश में आई० ए० सी० के 83 हवाई अड्डे हैं और उसके विमानों के माध्यम से साल में दस लाख से भी अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं।

एयर इंडिया इन्टर्नेशनल विश्व के प्रमुख एयरलाइनों में से एक है जिसका कार्यक्षेत्र इक्कीस देशों में है।

किन्तु देश में तथा देश के बाहर हाल ही में दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटनाएं हुई हैं और हम कई योग्य व्यक्तियों को गवा बैठे हैं। बम्बई सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर हमें 'एकुजा प्लानिंग इक्युपमेंट' लगाना चाहिये जिससे हवाई अड्डे के धावनमार्गों पर पानी के खतरे की चेतावनी दी जा सके क्योंकि वर्षा ऋतु में वहां बहुत तेज तथा भारी वर्षा होती है।

एयर इंडिया में हाल की हड़ताल बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्रीय सेवाओं में ऐसी अनुशासनहीनता को रोका जाना चाहिये। मंत्री महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में अपनाई गई कठोर नीति के लिये वह बधाई के पात्र है। यह अजीब बात है कि 41 नेवीगेटर एयर इंडिया का कार्य बन्द करा दें। मझे यकीन है कि श्री जे० आर० डी० टाटा और प्रधान मंत्री की सहायता से यह समस्या हल हो सकती है।

श्री दाजी (इन्दौर) : हमारी योजना व्यवस्थित अथवा सन्तुलित न होने के कारण परिवहन को सर्वाधिक हानि हुई है। औद्योगिक तथा आर्थिक विकास अन्ततः दक्ष परिवहन पर आधारित करना होगा। इसके बिना हमारे अन्य प्रयत्न या तो असफल हो सकते हैं अथवा उनमें वह गतिरोध पैदा हो सकता है जिसका अनुभव हमें हो चका है। किन्तु हमारे परिवहन का विकास अव्यस्थित रूप में हुआ है। उदाहरणार्थ, कोचीन पोत निर्माण कारखाने तथा हल्दिया पत्तन में कई वर्षों से कोई प्रगति नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में विश्व बक का रुख उदार नहीं रहा है और वह बोझीली शर्तें लगा रहा है। हमें दूसरों के भरोसे रहने की अपेक्षा आत्म निर्भर बनने के लिये सक्रिय प से प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है।

हमारी सड़कों की हालत बहुत खराब है। यदि उत्पादन के नये ढांचे का विकास करना है और देश के दूरस्थ भागों का सम्पर्क औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधि वाले क्षेत्रों से स्थापित करना है, तो सड़कों का तेजी से विकास करने की अविलम्ब आवश्यकता है। इस मामले पर व्यापक रूप से विचार करने के लिये एक सड़क आयोजन बोर्ड अथवा सड़क निर्माण बोर्ड स्थापित करने की तुरन्त आवश्यकता है। सड़क परिवहन विशेषतः यात्री परिवहन के राष्ट्रीयकरण के लिये बहुत कम कार्य किया गया है। सड़क प्रणाली की कराधान-नीति समान होनी चाहिये। यदि प्रत्येक राज्य की कराधान सम्बन्धी नीति अलग-अलग होगी, तो उससे हानि होगी। केन्द्र को इस सम्बन्ध में अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्थिति में सुधार करना चाहिये।

जहां तक नौपरिवहन का सम्बन्ध है, यह प्रस्ताव रखा गया है कि 1975 तक कम से कम 50 प्रतिशत नौपरिवहन सरकारी क्षेत्र में होगा किन्तु तदनुसार राशि नियत नहीं की गई है और समिति

के समक्ष मंत्रालय के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बताई गई स्थिति के अनुसार हम लक्ष्य से दूर हैं। दूसरी बात यह है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि समूचा प्रशासन किस प्रकार सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध है। जब राष्ट्रीय हित में 'शिपिंग' कारपोरेशन को अलाभप्रद मार्ग दिये गये हैं, तो फिर गैर-सरकारी नौपरिवहन कम्पनियों को भी अलाभप्रद मार्ग दिये जाने चाहिये। जयन्ती शिपिंग कम्पनी के मामले में श्री सुखथनकर को, जिन्होंने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये थे, जांच आयोग का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिये था। मामले के इस पहलू पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

जहां तक नेवीगटरों का सम्बन्ध है, स्पष्ट स्थिति यह है कि नेवीगेटरों को जिस प्रकार 12 या 13 घंटे की नोटिस दिया गया है वह उचित नहीं है। अत्यावश्यक सेवा में 12 घंटे का नोटिस पर्याप्त नहीं है। एयर इंडिया के प्रबन्ध के बारे में पूरी जांच करने की आवश्यकता है। जहां तक प्रबन्ध की कर्मचारियों सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है एक गुट को दूसरे गुट का विरोधी बनाने की अस्पष्ट तथा पक्षपात पर आधारित नीति चल रही है।

कुछ दिन पहले जब विमान चालकों तथा व्योम-बालाओं के बीच विवाद चला था, तो उस मामले में एयर इंडिया ने वही रुख अपनाया और व्योम-बालाओं के प्रति निश्चित रूप से अन्याय किया। माननीय मंत्री जी को इस समूचे मामले पर अधिक व्यापक रूप से विचार करना चाहिये।

एयर इंडिया के कर्मचारी विदेशी मुद्रा तथा सीमा शुल्क सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन करते हैं और निषिद्ध वस्तुओं सहित कई वस्तुएं चोरी-छिपे भारत में लाते हैं। ऐसी वस्तुएं विमानों तथा यात्रियों के लिये खतरनाक होती हैं। अतः इस उपक्रम की काम-काजप्रणाली तथा उसके कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करते हुये चोरी-छिपे वस्तुओं के लाये जाने के बारे में जांच करवाई जानी चाहिये।

विमान दुर्घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। इसका एक कारण यह है कि प्रबन्धक, विशषतः इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के प्रबन्धक सुरक्षा विनियमों का लगातार उल्लंघन करते हैं। विभाग के सचिव महोदय इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के चैयरमैन भी हैं। यह दोहरा पद ठीक नहीं है। प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने ऐसे दोहरे पदों को समाप्त कर देने के सम्बन्ध में सिफारिश की है। क्रय करते समय वे राडार जैसी अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं को महत्व नहीं देते। दूसरी बात यह है कि नये बड़े जहाज खरीदते समय वे काफी फालतू पुर्जे प्राप्त नहीं करते जिसके फलस्वरूप कभी-कभी विमान सेवाएं अस्तव्यस्त हो जाती हैं।

जून, 1963 के डकोटा विमान दुर्घटना के बारे में जस्टिस खोसला द्वारा की गई जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन में परस्पर विरोधी बातें भरी पड़ी हैं और वास्तव में यह अच्छा प्रतिवेदन नहीं है।

जहां तक वेतन-वृद्धि का सम्बन्ध है इंजिनियरों के वेतन में लगभग 300 रुपये की वद्धि की गई है किन्तु तीसरे और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की केवल 1 रुपया वृद्धि की गई है।

जहां तक नेवीगेटरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति अथवा समस्या का सम्बन्ध है उसका हल समूची विमान सेवा को बन्द कर देना नहीं है--जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है। हल तो यह है कि नेवीगेटर अपने काम पर वापस आ जायें और उनके द्वारा ऐसा किये जाने पर मंत्री महोदय को उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिये तैयार रहना चाहिये। लिखित रूप क्षमायाचना का आग्रह सर्वथा अनावश्यक है। हमें न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : Mr. Deputy speaker, Sir, while Members have expressed views about the modern modes of transport, they have made no mention of the road facility required by a crore of bullock-carts which daily provide transport to millions of our countrymen. Our late Prime Minister, Shri Nehru had observed that we must give topmost priority to roads, not only very up-to-date cement roads, but roads of all kinds, to open vast areas of this country which were closed today and which one could not reach unless one

[Shri Bishwanath Roy]

walked or rode. But it is not understood as to why less importance has been accorded to transport and communications in the Third and Fourth Plans in comparison to First and Second Plans. While during the First and Second Five Year Plans 27 and 28 per cent of the total expenditure was incurred on the transport respectively, it was reduced to 23·6 per cent during the Third Plan and now only 19·2 per cent of the total expenditure has been allocated during the Fourth Five Year Plan. This mode of transport is not only used for passenger transport but it is also used for transport of goods also. For instance, in the year 1960-61 12·5 crore tons of goods were transported by road transport in comparison to 16 crore and 20 lakh tons by Railways. In spite of all this road transport has not been given due importance in the Fourth Five Year Plan,. Roads should be constructed in the Uttar Pradesh. Today we find that some of the terms for giving central assistance for inter-state roads are such that assistance can perhaps never be forth coming. I would like to stress that the conditions should be relaxed.

I would also like to stress that something should be done as far as level crossings are concerned. At the level crossings generally we find the traffic is held up, when a train passes. I want to urge that Government should share 50 per cent cost of over-bridges or under-bridges. 20 per cent will not do at the same time. I may state that a scheme should be formulated for construction of bridges over the Ganga River in the Terai area. It has got its importance for the defence. I want to draw this attention of the House that there are several places in Uttar Pradesh which can be developed as game reserves and can attract large number of tourists. By this the Government can earn good amount of foreign exchange.

श्री काशीनाथ पांडे (हाटा) : मैं मंत्रालय के सभी मामलों पर चर्चा नहीं करूंगा। एयर इंडिया के नेवीगेटरों की हड़ताल का मामला मेरे समक्ष है। श्री दाजी ने अभी कहा है कि न्यायाधिकरण के निर्णय के फलस्वरूप कई लोगों की जो वेतन वृद्धि हुई है वह एक रुपये से अधिक नहीं है। अतः मेरा विचार यह है कि इस दिशा में जो असन्तोष पाया जाता है वह निराधार नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा मत यह है कि एयर इंडिया के नेवीगेटरों की हड़ताल बिल्कुल निश्चित रूप से अनुचित है। इसका इतिहास यह है कि कुछ लोगों ने वेतनवृद्धि और घंटों की कमी करने की मांग की थी। उस हालत में जब कि न्यायाधिकरण की बैठकें हो रही थीं तो सम्बद्ध पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया गया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप कोई समझौता हो गया और उस समझौते को अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया। न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार 90 घंटों का समय कम करके 50 घंटे कर दिया गया है। जो लोग 3650 रुपये वेतन पाते थे उन्हें 4500 रुपये प्राप्त होने लग गये हैं। जो लोग 2320 रुपय पाते थ उनका वेतन अब 2575 रुपये हैं। इस दृष्टि से पंचार में अपेक्षित संशोधन कर लिये गये थे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गत कुछ वर्षों में एयर इंडिया ने जो ख्याति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्राप्त की थी उसे इस हड़ताल ने पूर्णतः समाप्त कर दिया है। आम विचार यह है कि जहां राष्ट्रीय हितों का प्रश्न हो वहा पर हड़ताल नहीं की जानी चाहिए। एक बार जब पंचाट दे दिया गया तो सम्बद्ध लोगों को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यह भी सब को पता है कि इस हड़ताल के कारण देश को पहल हीं 90 लाख रुपये की हानि हो चुकी है। उनको स्पष्टतया बता देना चाहिये कि उनकी हड़ताल से हमें कोई सहानुभति नही हैं।

कोई और बात करने से पूर्व हड़ताल को स्पष्ट तौर पर वापिस लिया जाना चाहिए। इसके बाद इस मामलों पर विचार करने के लिए मंत्रालय को देना चाहिए। इसी प्रकार

राज पथों के निर्माण के लिए कुछ सिद्धान्त बनाने चाहिए। मुख्य प्रश्न क्षेत्र की जनता और देश के पिछड़े भागों में पहुंचने की है। हमें सीमावर्ती राज्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी दृष्टि से ही राजपथों के निर्माण का कार्यक्रम बनना चाहिए।

Shri Bagri (Hissar) : India is a country of villages. Every kind of transport is available here. Therefore I humbly submit that in our efforts to develop the modern modes of transport, we should not ignore the country's traditional means of transport like tongas and bullock-carts which even today the villagers use for their convenience and advantage. Section of our population frequently use these sources of transport to cater their needs. Therefore, I urge upon the Government that the provision of rubber tyres for bullock-carts should be done. From the point of view of human consideration I urge that cycle rickshaws should be discouraged. This is a great blot on the principle of equality.

I want to say something about ships. Ships are very essential to bring different things and food-grains from the sea route. In this connection, my opinion is, we should pay special attention to increasing the loading and unloading capacity of our ports in order to be able to handle an increasing amount of our foreign trade. So far as roads are concerned there should be a uniform policy in regard to the development of roads in the country. At present mainly roads are constructed around about cities. It is very unfortunate that rural areas are very badly neglected. Let me state that the policy of road development should aim at the progress in the country.

Special attention should also be paid towards the provision of roads in the border areas and in the areas which are very important from the point of view of the defence of the country. There ought to be uniformity in the matter of fares and taxes etc., so far as travelling by buses owned by the State Governments or public sector undertakings are concerned. There is a favourtism in the Air India. Air India is a public sector undertaking, but we are having a man from the private sector as the chairman. This is a thing which encouraged favouritism.

As far as the strikes by the Navigators are concerned, it is wrong to call it anti-national. The Minister should show magnanimity and try to settle the issue amicably ignoring petty things. The tourists, who come to this country and want to know about our culture. This can be done by visiting hills, forests and the areas like Bastar. But most of such areas do not have enough roads. I urge upon the honorable Minister that some attention should be paid to this matter. We must also assess the progress the country has made.

श्री खाडीलकर (खेड) : मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होती है तो एक अवसर मिल जाता है कि जो भी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। यदि काम ठीक हुआ हो तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, यदि नहीं तो सुधार के सुझाव प्रस्तुत किय जाने चाहिये। हमने देखा है कि लोग समस्या को समझे बिना ही उसकी आलोचना करने लग जाते हैं। गत वार तो मने सड़क परिवहन तथा ऐसी अन्य बातों पर अपने विचार व्यक्त किये थे। अब मैं जहाजरानी और विशषतया जयन्ती शिपिंग विदेशी मुद्रा के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे ज्ञात है कि रिजव बक ने भी इस ओर ध्यान दिया है। परन्तु मैं समझता हूं कि मुझे इस समय एयर इंडिया के हाल के विवाद का उल्लेख करना चाहिये। मैंने इस विवाद को निपटाने के लिये मध्यस्थता का कार्य किया है। मैं सभा को इस बारे में सूचित करना चाहता हूं कि मेरा मध्यस्थता प्रयास कहां तक सफल हुआ है।

[श्री खाडीलकर]

जहां तक एयर इंडिया की हड़ताल का संबंध है यह न तो नेवीगेटरों के द्वारा और न ही पायलटों द्वारा लाई गयी है परन्तु यह हड़ताल प्रबन्धकों के कुछ गलत कार्यों के कारण हुई है और इस मामले में विभाग के सचिव ने मंत्री महोदय को गुमराह किया है। चतुराई के साथ तथा माननीय आधार पर इस हड़ताल को बहुत पहले ही रोका जा सकता था। 23 तारीख को प्रबन्ध द्वारा एक पत्र में यह कहा गया था कि यदि कुछ विभेद है तो उसको प्रबन्ध, गिल्डस, संस्थाओं और सम्बन्धित संघों के बीच परस्पर परामर्श तथा समझौतों द्वारा दूर किया जा सकता है। जब एक बार यह स्वीकार कर लिया गया है कि कुछ विभेद है तो फिर और क्या रह जाता है।

इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि झगड़े का प्रश्न यह है कि क्या पदों के स्तर कुछ तकनीकी सहायता से बनाये गये थे। क्या उनके कामों का मूल्यांकन किया गया था? जब काम के मूल्यांकन के प्रश्न को स्वीकार कर लिया गया है तो फिर झगड़ा किस बात पर है। हमने मंत्री महोदय के व्यक्तिगत वेतन द्वारा समायोजन का सुझाव स्वीकार लिया है। खेद की ही बात है कि इस पर भी हड़ताल जारी है। इसका कारण यह है कि मंत्रालय ने बड़ा कड़ा रवैया अपना रखा है। मंत्रालय को प्रबन्ध ने काफी अन्धकार में रखा है। हमें इस बारे में जिम्मेदारी निर्धारित कर लेनी चाहिए। यदि इस मामले में प्रबन्ध जिम्मेदार है तो उसको यह महसूस कराना चाहिए कि हड़ताल के जारी रहने की जिम्मेदारी उन पर है।

इस दिशा में मेरी यह पक्की धारणा है कि प्रबन्ध की सख्ती के कारण झगड़ा तूल पकड़ गया। यह देखने में आया है कि जिन लोगों को लम्बी उड़ानों का कोई अनुभव अथवा योग्यता नहीं उनको पक्ष पात के कारण उंच पद दे दिये गये। मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय को अपनी कठोर नीति को त्याग देना चाहिए। इस समस्या को बड़ी उदारता से सुलझाया जाना चाहिए। कठोर नीति से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकेगा।

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : बहुत सी बातों पर माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। मैं कुछ बातों पर चर्चा करूंगा । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि परिवहन मंत्रालय एक निर्धारित नीति पर नहीं चल रहा। मेरा इस बारे में निवेदन है कि परिवहन के विविध अंगों के बारे में निश्चित नीति है। मंत्रालय ने बड़ी सावधानी से विचार करने के पश्चात राष्ट्रीय राजपथों, अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कों तथा राज्य सड़क प्रणाली में विस्तार किया है। लगभग 16000 मीलों में राष्ट्रीय राजपथ बनाने की दिशा में हमने काफी प्रगति की है। राष्ट्रीय राजपथों के कई स्थानों के बीच की सड़कें नहीं थीं। कुछ राजपथों के अतिरिक्त अन्य सभी को मिला दिया गया है। 352 पुल अभी बनाने बाकी है। इस दिशा में काफी पुल बन चुके हैं। 60, 70 पुलों का काम अभी बाकी है।

जहां तक सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाने का संबंध है सीमावर्ती सड़क विकास प्राधिकार ने जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नेफा, मिजो हिल्स और नागालैण्ड में एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,341 मील लम्बी सड़कें बनाई जायेंगी। इनमें से 3,887 मील लम्बी सड़कें बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में पहले से बनी हुई 2770 मील सड़कों के सुधार का कार्यक्रम भी बनाया गया है।

1965 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में हमने महसूस किया कि राजस्थान और गुजरात में हमारी संचार व्यवस्था में कुछ कमी है। इस लिये हमने राजस्थान में 2500 मील तथा गुजरात में 954 मील या लगभग 1000 मील लम्बी सड़कें बनाने के लिये योजना बनाई है और उन पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इन सड़कों पर राजस्थान में लगभग 26 करोड़ रुपया तथा गुजरात में लगभग 12 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है।

देश में परिवहन पद्धति के विकास के लिये मंत्रालय भरसक प्रयत्न कर रहा है। जैसा कि सभा को अवगत है मोटर गाड़ी अधिनियम को लागू करना राज्य सरकारों का काम है और मोटर गाड़ी कराधान तथा दूसरे विनियमों के बारे में उनके अपने कार्यक्रम है। समस्त देश में लगभग एक सी पद्धति है और इसको अन्तर्राज्य परिवहन आयोग द्वारा समन्वित किया जा रहा है। हमने जो विभिन्न कार्य आरम्भ किये है उससे देश में परिवहन पद्धति में निस्सन्देह वृद्धि हुई है और कोई भी यह नहीं कह सकता कि परिवहन पद्धति को हानि हुई है क्योंकि हम रेलवे को अधिक महत्व दे रहे है। लगभग पांच या छः वर्षों में हमारे देश में मोटर गाड़ियों की संख्या दुगुनी हो गई है तथा हमारे देश की मोटर गाड़ियां निर्माण सम्बन्धी क्षमता में भी वृद्धि हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों को पड़ोसी राज्यों में ट्रक चलाने के लिये अन्तर्राजीय परमिट जारी करने के लिये परामर्श देने के प्रश्न पर हम विचार कर रहे है। इस दिशा में हमने पर्याप्त प्रगति की है। लगभग 25,000 ट्रक दो राज्यों से अधिक राज्यों में माल ला तथा ले जा सकते है। हमारे जैसे बड़े देश में सड़क परिवहन के महत्व को कम नहीं किया जा सकता।

विदेशी मुद्रा जैसी कई कठिनाइयों के बावजूद देश की पत्तन क्षमता को पर्याप्त बढ़ाया गया है। पहले देश में पत्तनों में माल उतारने की क्षमता लगभग 4.8 करोड़ टन थी परन्तु आज यह क्षमता लगभग 6 करोड़ टन की है। आशा है कि 1970 अथवा 1971 से पहले हम देश में विभिन्न पत्तनों पर लगभग 8 करोड़ टन उतारने अथवा चढ़ाने की व्यवस्था कर सकेंगे। इस समय देश में आठ बड़े पत्तन है। मंगलौर और तुतूम्कुड़ी पत्तनों का विकास किया जा रहा है। इन को मिलाकर देश में कुल 10 बड़े पत्तन हो जायेंगे।

अभी तक बड़ी मात्रा में आयात किये जा रहे अनाज को उतारने की समस्या बनी हुई है। आयात किये गये लगभग 60 से 70 लाख टन अनाज को उतारने की हमारी सामान्य क्षमता की तुलना में हमें इस वर्ष आयात किये गये 1.2 करोड़ टन अनाज को उतारने के लिये कहा गया है। लगभग छः लाख टन प्रति मास की सामान्य क्षमता की तुलना में हम पहले ही प्रति मास लगभग दस लाख टन अनाज उतार रहे है।

जहां तक जहाजरानी के विकास का सम्बन्ध है यह बड़ी उत्साहवर्धक बात है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत जहाजों द्वारा परिवहन किये जाने वाले प्रत्याशित भार से भी अधिक भार ठोया गया है। हम आशा करते थे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत हमारी क्षमता लगभग 11 लाख टन भार ठोने की हो जायेगी परन्तु आज हम 15 लाख टन माल ठो रहे है। एक या दो वर्षों में हमारी जहाजरानी की क्षमता 20 लाख टन भार ठोने की हो जायेगी। आयात तथा निर्यात किये जाने वाले माल को लाने तथा ले जाने की हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है।

अब हम निर्यात के लिये 'लागत बीमा भाड़ा' और आयात के लिये 'जहाज तक निःशुल्क' भाड़ा दर लगाते है। यदि इस प्रवृत्ति को बनाये रखा गया तो पांच या छः वर्ष के भीतर ही हम संसार के जहाजरानी के मुख्य राष्ट्रों में से एक होंगे। आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक हमारे कुल 'टनज' में 30 लाख टन की अधिक वृद्धि होगी और हमारी क्षमता 50 लाख टन की हो जायेगी। हमारी पत्तनों में पर्याप्त सुधार हुआ है और अब वहां पर अधिक क्षमता के जलपोत भी आ सकते है।

आसाम तथा राजस्थान की कुछ विशेष समस्याओं का उल्लेख किया गया हैं। हम आसाम राज्य को सड़कें आदि बनाने के लिये पूरी सहायता दे रहे हैं। इस ओर पर्याप्त प्रगति हुई है। आसाम में सड़के बनाना तथा उनको बनाये रखना दूसरे राज्यों की तुलना में एक कठिन कार्य है। अधिक वर्षा होने के कारण वहां पर सड़कें बनाने तथा उनको बनाये रखने पर बहुत व्यय करना पड़ता है। परन्तु राज्य में महत्वपूर्ण सड़कें बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। हमने इस ओर पर्याप्त प्रगति की है। मैं यह आश्वासन देता हूं कि जिन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना स्वीकार किया गया है उन पर बिना विलम्ब कार्य किया जायेगा और हम इसके लिये भरसक प्रयत्न करेंगे कि आसाम की संचार व्यवस्था में अपेक्षित स्तर तक सुधार हो।

[श्री चे० मु० पुनाचा]

हाल ही के संघर्ष के कारण 'रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी' में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। आशा है कि शीघ्र ही मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे और हम शीघ्र ही रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को पूरी क्षमता से चला सकेंगे। हम इस कार्य को सामान्य स्थिति पर लाने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे। निस्संदेह इस समय इस कम्पनी में घाटा हो रहा है। इसको कुशल नेवीगेशन प्रणाली बनाने के लिये हम इसमें विभिन्न सुधार करेंगे।

इस समय पंजाब में मोटरगाड़ी चालकों ने हड़ताल कर रखी हैं और अधिकांश मोटरगाड़ियां नहीं चल रही हैं। मेरा विचार है कि मोटरगाड़ी कर में वृद्धि के कारण यह हड़ताल हुई है। कर में वृद्धि का निर्णय पंजाब सरकार ने स्वयं लिया है। इस वृद्धि के बाद भी पंजाब में कर दूसरे राज्यों की तुलना में कम हैं। फिर भी यह मामला हमारे विचाराधीन हैं। दूसरे राज्यों में कराधान की तुलना में नई वृद्धि को अनुचित नहीं कहा जा सकता। सदस्यों ने जो मूल्यवान सुझाव दिये है उनके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री शिंकरे (मारमागोआ) : इसमें कोई शक नहीं है कि एयर इन्डिया की हड़ताल पूर्णतया अवैध है परन्तु हमें कानूनी स्थिति पर कठोरता से नहीं डटे रहना चाहिये। हमें समूचे प्रश्न पर उदारतापूर्वक तथा निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये। ऐसा मालम होता है कि नेवीगेटरों को प्रबंधको के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें है। नेवीगेटरों की एक शिकायत यह है कि प्रबन्धकों ने फ्लाइट इन्जीनियरों का पक्ष लिया है और इससे न्यायाधिपति खोसला कुछ पथभ्रष्ट हुए है तथा उन्होंने जो पंचाट दिया है वह स्थिति की वास्तविकताओं के अनुसार नहीं है।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

पश्चिमी जर्मनी के एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र में यह खबर छपी है कि जिस समय बोईंग दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उस समय इटली का एक लड़ाकू विमान भी लापता था और यह सम्भव है कि वह लड़ाकू विमान इससे टकरा गया हो। मंत्रालय को इस मामले पर विचार करके वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहिये जिससे एयर इंडिया के विमान चालकों तथा नेवीगेटरों के गौरव को पुन:स्थापित किया जा सके।

मालूम नहीं इस विभाग का नाम असैनिक उडडयन की बजाय केवल उड्डयन क्यों रख दिया गया है।

सरकार ने पर्यटन के बारे में मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया है जोकि पर्यटन के विकास तथा इसको बढ़ावा देने के लिये अत्यावश्यक है। हमें पर्यटकों को उचित सुविधाएं देनी चाहिये।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम) : हाल ही के आक्रमणों के पश्चात सैनिक और असैनिक उड्डयन का महत्व बहुत बढ़ गया है और हमें इसमें कुछ परिवर्तन करने के लिये गम्भीरतासे विचार करना चाहिये।

पिछले कुछ समय से मैं सभा में इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमें उड्डयन को विशेषकर असैनिक उड्डयन को प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति समझना चाहिए। यदि असैनिक उड्डयन विभाग को प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन रखा जाय तो इससे अधिक अच्छे परिणाम निकलेंगे। हमें अनुशासन तथा कई अन्य बातों में समन्वय करना चाहिये।

हमारे देश में इस समय 19 फ्लाइंग क्लब हैं। गत वर्ष उन पर 33 लाख रुपया खर्च किया गया था। इस समय स्थिति यह है कि एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन और भारतीय वायुसेना एक दूसरे से विमान चालक उधार ले रही हैं। इस लिये मैं कहूंगा कि इनमें किसी प्रकार का समन्वय होना चाहिये। यदि समूचे असैनिक उड्डयन विभाग को प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं किया जा सकता तो कम से कम भरती, प्रशिक्षण और विमानों को बदलने के बारे में अधिक

सहयोग हो सकता है। पहले ही फ्लाइंग क्लबें भारतीय वायुसेना का कुछ कार्य कर रही है। असैनिक उड्डयन को प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति बनाने के लिये अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी योजनाओं का समन्वय किया जाना चाहिये।

फ्लाइंग क्लबों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमें विमान द्वारा अधिक से अधिक यात्रा करने की आदत डालनी चाहिये। मैं महसूस करता हूं कि कुछ प्रदेशों में ये क्लबे खोली जानी चाहिये विशेषकर रांची में एक ऐसी क्लब खोली जानी चाहिये। इस क्लब को बिहार फ्लाइंग क्लब का एक अंग बनाया जा सकता है इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

ग्लाइडिंग क्लबों को अधिक लोकप्रिय बनाया जाना चाहिये विशेषकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में।

इस समय सब से महत्वपूर्ण बात पायलटों तथा इंजीनियरों की कमी की है। सरकार को इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिये।

मेरा विचार है कि असैनिक उड्डयन विभाग में उद्योग के व्यक्ति लगाये जाने चाहिये। इस समय अधिकारी कुछ वर्षों के लिये आते और तत्पश्चात चले जाते हैं। मंत्री महोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि इस विभाग में केवल उद्योग के व्यक्ति ही नियुक्त किये जायें।

जहां तक नेवीगेटरों का संबंध है मेरा विचार है कि उनका मामला उचित है परन्तु उन्होंने अवैध हड़ताल करके गलत मार्ग अपनाया है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह उदारता से काम ले कर इस समस्या को हल करे।

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं सर्व-प्रथम सरकार का ध्यान बम्बई पत्तन की ओर दिलाना चाहता हूं। इस पत्तन के विस्तार की गुंजायश है। महाराष्ट्र में लगभग 16 छोटे पत्तन हैं। उनका विकास किया जाना चाहिये तथा उनकी संचार व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये तथा इसको सस्ता बनाया जाना चाहिये।

हम चौथी योजना शुरू करने वाले हैं परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि 'बालार्ड पायर' और यात्रियों के लिये नये टर्मिनल भवनों के निर्माण-कार्य में प्रगति नहीं हुई है। जबकि इस कार्य को द्वितीय योजना में शामिल किया गया था।

हमें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये अधिक सुविधायें प्रदान करनी चाहिये।

हमारी एयरलाइन्स को अलाभप्रद मार्गों पर विमान नहीं चलाने चाहिये। डकोटा विमान पुराने हो चुके हैं। हमें इनके स्थान पर अच्छे तथा आधुनिक विमान क्रय करने चाहिये। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि उड़ान समय पर हों। विमानों में तथा होटलों में अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं होता है। इसमें सुधार किया जाना चाहिये। दूसरी सेवाओं में भी सुधार किया जाना चाहिये। दुर्घटनाएं कम हों इसके लिये हमें कार्यवाही करनी चाहिये।

सड़क विकास के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बम्बई-आगरा जैसे राजपथों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : सभापति महोदय, नेवीगेटर्स की हड़ताल के बारे में मैं मंत्री महोदय को उनके वक्तव्य पर बधाई देता हूं। फिर भी आशा करता हूं कि कोई हल इस समस्या का निकल आयगा।

मंत्री महोदय ने कहा है कि मंगलौर हवाई अड्डे के भवन पथ को लम्बा कर दिया जायेगा। पत्तन बन जाने के पश्चात मंगलौर एक मुख्य स्थान बन जावेगा। इस कार्य पर 26·6 करोड़ रुपया व्यय होगा। भारत में जो खाद्यान्न आते हैं वह अधिकतर मंगलौर पत्तन के रास्ते आते हैं। यह भी

[श्री अ० शं० आल्वा]

सुझाव है कि मंगलौर के पास एक उर्वरक कारखाना हो। इस कारण मंगलौर पत्तन के कार्य को शीघ्र आरम्भ करना चाहिये।

जो सड़क मद्रास से बंगलौर और फिर मैसूर से होती हुई मंगलौर जाती है उसे राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर देना चाहिये क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सड़क है। यह सड़क राष्ट्रीय सड़क बननी चाहिये यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर इसे केन्द्र से सहायता मिलनी चाहिये।

पर्यटन के संबंध में मंगलौर का पश्चिमी तट जिसे मारवान्ते कहते हैं विकास के लिये उपयुक्त है। यहां समुद्र तथा नदी साथ साथ चलते हैं और उनके बीच में अच्छा तट है ज्योंकि पर्यटन के लिये अच्छा है। मुझे आशा है कि सरकार इस स्थान को रमणीक स्थान बनावेगी।

श्री कन्डप्पन (चिदाम्बरम) : मैं उन सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने यह चिन्ता प्रकट की है कि चौथी योजना में सड़क सुधार के लिये निर्धारित रक़म कम है। हमारा देश काफ़ी बड़ा है और उसके लिये यह कम ही है।

मंत्रालय के 1962-63 के प्रतिवेदन में एक अन्तर्राज्यीय सड़क जोकि मेत्तूर बंध मद्रास को मधेस्वरन कोईल से मिलावेगी का उल्लेख है। उसके लिये 18 लाख रुपया रखा गया है। तीन वर्ष तक इस क बारे में कुछ नहीं किया गया। मैं इस देर का कारण जानना चाहता हूं।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक तंग पुल की ओर जोकि कावेरी नदी पर है, दिलाना चाहता हूं। इसकी उपेक्षा की जा रही है। यह मद्रास-कालीकट सड़क के साथ साथ है। इस सड़क पर बहुत यातायात होती है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस पुराने पुल की ओर ध्यान दें।

पर्यटन के बारे में तथा इस देश के लोगों के लिये भी यह चाहिये कि राष्ट्रीय राजपथों पर जो पत्थर हैं उन पर मीलों तथा नगरों के निशान सब भाषाओं में लिखे जाने चाहिये।

सरकार का जहाजरानी के बारे में दृष्टिकोण ठीक नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि इस देश का समुद्रतट बहुत दूर तक है। पानी के जहाज़ बनाने के हुन्नूर में भी हमें दूसरे देशों के जहाजों पर रहना पड़ता है ताकि वह हमारे लिये खाद्यान्न लावें।

सेतुसमुद्रम परियोजना के बारे में मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु इसे अभी तक आरंभ नहीं किया गया। इस प्रकार की उपेक्षा के लिये कोई भी बहाना ठीक नहीं है। यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिये भी आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि इस परियोजना को तथा तूतीकोरिन बन्दरगाह को बढ़ाने की योजना को शीघ्र पूरा किया जावे।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदय, ट्यूटीकोरिन पत्तन परियोजना के लिये केवल 193.60 लाख रुपये निर्धारित किये हैं। 1965-66 के लिये केवल 2 करोड़ रुपया निर्धारित किये थे। इसके लिये 4 करोड़ रुपया की मांग की थी। एक ऐसी परियोजना के लिये जिस पर 24 करोड़ रुपया व्यय होना था, इतना थोड़ा धन देना बहुत दुःखजनक है। यह सरकार के लिये घाटे का कार्य ही होगा। यह परियोजना लाभदायक कार्य होगा। इसके पहले वर्ष में ही इस से 30 लाख रुपया का लाभ होगा।

"ब्रेक वाटर्स" का निर्माण तेजी से तथा बिना रोक के करना चाहिये। इसके तथा 'बर्थ' के निर्माण का ठेका दो अलग अलग ठेकेदारों को दिया जाना चाहिये। इसके लिये सरकार को शीघ्र ही "टैन्डर" मांगने चाहियें। अब तो तकनीकी सलाहकार समिति ने भी इसके निर्माण की अनुमति दे दी है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन रुके हुए कार्यों के लिये शीघ्र अनुमति दें और 1966-67 के लिये 4 करोड़ रुपया निर्धारित करें।

सेतुसमद्रम परियोजना टयूटीकोरिन परियोजना से जुड़ी हुई है। टयूटीकोरिन परियोजना की प्रगति सेतुसमद्रम परियोजना के बिना नहीं हो सकती। इसी बात पर रामास्वामी मुदालीयर समिति ने जोर दिया था जिस मद्रास सरकार ने 1955 में नियुक्त किया था। यह योजना व्यापारी दृष्टिकोण के अतिरिक्त सुरक्षा के लिये भी आवश्यक है।

श्री मि० सू० मूर्ति (अनकापल्लि) : सभापति महोदय कल राष्ट्रपति ने 'वर्ल्ड मेरीटाइम डे' का उद्घाटन करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात हमने जहाजों के बारे में बड़ी प्रगति की है। फिर भी क्या कारण है कि हम अन्य देशों से जहाज खरीद रहे हैं। यह शिपयार्ड 25 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। इसकी वार्षिक निर्धारित क्षमता 60,000 टन है परन्तु यह अभी तक केवल 30,000 टन पर ही पहुंचा है। इन स्थान पर जो 1953-54 में जहाज बनाये थे उनका मल्य 116 लाख रुपये था और 1962-63 में यह 498 लाख रुपयों तक ही पहुंच सका है। इसके पश्चात् यह गिरता ही जा रहा है और इस समय तो यह केवल 429 लाख रुपया रह गया है। यह कहा जाता है कि इस मामले में प्रशासनिक देरी के कारण कठिनाई होती है तथा विदेशी मुद्रा की भी कठिनाई थी। इन के कारण प्रगति रुक रही है और मैं चाहता हूं कि यह चीजें मंत्री महोदय की दृष्टि में आवें।

वहां पर मजदूर बहुत सस्ते है परन्तु उनके साथ मजदूरों जैसा व्यवहार नहीं होता। दूसरे स्थानों पर मजदूरों को शिपयाड के मुकाबले अधिक वेतन मिलता है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि उनका मूल वेतन केवल 29 रुपये है तथा महंगाई भत्ता 75 रुपये है। इसे ठीक किया जाना चाहिये।

अधिकारियों के साथ भी कठिनाई है। वह भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जैसे महंगाई भत्ता चाहते है। कहते है कि वित्त मंत्रालय ने उनका मामला रोक रखा है। इस पर शीघ्र ध्यान दिया जावे।

विशाखापटनम की बन्दरगाह तो ठीक प्रकार चल रही है। परन्तु काकीनाडा, मसूलीपटनम और कृष्णपटनम जसी छोटी बन्दरगाहों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री पोट्टकाट्ट (टेलीचेरी) : महोदय केरल की परिवहन मंत्रालय ने न केवल विमान-सुविधाओं के बारे में परन्तु पत्तनों के विकास के बारे में, सड़क बनाने के बारे में, पर्यटन तथा अन्य मामलों में उपेक्षा की हुई है।

यह बड़े दुःख की बात है कि कालीकट पर हवाई-पट्टी बनाने के बारे में अभी कुछ नहीं किया है। मुझे आशा है कि कालीकट के लिये एक नियमित हवाई सेवा के बारे में मंत्री महोदय शीघ्र कार्रवाई करेंगे।

कोचीन पर दूसरा शिपयार्ड भी बनाने के मामले में ढ़ील पड़ी हुई है और उससे परिवहन मंत्रालय की कार्यकुशलता को अच्छा नहीं कहा जा सकता।

1954 में मंत्रालय ने एक विशेष योजना बनाई थी कि अन्तर्राज्य सड़कों का निर्माण किया जावे जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इसमें केन्द्र ने सहायता देने को कहा था। इसमें राष्ट्रीय राजपथ संख्या 4 का बनाना भी था। इस सड़क का वह भाग तो बना दिया गया है जो महाराष्ट्र और मैसुर में से गुजरता है परन्तु केरल में जो भाग है उस पर अभी काय भी प्रारंभ नहीं किया। केरल के साथ यह द्वेष क्यों है? आशा है कि मंत्री महोदय इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे।

बैपोट को सब मोसमों के लिये पत्तन बनाने का अच्छा अवसर है। यदि यह हाथ में ले लिया तो केरल के मालाबार क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो जावेगा। केरल में पर्यटन को पदोत्साहन देने का अच्छा अवसर है। सारे देश म अन्य कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां इतनी, प्राकृतिक सुन्दरता हो जैसी कि केरल में है। वह तो पर्यटकों के लिये स्वर्ग है। परन्तु पर्यटकों को केवल दो ही स्थानों का

[श्री पोट्टेकाट्ट]

पता है अर्थात थेकड़ी और कोवालम। वैसे इन दोनों स्थानों का भी प्रचार अधिक नहीं होता है। अनामुडी पश्चिमीघाट पर सब से ऊंची चोटी है। परन्तु वहां पहुंचने के लिये एक सड़क भी नहीं है। इस लिये यदि ठीक प्रकार विकसित किया गया तो केरल पर्यटकों के लिये बहुत आकर्षक बन सकता है। यदि इसका प्रचार किया तो यह पूर्व का स्विट्ज़रलेंड बन सकता है।

हम सब को एयर-इन्डिया के प्रबन्धकों और वहां के नेवीगेटरों के झगड़े पर चिन्ता है। वहां की स्थिति को सामान्य बनाने का हमें प्रयत्न करना चाहिये।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : कल मंत्री महोदय ने एयर इन्डिया में नेवीगेटरों की हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य दिया जोकि बहुत सहायक है। उस से यह स्पष्ट पता लगता है कि कि वहां अनुशासनहीनता, धीरे काम करने के तरीकों का कितने दिन से आहिस्ता आहिस्ता कार्य चल रहा था। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना वेतन पाने वाले यह लोग बिना ठीक नोटिस दिये हड़ताल कर बैठ। यदि उन्हे कोई शिकायत थी हो उसे कानूनी तरीकों से ठीक कर सकते थे। मंत्री महोदय ने ही इस हड़ताल को गैर-कानूनी हड़ताल कहा है। हम भी इससे सहमत हैं और सरकार का उन लोगों पर अनुशासन कायम करने में समर्थन करते है।

बीच बचाव की बात श्री खादिलकर ने कही। मै श्री खादिलकर की सफलता के लिये प्रार्थना करता हूं। इस मंत्री महोदय को इस प्रश्न पर कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता देते है।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : जितने भी भाषण यहां हुए वे सभी बहुत रचनात्मक थे। कुछ सदस्यों ने क्षेत्रीय मामलों का उल्लेख किया जैसे सड़के, हवाई अड्डे तथा पर्यटन। उनका उत्तर मेरी सहकारी श्रीमती जैपालसिंह ने दे दिया है। विशेषकर पर्यटन का बाकी का उत्तर श्री पुनाचा ने दिया है।

कुछ सदस्यों तो जो कार्यवाही मैंने इस हड़ताल के बारे में की है उस के कारण मुझ से नाराज़ है और कुछ ने उसकी सराहना की है। मै यह बता दूं कि यह सख्त कार्यवाही नहीं थी। यह तो नेवीगेटरों की ग़ैर-कानूनी हड़ताल कर बिना टाला जानेवाला परिणाम था। उसी के कारण यह दु:खदायिक स्थिति हुई है। परन्तु यह कार्यवाही करने पर सरकार तथा निगम को मजबूर कर दिया था। निगम के अधिकारी इन नेवीगेटरों से मिलते रहे है जैसे श्री टाटा तथा श्री पटेल। उसके पश्चात् मंत्रालय का सचिव स्वयं 16 तारीख को नेवीगेटरों से मिला। क्या आप विश्वास करेंगे कि उन्होंने हड़ताल का नोटिस 17 तारीख को दिया और वह भी केवल 12 घंटे का सायं 4 बजे से प्रात: 4 बजे तक का। उन्होंने रात का समय इस लिये छांटा ताकि दिन के समय हम इनमें से किसी से मिल भी न सकें। वैसे कानूनी दृष्टि से सामान्य तौर पर 14 घंटे का नोटिस दिया जाता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में मैं यह कह दूं कि हमने कोई ज़िद से कार्य नहीं किया है।

एक ओर तो वह कर्मचारी है जिन्हें एक एक टुकड़ा कठिनाई से प्राप्त होता है। यदि उनके बारे में होता तो मैं पहला व्यक्ति होता जो उनकी सहायता करता। परन्तु इन्हें आप मजबूर नहीं कह सकते जिन्हें 3000 रुपये से 3600 रुपये मासिक मिलते हैं। क्या यह ग़रीब हैं और क्या सदस्यों को इन से सहानुभूति रखनी चाहिये ?

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

इन 41 व्यक्तियों ने 41 करोड़ की जनता के देश को परेशान करके रख दिया है। इन्हें इतना वेतन मिलता है फिर भी यह पंचाट के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। यह निणय पंजाब उच्च न्यायालय के भूतपूर्व

सर्वोच्च न्यायाधीश ने दिया है। और फिर इस से नेवीगेटरों को कोई घाटा नहीं हुआ है। केवल इंजिनियरों को कुछ मिल गया है और इसके कारण उन्हें अब नेवीगेटरों के बराबर मिलने लग गया है। नेवीगेटर पद में अब भी इंजिनियरों से उपर हैं। मैं अब भी इन लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वह छोटी बातों के बारे में सोचने की बजाय अपने देश के मान के बारे में सोचे जो मान विदेशों में है जहां हमारे जहाज जाते हैं।

यदि पंचाट में संशोधन किया जाता है और नेवीगेटरों को कुछ और दिया जाता है तो फ्लाइट इंजीनियर रुष्ट हो जायगे और तत्काल हड़ताल कर देंगे। जो कम वेतन वाले मज़दूर है उनको केवल 1 रुपया ही अधिक मिल रहा है। वे अधिक असंतुष्ट हैं। परन्तु नेवीगेटर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि उनको ही हानि है।

यदि कल को निगम तथा सरकार के प्रयत्नों के बावजूद भी हड़ताल जारी रहती है और संस्थापना को बन्द कर दिया जाता है तो विमान चालकों तथा नेवीगेटरों को कोई रुष्ट नहीं होगा, अपितु 6,000 मजदूर कठिनाई में पड़ जायेंगे। क्या इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा है। नेवीगेटरों कमांडरों और विमान चालकों को 6,600 रु० महीना मिलता है जबकि हवाई सेनाध्यक्ष को केवल 4,600 रुपये महीना मिलता है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के लोग जान जायें कि क्या हमने उनके साथ कोई अन्याय किया है। एक स्क्वाड्रन कमांडर को 18 वर्ष की सेवा के बाद 1700 रु० मिलते हैं जब कि इन लोगों को 6,600 रु० मिलते हैं। क्या यह उचित है।

मैं उनके साथ नाराज़ नहीं हूं। अब भी मैं उनसे अपील करता हूं कि असंगतियों को पारस्परिक बातचीत द्वारा दूर किया जा सकता है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि देश के हित के लिये तुरन्त अपन काम पर जाइये। मेरा सचिव उनसे बातचीत कर सकता है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : आप से अपील की गई थी कि पंचाट के लागू किये जाने को छः दिन के लिये स्थगित किया जाये, यदि आप ऐसा कर देते तो उसमें क्या हानि थी।

श्री संजीव रेड्डी : मैं ऐसा करने से इन्कार करता हूं। यदि लोगोंने उनको प्रोत्साहन न दिया होता तो आठ रोज़ पहले ही समझौता हो गया होता। स्वभावतः जब उनको महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन मिलता है तो वे समझते हैं कि वे इसको जबरन करा लेंगे। निगम काम बन्द करने के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। जब जब त्याग पत्र ले लिये जायेंगे तो निगम को कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा और इस समय जो 5 लाख रु० की हानि हो रही है वह नहीं होगी।

अतः मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र नेवीगेटरों को काम पर आने के लिये मनायेंगे। जो कुछ हुआ सो हुआ। दुर्भाग्य से हमें हानि हुई है। गत वर्ष में भी नेवीगेटर ने हड़ताल की थी और तब विमान चालकों ने बिना नेवीगेटरों के उड़ान करके निगम की सहायता की थी।

पंजाब में लारियों पर लगाये गये करों के संबंध में भी प्रश्न उठाया गया है। लारी वालों ने पंजाब में अब हड़ताल कर रखी है। पंजाब में, कर में इस वृद्धि के बाद प्रति गाड़ी प्रति वर्ष 244 रु० कर के रूप में लिये जाते हैं जब कि मद्रास में 36,00 रु०, मध्य प्रदेश में 4,225 रु० और राजस्थान में 7,500 रु० लिये जाते हैं। ये कर राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाते हैं। अतः लारी मालिकों से मेरी प्रार्थना है कि वे भगवान के लिये इस प्रकार की कार्यकारियों को छोड़ें। यदि आप कर में कुछ कमी चाहते हैं तो इसके लिये राज्य सरकार को मनाएं। छोटी छोटी बातों पर हड़ताल करना उचित नहीं है।

हाल ही में पारादीप पत्तन का उदघाटन किया गया था। वहां पर सामान्य माल के लिये एक नये घाट की आवश्यकता है। यदि वित्त मंत्रालय कुछ पैसा और दे दे तो हम इस कार्य को तुरन्त कर सकते हैं। अन्य पत्तनों का भी धीरे धीरे विकास हो रहा है। तूतीकोरिन पत्तन के लिये हम कुछ और पैसा दे रहे हैं। श्री आल्वा ने मंगलौर पत्तन के विकास में देरी पर नाराज़गी प्रकट की। हमारे सामने विदेशी मुद्रा की समस्या है। हम यथाशीघ्र पत्तनों को पूरा करना चाहते हैं।

श्री कंडप्पन : सेतुसामुद्रम परियोजना के बारे में क्या स्थिति है।

श्री संजीव रेड्डी : मुख्य इंजीनियरने इसके बारे में मुझे सारी स्थिति स्पष्ट की थी। यह जांच की अवस्था पर है।

सीमावर्ती सड़कों की दशा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आसाम से आने वाले कई मित्रोंने कहा कि हवाई अड्डे नहीं बनाये गये हैं और अनेक स्थानों पर इनका विकास नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिनपर कि विचार किया जायेगा।

श्री नाथ पाई : एक ही व्यक्ति मंत्रालय का सचिव और निगम का सभापति है। इसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री संजीव रेड्डी : सामान्यः आमतौर पर स्वीकृत सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई मतभेद नहीं हो सकता है। परन्तु इसमें कुछ समय लगता है और इस सरकार द्वारा कुछ प्रबन्ध किया गया है।

श्री वासुदेवन नायर : दूसरे जहाज़ निर्माण कारखाने की क्या स्थिति है ?

श्री संजीव रेड्डी : कुछ विदेशी कम्पनियों से यंत्रणा मांगी गई है।

जहां तक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन का संबंध है, मैं केवल यही कह सकता हूं कि हम इस पर विचार करेंगे और कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए। / *All the cut motions were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय की मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई/*The following Demands in respect of Ministry of Transport and Aviation were put and adopted :*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
86	परिवहन और उड्डयन मंत्रालय	1,13,83,000
87	ऋतु विज्ञान	2,37,51,000
88	केन्द्रीय सड़क निधि	3,17,60,000
89	संचार (राष्ट्रीय राजमार्गों सहित)	9,57,77,000
90	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	1,34,28,000
91	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	1,12,47,000
92	उड्डयन	5,99,70,000
93	परिवहन और उड्डयन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,88,06,000
137	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	40,10,57,000
138	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	6,91,27,000
139	उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	4,19,21,000
140	परिवहन और उड्डयन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,31,52,000

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय

वर्ष 1966-67 के लिए निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
94	निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय .	18,88,000
95	लोक-निर्माण-कार्य	29,56,83,000
96	लेखन सामग्री और छपाई	9,82,51,000
97	निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,31,87,000
141	सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	8,50,37,000
142	दिल्ली पूंजी परिव्यय . .	11,51,12,000
143	निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	67,08,000

श्री मलमंदा रेड्डी (मारकापुर) : सरकार निधन लोगों, खेतिहर मज़दूरों और हरिजनों के लिये मकानों की व्यवस्था करने में असफल रही है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

योजनाओं में से किसी भी में मकानों के प्रश्न को महत्व नहीं दिया गया है । तृतीय योजना में जो थोड़ा बहुत उपबन्ध किया गया है उसका भी उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है । प्रथम और द्वितीय योजनाओं में आवास के लिय 111.50 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई थी, परन्तु उसको पूरी तरह खर्च नहीं किया गया । 3,20,000 मकान मंजूर किय गये थ परन्तु केवल 1,95,000 मकान पूरे किय गय । तृतीय योजना में आवास के लिये जो राशि मंजूर की गई थी उसके केवल 57 प्रतिशत को ही व्यय किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि उपबन्धित राशि का पूर्ण उपयोग ने करने के क्या कारण हैं ।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 4 लाख मकानों का लक्ष्य रखा गया था उसमें से लगभग 2.2 लाख मकानों के बनने की आशा है । इससे पता चलता है कि सरकार उपबन्धित राशि का पूर्ण उपयोग करने में पूरी तरह असफल रही है ।

[श्री मलमंदा रेड्डी]

इस देश में लगभग 10 करोड़ लोगों--हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के पास झोंपड़ियां बनाने के लिये भी भूमि नहीं है। सरकार ने उनके लिये कोई राशि नियत नहीं की है। औद्योगिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत 1962 से अब तक केवल 1,54,000 मकानों का निर्माण किया गया है जबकि 1,79,000 मकानों के निर्माण करने का अनुमान था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में गंदी बस्तियों को हटाने के लिये जो राशि आवंटित की गई थी उसमें से केवल 50 प्रतिशत को ही खर्च किया गया है। 1956 से 1965 तक सरकार को 94,898 आवास एककों का निर्माण करना था जब कि वास्तव में केवल 52,984 एककों का निर्माण किया गया है।

जैसा कि तृतीय योजना में स्पष्ट रूप से दिया गया है ग्राम आवास योजनाओं के अन्तर्गत हरिजनों, खेतिहर मजदूरों के लिये मकान बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिये। परन्तु हम देखते हैं कि इस सुझाव को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है ..... अब गण पूर्ति है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री मलमंदा रेड्डी : ग्राम आवास योजनाओं के अन्तर्गत 57,923 मकान बनाये जाने थे जब कि केवल 28,362 मकान ही बनाये गये हैं।

ग्रामों में हरिजनों और निर्धन लोगों के लिये मकान बनाने में सरकार निश्चय ही काफी समय लेगी। अतः सरकार को कम स कम मकान के लिये भूमि का उपबन्ध अवश्य करना चाहिये। अधिनियम में त्रुटियां होने के कारण सरकार जमींदारों से भमि अर्जित नहीं कर पाई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक मामले पिछले 16 वर्षों से लम्बित पड़े हैं। इस लिये माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह अधिनियम में संशोधन करने के लिये शीघ्र कदम उठायें। मैं महसूस करता हूं कि सरकार को हरिजनों के लिय मकानों की व्यवस्था करने के लिये कम से कम 100 करोड़ रु० की राशि नियत करनी चाहिये।

सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है कि जिन अधिकारियों के अपने मकान हैं उनको भी सरकारी मकान मिल सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया है जब कि दिल्ली में मकानों की पहले ही काफी कमी है। सरकार को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिये।

हाल ही में सरकारने यह निर्णय किया है कि मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के बजट का विकेन्द्रीकरण किया जायगा। यह निर्णय बहुत गलत है। इस संबंध में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सरकारी विभागों को केवल आठ वस्तुओं की खरीद के लिये खुले बाज़ार में 74,34,638 देने पड़े जब कि यदि ये वस्तुएं लेखन सामग्री विभाग से खरीदी गई होती तो केवल 52,41,729 रु० देने पड़ते। इस प्रकार उनको 22 लाख रु० का घाटा हुआ है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें ऐसा निर्णय लेने के कारण बतायें। माननीय मंत्री से मेरा अनरोध है कि वह, इस मामले में लेखन सामग्री विभाग के कर्मचारियों की संस्था ने जो अभ्यावेदन दिया है उसकी जांच करें।

श्री शिवचरण गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपने पूर्ववक्ता की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस मंत्रालय ने आवंटित राशियों का पूरा उपयोग नहीं किया। सच तो यह है जो राशियां आवंटित की गईं

थीं वे इस मंत्रालय द्वारा पूरी की पूरी खर्च की गई हैं । कठिनाई इस बात की है कि कुछ योजनाएं राज्यों के द्वारा क्रियान्वित की जानी होती हैं और वे उस योजनाओं को पूरा महत्व नहीं देते हैं। दूसरा, जो राशियां आवंटित की गई थीं उनमें भी आपात के कारण कमी कर दी गई ।

यदि मकानों की समस्या की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। गन्दी बस्तियां पैदा हो जायगी और गन्दगी बढ़ जायगी ।

यह अच्छा है कि नगरीय विकास का विभाग अब निर्माण तथा आवास मंत्रालय को दे दिया गया है । परन्तु दिल्ली में भूमि अर्जन का कार्य अब भी गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है । दो प्रकार के इस नियन्त्रण से कभी कभी बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं ।

दिल्ली की आबादी प्रति वर्ष 25,000 परिवारों के हिसाब से बढ़ती जा रही है । बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन करने और मकान बनाने का उद्देश्य यह था कि भूमि की कीमतों को गिराया जाये ।

दिल्ली में भूमि के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। सरकार की अल्प आय वालों के लिये आवास योजना के अन्तर्गत भी मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। बोली द्वारा बेचे जाने वाले प्लाटों का मूल्य 75 रुपये प्रति वर्ग गज़ तक हो गया है। क्या इस प्रकार निधन वर्ग की आवास सम्बन्धी समस्या ों को हल किया जा सकता है ? दिल्ली में बाहर से बड़ी संख्या में लोग आकर बसत जा रहे ह । इसस आवास समस्या और भी अधिक जटिल होती जा रही है। सरकार इस बारे में असफल रही है। सरकार न मकान बनाने के विषय में जो लक्ष्य निर्धारित किये थे वे पूरे नहीं हुए। इस लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त यहां पर गर-कानूनी तरीके से भी बहुत से मकानों का निर्माण हुआ है।

दिल्ली देश की राजधानी है। यदि यहां के प्रशासन में बड़ी गड़बड़ होती है तो वह बड़े खेद की बात होगी। झुग्गी झोंपड़ी वालों को भी बहुत कम संख्या में प्लाट दिये गये हैं। दिल्ली प्रशासन के कुल 40,000 कर्मचारियों में केवल 5 प्रतिशत को सरकारी मकान उपलब्ध किये गये है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्थिति बहुत खराब है। सरकार को मास्टर प्लान को कार्यान्वित करने के लिय उदारता से धन देना चाहिये ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। देश की राजधानी को उपेक्षा नहीं होनी चाहिये।

मास्टर प्लान के अन्तर्गत जो प्लाट फक्टरियों के लिये रखे गये थे उनका विकास नहीं हुआ है। नगर को सड़कों पर रेहडी वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। खोमचे वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यदि मास्टर प्लान के उपबन्धों को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया तो राजधानी को समस्याओं में और अधिक वृद्धि हो जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकार ने 180 मकानों का निर्माण किया है। ये मकान निर्धन वर्ग के लिये होंग। परन्तु इनका मूल्य 20,000 रुपये रखा गया है। यह बहुत अधिक है। गन्दी बस्तियों को हटाने के बारे में कार्य बहुत धीरे हो रहा है। हमारे देश के बड़ बड़े नेताओं ने इस बारे प्रयत्न किये है परन्तु प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण बाधाएं खड़ी हो जाती है और कार्य में उचित प्रगति नहीं हो पाती है। और समस्या यथापूर्व बनी रहती है। दिल्ली विकास प्राधिकार को मास्टर प्लान के अन्तगत शीघ्रता से ज़ोनल प्लान बनाने चाहियें। इस बारे में प्रगति नहीं हो रही है। इस समय दिल्ली में बहुत संख्या में मकान ऐसे स्थानों पर बनाये जा रहे है जहां पर मास्टर प्लान के अनुसार मकान नहीं होने चाहिये। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इस प्रकार के गैर-कानूनी निर्माण कार्य को रोकना चाहिये और मास्टर प्लान के उपबन्धों के उल्लंघन को रोकना चाहिये ।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
95	7	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के सभी छोटे मूल निर्माण-कार्यों, रख रखाव और मरम्मत कार्यों को विभागीय आधार पर न कराना।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
95	8	श्री स० मो० बनर्जी	ऐसे सभी अधिकारियों और संस्थानों को, जिन पर, लोक निर्माण-कार्य लेखा-शीर्ष के अन्तर्गत व्यय होता है, केन्द्रीय लोकनिर्माण-कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में न रखना।	,,
95	9	श्री स० मो० बनर्जी	दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के सभी बड़े मूल निर्माण-कार्यों को राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, लिमिटेड द्वारा न कराना।	,,
95	10	श्री स० मो० बनर्जी	अन्य विभागों से वह मकान-किराया-भत्ता वसूल न करना जिसे वे अपने उन कर्मचारियों के वेतन में से वसूल कर लेते हैं जिन्हें सरकारी मकान अलाट होते हैं।	,,
95	11	श्री स० मो० बनर्जी	दिल्ली से बाहर चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टरों में बिजली के पंखों की व्यवस्था न करना।	,,
95	12	श्री स० मो० बनर्जी	दिल्ली में सभी पंखों की मरम्मत का काम केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग की पंखा-मरम्मत वर्कशाप में न कराना।	,,
95	13	श्री स० मो० बनर्जी	नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के वातानुकूलन और बिजली के कार्यों को केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के उसी अधीक्षक इंजीनियर (बिजली) के अधीन रखने की आवश्यकता।	रुपये 100

1	2	3	4	5
				रुपये
95	14	श्री स० मो० बनर्जी	विलगडन अस्पताल के कुछ वातानुकूलन कार्यों को केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के कार्यकारी इंजीनियर (वातानुकूलन—1) को सौंपने में विलम्ब ।	100
95	15	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के मोटर-गाड़ी ड्राइवरों क वतन-क्रम के पुनरीक्षण की आवश्यकता ।	100
95	16	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के कलकत्ता स्थित केन्द्रीय बिजली खण्ड i और ii के दनिक मज़दूरी पाने वाले कमचारियों की इकट्ठी वरिष्ठता-सूची तयार करने की आवश्यकता ।	100
95	17	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के नई दिल्ली स्थित 'ए' 'बी' और संसदीय निर्माण-कार्य खण्डों में से प्रत्यक सेक्शन में स्थायी प्रकार के रख-रखाव सम्बन्धी कार्यों के लिए 'मस्टर-रोल' पर रखे गये कर्मचारियों को निरन्तर रोजगार में रखना रोकने की आवश्यकता ।	100
95	18	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक-निर्माण कार्य विभाग के इलाहाबाद केन्द्रीय खण्ड के दनिक मजदूरी पाने वाले कुछ कर्मचारियों को वर्ष 1949 और 1950 के लिये वार्षिक वेतन-वृद्धि देने की आवश्यकता ।	100
95	19	श्री स० मो० बनर्जी	केवल छंटनी के लिए, केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के दैनिक मजदूरी पर रखे गये कर्मचारियों की क्षेत्रीय वरिष्ठता-सूची बनाने की आवश्यकता ।	100
95	20	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक-निर्माण-कार्य विभाग के दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों के ऊपर नियुक्त सड़क निरीक्षकों के वेतन-क्रम के पुनरीक्षण की आवश्यकता ।	100

1	2	3	4	5
				रुपये
95	21	श्री स० मो० बनर्जी	रांची मानसिक रोग चिकित्सालय से केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग में लिये गये कर्मचारियों का भविष्य निधि लेखा स्थानांतरित कराने की आवश्यकता ।	100
95	22	श्री स० मो० बनर्जी	यांत्रिक प्रशीतन तथा वातानुकूल कार्यों में लगे हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण-काय विभाग क बिजली खलासियों को वर्दियां देने की आवश्यकता ।	100
95	23	श्री स० मो० बनर्जी	कलकत्ता क्षेत्र के केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के कार्य-सहायकों को, जो डाक व तार विभाग में प्रतिनियुक्ती पर भेजे गय थ, नियमित संस्थापन में भजने की आवश्यकता ।	100
95	24	श्री स० मो० बनर्जी	मोती-बाग, नानकपुर, रामाकृष्णपुरम, नेताजीनगर, लक्ष्मीबाई नगर, किदवई नगर, एंड्रियूजगंज और शाहजहां रोड में केन्द्रीय लोक-निर्माण कार्य विभाग के पूछताछ कार्यालय के कायकर्ताओं के लिए मनोरंजन-कक्षों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100
95	25	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग में दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए 1-4-1964 से अधिक स्थायी पद बनाने की आवश्यकता ।	100
95	26	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग की सूची में उल्लिखित दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को "मशीनमैनों" के रूप में स्थायी बनाने के बारे में घोषणा करने की आवश्यकता ।	100
95	27	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक-निर्माण-कार्य विभाग के दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को, जिन्हें 1-4-1958 तथा 1-4-1960 से स्थायी करने के पात्र घोषित किया गया है, स्थायी किये जाने के आदेश जारी करने की आवश्यकता ।	100

1	2	3	4	5
				रुपये
95	28	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के दैनिक मजदूरी पाने वाले स्थायी किये जाने के पात्र मजदूरों को, स्थायी कर्मचारियों की मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर, स्थायी घोषित करने की आवश्यकता।	100
95	29	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों के मार्च, 1963 तक के भविष्य निधि लेखों को महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व तथा महालेखापाल, वाणिज्य, निर्माण-कार्य और विविध से विभिन्न मंडल-कार्यालयों में अन्तरित करने की आवश्यकता।	100
95	30	श्री स० मो० बनर्जी	नई दिल्ली नगरपालिका से वापस आये केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों को "जी" डिवीजन में अन्तरित करने की आवश्यकता।	100
95	31	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक-निर्माण-कार्य विभाग के "फरीदाबाद सेन्ट्रल इलैक्ट्रिक डिवीजन" के "अजमेर इलैक्ट्रिकल सब-डिवीजन" के दनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों की मजूरी के भुगतान में विलम्ब।	100
95	32	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के "फरीदाबाद सेन्ट्रल इलैक्ट्रिकल डिवीजन" के "ग्वालियर इलैक्ट्रिकल सब-डिवीजन" के दनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों की मजूरी के भुगतान में विलम्ब।	100
95	33	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के "गाजियाबाद इलैक्ट्रिकल डिवीज़न" के दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों को उन डिवीज़नों से, जिनसे उन्हें इस डिवीज़न में स्थानान्तरित किया गया है, अन्तरित करने की आवश्यकता।	100

1	2	3	4	5
				रुपये
95	34	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के फरीदाबाद सैंट्रल इलैक्ट्रिकल डिवीजन के अजमेर सब-डिवीजन के दैनिक मजूरी पाने वाले कर्मचारियों की 1-6-1947 से 31-8-1947 तक की सेवाओं का सत्यापन ।	100
95	35	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के इलैक्ट्रिकल डिवीज़न संख्या सात के दनिक मजूरी पाने वाले कर्मचारियों के "ट्रेड टेस्ट" के परिणाम घोषित करने की आवश्यकता ।	100
95	36	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के दैनिक मजूरी पाने वाले कर्मचारियों के लिये 1-4-65 से अतिरिक्त स्थायी पद बनाने की आवश्यकता ।	100
95	37	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के "फरीदाबाद इलैक्ट्रिकल डिवीज़न" के दैनिक मजूरी पाने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता-सूची बनाने की आवश्यकता ।	100
95	38	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के "गाज़ियाबाद इलैक्ट्रिकल डिवीज़न" के दैनिक मजूरी पाने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता-सूची बनाने की आवश्यकता ।	100
95	39	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग, नई दिल्ली के "इलैक्ट्रिकल डिवीज़न संख्या पांच" के दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को मार्च, 1965 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भविष्य निधि विवरण दिये जाने की आवश्यकता ।	100
95	40	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग क दिल्ली उड्डयन बिजली खंड के विभिन्न एककों में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता-सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	100

1	2	3	4	5
				रुपये
95	41	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग में कुछ खंडों के समाप्त किये जाने और कुछ अन्य नये खंड बनाये जाने की दृष्टि से दैनिक मजदूरी पर रखे गये कर्मचारियों की वरिष्ठता के लिये अपवाद एककों की सूची का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता ।	100
95	42	श्री स० मो० बनर्जी	केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों की, जो 40–60 रुपये (पुनरीक्षित 85–110) के वेतनक्रम में स्थायी कंक्रीट मिक्सर ड्राइवर बनाये जाने के पात्र ह, सूची घोषित करने की आवश्यकता ।	100
94	107	श्री वासुदेवन नायर	सरकारी कर्मचारियों सहित अल्प-आय वाले वर्ग को अपने मकान बनाने में समर्थ बनाने के लिये सरकार द्वारा गृह-निर्माण योजना आरम्भ करने की आवश्यकता ।	100
94	108	श्री वासुदेवन नायर	सरकारी कर्मचारियों को सरकारी निवास-स्थानों के आवंटन संबंधी नियमों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता ।	100
94	109	श्री वासुदेवन नायर	मंत्रियों, बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के बंगलों में खाद्यान्न उगाये बिना बेकार पड़ी भूमि का उपयोग करने की आवश्यकता ।	100
94	110	श्री वासुदेवन नायर	मकान मालिक सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकान के लिये आवंटन पात्र बनाने संबंधी सरकारी निर्णय ।	100
94	111	श्री वासुदेवन नायर	कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा निवास स्थान देने की आवश्यकता ।	100
94	112	श्री वासुदेवन नायर	सरकारी बस्तियों में अत्यधिक किराया लेना (रैक रेन्टिंग) रोकने की आवश्यकता ।	100

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : The working of Central Public Works Department should be improved. Some houses were built by this Department in my district but those houses are in bad condition after about four years. This Department has to play vital role in the development work of the country. The contractor system is very defective. It encourages corruption. This system should be abolished and the work should be done by Departmental engineers. A school for the education of architects should be set up.

Government should establish Building Construction Societies. They should take place of big contractors. An organisation should be set up to conduct sample survey. It should survey the materials and see that proper material is being used in the actual construction.

Government should pay proper attention to vigilance work. There should be better control on developmental work. The amount allocated for housing has not been utilized fully and the result is that the target of houses has not been achieved. I want that this money should not be diverted to other sides. It should be utilized next year. Housing is a very important matter. It has become a problem in cities because people are coming to cities in greater numbers.

The housing problem in rural areas is a very big problem. 80 percent of our country's population lives in villages. Government should attend to this problem on priority basis. More funds should be allocated for this. Our country's progress depends on the progress of our villages.

Large sums of arrears of rent of Estate Office are outstanding. Effective steps should be taken to recover this. There is great shortage of houses in our country. I find that houses are being demolished in Delhi. Houses which are in good condition should not be demolished. Some offices should be shifted from Delhi to other places. This matter should be decided at cabinet level.

The decentralisation in the matter of purchase of stationery is not good. It will entail great expenditure. The old arrangements regarding supply of stationery materials should not be disturbed. Government should not introduce new scheme of decentralisation.

श्री काकोडकर के ठौर-ठिकानें के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : THE WHEREABOUTS OF SHRI KAKODKAR

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमान जी, आपकी आज्ञा से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि श्री पुरुषोत्तम दास काकोडकर, जिन के बारे में सदन में तथा बाहर बड़ी चिंता थी ऋषिकेष में सुरक्षित है और प्राप्त हुए समाचार के अनुसार वह श्री सुन्दरानन्द नाम के एक व्यक्ति के पास रह रहे है। उनसे सम्पर्क स्थापित करने के लिये हमने कार्यवाही की है।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय—जारी

श्री सुब्बारामन (मदुरै) : श्रीमान जी, आवास समस्या हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। हमारे देश की 25 प्रतिशत जनसंख्या बहुत खराब मकानों में रहती है। उनके लिये अच्छे मकानों का प्रबन्ध किया जाना बहुत आवश्यक है। एक विशेषज्ञ के अनुमान के अनुसार हमारे देश में दो करोड़ और मकानों की आवश्यकता है। सरकार इस के लिये धन देती रही है परन्तु झुग्गियों में रहने वालों की दशा सुधारने की ओर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार हरिजनों को भी मकान बनाकर दे रही है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 6 अप्रैल, 1966/चैत्र 16, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday April 6, 1966/ Chaitra 16, 1888 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि०4—50 लोक सभा/66—21-8-67-600